बेसिक शिक्षा परिषद्

उत्तर प्रदेश

नियमावली

(31 दिसम्बर 1985 तक संशोधित)

सचिव

बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के अधिकार से प्रकाशित

इलाहाबाद

मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1986

542
370.26
UTT-N

UTTAR PRADESH

NIEPA DC
D06820

542
370.26
UTT-N

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. D-6820
Date 23/9/92

दो शब्द

उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद्, नियमावली सन् 1977 में प्रथम बार प्रकाशित की गयी थी। तब से अब तक बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों के लिये शासन स्तर से नियमावलियां प्रकाशित हो चुकी हैं। इन नियमावलियों के एक स्थान पर उपलब्ध न होने के कारण बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी एवं अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों को काफी कठिनाई का अनुभव हो रहा था। ऐसी स्थिति में संशोधित नियमावली का प्रकाशन आवश्यक हो गया था। इस संशोधित संस्करण में 31 दिसम्बर, 1985 तक बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों एवं कर्मचारियों से सम्बन्धित परिवर्तित नियमों के साथ मान्यताप्राप्त स्कूलों के कर्मचारियों से सम्बन्धित नियमों को भी सम्मिलित कर दिया गया है।

आशा है नियमावली का संशोधित संस्करण बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बेसिक शिक्षा में रुचि रखने वाले अन्य नागरिकों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। इस नियमावली को और अधिक व्यापक एवं लाभकारी बनाने के लिये प्राप्त सुझावों का स्वागत किया जायेगा।

1 जनवरी, 1986 ई0

जवाहर लाल पाण्डेय,

सचिव,

उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद्,

इलाहाबाद।

नियमावली

अनुक्रम

अध्याय	विषय		पृष्ठ
एक	अधिनियम	.. ..	1–15
दो	परिषदीय विद्यालयों में नियुक्तियां	..	16–26
तीन	परिषदीय अध्यापकों की सेवा शर्तें	..	27–58
चार	अन्य नियुक्तियां	.. ..	59–62
पांच	शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा शर्तें	..	63–65
छः	विद्यालयों की मान्यता	.. ..	66–78
सात	मान्यताप्राप्त विद्यालयों में नियुक्तिय	..	79–90
आठ	मान्यताप्राप्त विद्यालयों के कर्मचारियों की सेवा शर्तें		91–97
नौ	परिषद् का गठन	.. ..	98–99
दस	उपविधियां	.. ..	100–106

बेसिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश

नियमावली

अध्याय एक—अधिनियम

*उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1972)

बेसिक शिक्षा परिषद् की स्थापना करने और तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने के लिए भारत गणराज्य के तेइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

1—संक्षिप्त नाम तथा प्रसार—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 कहलायेगा ।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

2—परिभाषाएं—जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो इस अधिनियम में—

(क) "नियत दिनांक" का तात्पर्य उस दिनांक से है जब परिषद् स्थापित की जाय ।

(ख) "बेसिक शिक्षा" का तात्पर्य हाई स्कूल या इन्टरमीडिएट कालेजों से भिन्न स्कूलों में आठवीं कक्षा तक दी जाने वाली शिक्षा से है और पद "बेसिक स्कूल" का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा ।

(ग) "परिषद्" का तात्पर्य धारा-3 के अधीन संगठित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् से है ।

(घ) "निदेशक" तथा "जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों" तात्पर्य क्रमशः शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश और जिला बेसिक

---

*उत्तर प्रदेश शासन के विधायिका अनुभाग द्वारा असाधारण गजट में विज्ञप्ति संख्या 2891/सत्रह–वि0—98–72, दिनांक 19 अगस्त, 1972 द्वारा प्रकाशित भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विधेयक, 1972 पर दिनांक 17 अगस्त, 1972 को स्वीकृति प्रदान की

शिक्षा अधिकारियों के रूप में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों से है ।

(ड) "स्थानीय निकाय" का तात्पर्य जिला परिषद्, अन्तरिम जिला परिषद् नगर महापालिका, नगरपालिका बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी या नोटीफाइड एरिया कमेटी, जैसी भी दशा हो, से है ।

3—परिषद् का गठन--(1) ऐसे दिनांक से, जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करें, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के नाम से एक परिषद् स्थापित की जायेगी ।

(2) परिषद् शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाली एक निगमित निकाय होगी, तथा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उसे सम्पत्ति का अर्जन और धारण करने की शक्ति होगी और अपने नाम से वह वाद प्रस्तुत कर सकेगी और उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

(3) परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे—

(क) निदेशक, पदेन, जो अध्यक्ष होगा ।

(ख) दो व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा-17 के अधीन स्थापित जिला परिषदों के अध्यक्षों में से, यदि कोई हो, नाम निर्दिष्ट किए जायेंगे,

(ग) एक व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1956 की धारा 9 के अधीन संघटित महापालिकाओं के नगर प्रमुखों में से, यदि कोई हो, नाम निर्दिष्ट किया जायेगा ।

(घ) एक व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 के अधीन स्थापित नगरपालिका बोर्डों के प्रसीडेन्टों में से यदि कोई हो, नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा ।

(ङ) सचिव, राज्य सरकार, वित्त विभाग, पदेन,

(च) प्रिंसिपल, राज्य शिक्षा संस्थान, पदेन,

(च-1) सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद, पदेन,

(च-2) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ, पदेन ।

(छ) दो शिक्षाविद, जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किए जायेंगे।

(ज) एक अधिकारी जिसका पद उप निदेशक, शिक्षा के पद से कम न हो, राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा और जो सदस्य-सचिव होगा।

(4) उपधारा (3) के खंड (ङ) में अभिदिष्ट अधिकारी परिषद् की बैठक में स्वयं उपस्थित होने के बजाय, अपने विभाग के किसी अधिकारी को जिसका पद राज्य सरकार के उपसचिव के पद से कम न हो, बैठक में उपस्थित होने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है। इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी को बैठक में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा तथा उसे मत देने का भी अधिकार होगा।

(5) पदेन सदस्यों से भिन्न परिषद् के सदस्यगण सामान्यतया नियुक्ति-आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिए पद धारण करने के हकदार होंगे, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति पहले ही समाप्त न कर दी जाय।

प्रतिबन्ध यह है कि पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य, किसी समय राज्य सरकार को सम्बोधित लिखित नोटिस देकर अपना पद त्याग सकता है।

(6) परिषद् की सदस्यता में किसी रिक्ति के दौरान बने रहे सदस्य कार्य कर सकते हैं मानों कोई रिक्ति न हुई हो।

(7) परिषद् के संगठन में केवल किसी रिक्ति या किसी दोष होने के कारण परिषद् का कोई कार्य अथवा कार्यवाही अविधिमान्य न समझी जायेगी।

4--परिषद् का कृत्य--(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद् का कृत्य राज्य में बेसिक शिक्षा तथा उसके लिए अध्यापक-प्रशिक्षण दिए जाने को संगठित करना, उसका समन्वय करना तथा उस पर नियंत्रण करना, और उसके स्तर को ऊंचा उठाना और उसे राज्य की सम्पूर्ण शिक्षा-प्रणाली से परस्पर सम्बद्ध करना होगा।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् को विशेषतया निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी--

(क) बेसिक शिक्षा और उस हेतु अध्यापक-प्रशिक्षण के लिए संशिक्षण-क्रम तथा पुस्तकें विहित करना।

(ख) जूनियर हाई स्कूल तथा बेसिक प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र परीक्षा तथा ऐसी अन्य परीक्षाओं का संचालन करना जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर उसे सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अभ्यर्पित करें और ऐसी परीक्षाओं में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र प्रदान करना ।

(ग) जिला बेसिक शिक्षा समितियों अथवा नगर बेसिक शिक्षा समितियों द्वारा संस्थाओं की स्थापना के सम्बन्ध में तदर्थ सामान्य या विशेष आदेश द्वारा स्तर मापक निर्धारित करना तथा उक्त संस्थाओं द्वारा संशिक्षण प्रदान करना और परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं में प्रवेश दिलाने के लिए परीक्षार्थियों को तैयार करने के सम्बन्ध में उनके प्रशासन पर अधीक्षण रखना ।

*(गग) उन सभी बेसिक स्कूलों का प्रबन्ध लेना जो नियत दिनांक के पूर्व किसी स्थानीय निकाय के थे ।

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व विहित संशिक्षण क्रम और पुस्तकें और मान्यता प्राप्त संस्थायें इस अधिनियम के अधीन परिषद् द्वारा विहित या मान्यता प्राप्त समझी जायेगी ।

(घ) बेसिक स्कूलों, नार्मल स्कूलों, बेसिक प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र इकाइयों तथा राज्य शिक्षा संस्थान का पर्यवेक्षण करना और उनपर नियंत्रण रखना ।

(ङ) किसी जिले में या राज्य में अथवा उसके किसी भाग में बेसिक शिक्षा के विकास, प्रसार या सुधार और उसमें अनुसंधान के लिए जिला बेसिक शिक्षा समिति या नगर बेसिक शिक्षा समिति द्वारा तैयार की गई योजनाओं का परिष्कार सहित या रहित अनुमोदन करना''।

(च) किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का अर्जन करना, धारण करना या निस्तारण करना और विशेषतया किसी बेसिक स्कूल या नार्मल स्कूल के लिए किसी भवन अथवा उपस्कर का दान ऐसी शर्तों पर, जिन्हें यह उचित समझें, स्वीकार करना ।

(छ) राज्य सरकार से अनुदान, आर्थिक सहायता और ऋण प्राप्त करना ।

---

*उ० प्र० शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 5, 1977 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(छ-1) जिला बेसिक शिक्षा समितियों तथा नगर बेसिक शिक्षा समितियों पर इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के सम्पादन में, अधीक्षण रखना और राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, समितियों को निदेश देना, जो ऐसी समितियों पर बन्धनकारी होंगे।

(छ-2) ऐसे प्रयोजनों के लिए जिसे परिषद उचित समझे (जिला बेसिक शिक्षा समितियों तथा नगर बेसिक शिक्षा समितियों के सदस्यों से) उप-समितियों का गठन करना।

(ज) ऐसे सभी कार्य करना जो इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या आरोपित किसी शक्ति का प्रयोग या किसी कृत्य का सम्पादन अथवा कर्तव्य का पालन करने के लिए आवश्यक या सुविधाजनक अथवा आनुषंगिक हो।

*(3) उपधारा (2) के खण्ड (गग) या खण्ड (घ) के अधीन बेसिक स्कूलों को, जो नियत दिनांक के पूर्व स्थानीय निकाय के थे, प्रबंध, पर्यवेक्षण और नियंत्रण करने की शक्ति का प्रयोग करने के लिए ऐसे स्कूलों के सम्बन्ध में स्थानीय निकायों की शक्ति और कृत्य परिषद् को अन्तरित हो जायगा।

5—परिषद् का कार्य संचालन--(1) परिषद् और धारा 10 में अभिनिविष्ट प्रत्येक जिला बेसिक शिक्षा समिति तथा धारा 11 में अभिनिविष्ट गांव शिक्षा समिति का कार्य ऐसे विनियमों के अनुसार संचालित किया जायेगा, जिन्हें परिषद् राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से तदर्थ बनाये।

(2) विशेषतया और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्—

(क) परिषद् अथवा उपधारा (1) में अभिनिविष्ट किसी समिति की बैठकें बुलाना और करना, ऐसी बैठकों का कार्य-संचालन और ऐसी बैठक में गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या।

(ख) परिषद् के अध्यक्ष और सचिव तथा अन्य अधिकारियों की शक्ति और कर्तव्य,

(ग) परिषद् के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें,

---

*यथा धारा 4 (गग) में।

(घ) इस अधिनियम के अधीन परिषद् या किसी समिति के कृत्यों को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया।

(ङ) परिषद् द्वारा भृत अथवा उसके नियंत्रणाधीन स्कूलों और अन्य संस्थाओं का प्रबंध।

(3) जब तक कि उपधारा (1) के अधीन परिषद् द्वारा कोई विनियोग न बनाया जाय, कोई विनियम जो उक्त उपधारा के अधीन बनाया जा सकता है राज्य सरकार द्वारा बनाया जा सकता है और इस प्रकार बनाये गए विनियम में परिषद् उपधारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करके, परिवर्तन कर सकती है अथवा उसे विखंडित कर सकती है।

6—परिषद् के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी—(1) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षता से सम्पादन करने के प्रयोजनार्थ, परिषद् उतने अधिकारी, अध्यापक तथा अन्य कर्मचारी जिन्हें राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से वह उचित समझे नियुक्त कर सकती है।

(2) ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें राज्य सरकार द्वारा तदर्थ बनाये गए नियमों द्वारा विनियमित होंगी।

7—परिषद् की निधि—(1) परिषद् की अपनी निधि होगी और परिषद् को प्राप्त सभी धनराशियां उसमें जमा की जायेंगी और परिषद् के सभी भुगतान उसी से किए जायेंगे।

(2) राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, परिषद् को इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों पर अथवा प्रयोजनों के लिए ऐसी धनराशि, जिसे वह उचित समझे, व्यय करने की शक्ति होगी।

8—लेखा तथा लेखा परीक्षा—(1) परिषद् उचित लेखा तथा अन्य संगत अभिलेख रखेगी, और ऐसे प्रपत्र में जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करें, वार्षिक लेखा विवरण-पत्र तैयार करेगी।

(2) परिषद् एक वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र (बजट) तैयार करेगी और उसे राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी।

(3) परिषद् के लेखों की परीक्षा ऐसे प्राधिकारी द्वारा की जायेगी, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे।

(4) लेखा परीक्षा प्राधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित परिषद् के लेखे और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रतिवर्ष भेजे जायेंगे।

9—कर्मचारियों का स्थानान्तरण—(1) नियत दिनांक को और से केवल बेसिक स्कूलों के संबंध में किसी स्थानीय निकाय के अधीन उक्त दिनांक के तत्काल पूर्व कार्यरत प्रत्येक अध्यापक, अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी (जिसके अन्तर्गत कोई पर्यवेक्षी या निरीक्षण कर्मचारी वर्ग भी है) परिषद् को स्थानान्तरित कर दिये जायेंगे और वे परिषद् के अध्यापक अधिकारी या अन्य कर्मचारी हो जायेंगे और वे उसी अवधि के लिए उसी पारिश्रमिक तथा सेवा में उन्हीं अन्य निबंन्धनों एवं शर्तों पर पद धारण करेंगे, जिन पर वे धारण करते, यदि परिषद् संघटित न की गयी होती और वे तब तक इस प्रकार बने रहेंगे जब तक कि परिषद् द्वारा ऐसी अवधि पारिश्रमिक तथा सेवा के अन्य निबंन्धनों एवं शर्तों में यथा विधि परिवर्तन न कर दिया जाय :

प्रतिबंध यह है कि नियत दिनांक के पूर्व किसी ऐसे अध्यापक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा स्थानीय निकाय के अधीन की गई कोई सेवा परिषद् के अधीन की गई सेवा समझी जायेगी।

अग्रेतर प्रतिबंध यह है कि परिषद् इस अधिनियम के अधीन ऐसे कृत्यों का संपादन करने के लिए जिन्हें वह उचित समझे, किसी ऐसे अध्यापक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी से कार्य ले सकती है और प्रत्येक ऐसा अध्यापक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी उन कृत्यों का तदनुसार संपादन करेगा।

(2) उपधारा (1) की कोई बात किसी ऐसे अध्यापक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी पर लागू न होगी, जो नियत दिनांक से दो महीने की अवधि के भीतर राज्य सरकार को तदर्थ लिखित नोटिस द्वारा परिषद् का कर्मचारी न होने के लिए अपना विकल्प सूचित कर दे, और यदि कोई कर्मचारी ऐसी नोटिस देता है तो स्थानीय निकाय के अधीन उसकी सेवा नियत दिनांक से समाप्त हो जायेगी और वह स्थानीय निकाय से प्रतिकर का हकदार होगा जो निम्नलिखित होगा :—

(क) स्थायी कर्मचारी की दशा में, उसके तीन माह की अवधि या उसकी सेवा की शेष अवधि जो भी कम हो, के लिए वेतन (जिसके अन्तर्गत सभी भत्ते भी हैं) के बराबर धनराशि।

(ख) अस्थायी कर्मचारी की दशा में उसके एक माह की अवधि या उसकी सेवा की शेष अवधि, जो भी कम हो, के लिए वेतन (जिसके अन्तर्गत सभी भत्ते भी हैं) के बराबर धनराशि।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, उसमें अभिनिर्दिष्ट कोई ऐसा व्यक्ति जो परिषद् का कर्मचारी हो जाय, ऐसे स्कूल अथवा स्थानीय क्षेत्र से जिसमें वह 'नियत दिनांक के तत्काल पूर्व सेवायोजित था, परिषद् के किसी अन्य स्कूल या संस्था अथवा यथा स्थित, किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र को, उसी पारिश्रमिक तथा सेवा के उन्हीं अन्य निबन्धनों एवं अन्य शर्तों पर जिनसे वह ऐसे स्थानान्तरण के तत्काल पूर्व नियंत्रित होता था, स्थानान्तरित किया जा सकेगा:

प्रतिबंध यह है कि बेसिक स्कूल के, जो नियत दिनांक के पूर्व स्थानीय निकाय के थे, किसी अध्यापक को किसी अन्य स्थानीय निकाय के बेसिक स्कूल में स्थानान्तरण सिवाय उसकी सहमति के नहीं किया जायगा।

(4) यदि इसके संबंध में किसी व्यक्ति की सेवा उपधारा (1) के अधीन परिषद् को स्थानान्तरित हुई या नहीं अथवा नियतदिनांक के तत्काल पूर्व ऐसे कर्मचारी के पारिश्रमिक तथा सेवा के अन्य निबन्धनों एवं शर्तों के संबंध में कोई प्रश्न उठे तो उसपर राज्य सरकार द्वारा निर्णय दिया जायेगा, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

(5) उपधारा (1) में अभिनिर्दिष्ट कर्मचारियों के लिए किसी स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित कोई भविष्य-निधि ऐसे कर्मचारियों तथा स्थानीय निकाय के भी सम्पूर्ण अंशदान सहित जिसे नियत दिनांक के पूर्व जमा किया जाना चाहिए था किन्तु जमा न किया गया हो, स्थानीय निकाय द्वारा परिषद् को अन्तरित की जायेगी जिसे वह ऐसी निधि को नियंत्रित करने वाले निबन्धनों तथा शर्तों के अनुसार सम्बद्ध कर्मचारियों के लिए न्यास के रूप में रखेगी।

(6) उपधारा (1) के अधीन किसी कर्मचारी की सेवाओं को परिषद् में स्थानान्तरित किए जाने से ऐसा कर्मचारी किसी प्रतिकर का हकदार न होगा और किसी न्यायालय अधिकरण अथवा प्राधिकरण द्वारा कोई ऐसा दावा ग्रहण नहीं किया जायेगा।

10—जिला बेसिक शिक्षा समितियां—(1) प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक समिति स्थापित की जायेगी जो जिला

बेसिक शिक्षा समिति कहलायेगी और जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) अध्यक्ष, जिला परिषद्, पदेन, जो समिति का अध्यक्ष होगा।

(ख) तीन व्यक्ति, जो जिला परिषद् के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जायेंगे।

(ग) अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन) पदेन,

(घ) जिला हरिजन तथा समाजकल्याण अधिकारी/पदेन,

(ङ) जिला विद्यालय निरीक्षक, पदेन,

(च) अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी (म0) यदि कोई हो और उसकी अनुपस्थिति में विद्यालय उप निरीक्षिका पदेन,

(छ) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, पदेन जो समिति का सचिव होगा,

(ज) विद्यालय उप निरीक्षक, पदेन, जो समिति का सहायक सचिव होगा।

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न समिति के सदस्य ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर पद धारण करेंगे, जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे।

(3) जिला बेसिक शिक्षा समिति परिषद् के अधीक्षण और निदेशों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् :

1—जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना।

2—नये बेसिक स्कूल स्थापित करना।

3—ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार तथा सुधार के लिए योजनाएं तैयार करना।

10-क—नगर बेसिक शिक्षा समितियां—(1) प्रत्येक नगर, नगर पालिका, नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया के लिए एक समिति स्थापित की जायेगी, जो नगर बेसिक शिक्षा समिति कहलायेगी और जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :

(क) महापालिका का नगर प्रमुख, यथास्थित नगरपालिका बोर्ड, नोटीफ़ाइड एरिया कमेटी का या टाउन एरिया कमेटी का प्रेसीडेन्ट, पदेन जो अध्यक्ष होगा,

(ख) तीन से अधिक व्यक्ति जो, यथास्थित महापालिका, नगरपालिक बोर्ड, नोटीफ़ाइड एरिया कमेटी या टाउन एरिया कमेटी के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जायेंगे।

(ग) जिला विद्यालय निरीक्षक, पदेन,

(घ) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, पदेन,

(ङ) सर्किल का अधिकारितायुक्त विद्यालय अवर उप निरीक्षक (पदेन)

(च) सर्किल की अधिकारितायुक्त बालिका विद्यालय सहायक निरीक्षिका पदेन,

(छ) अधीक्षिका, बालिका शिक्षा, यदि कोई हो, पदेन,

(ज) शिक्षा अधीक्षक, यदि कोई हो और यदि कोई ऐसा अधिकारी न हो तो सर्किल का अधिकारितायुक्त विद्यालय अवर उप निरीक्षक, पदेन, सदस्य सचिव।

(2) धारा 10 की उपधारा (2) और (3) के उपलब्ध आवश्यक परिवर्तनों के सहित, नगर बेसिक शिक्षा समिति पर उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे जिला बेसिक शिक्षा समिति को लागू होते हैं।

11—गांव शिक्षा समितियां—(1) प्रत्येक गांव या गांव समूह के निमित्त, जिसके लिये यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, 1947 के अधीन, गांव सभा स्थापित हो, एक समिति स्थापित की जायगी जो गांव शिक्षा समिति कहलायेगी और जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात्:—

(क) गांव सभा का प्रधान जो अध्यक्ष होगा,

(ख) बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिनमें से एक संरक्षक महिला होगी), जो विद्यालय अवर उप निरीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(ग) उस गांव या गांव समूह में बेसिक स्कूल का मुख्य अध्यापक और यदि एक से अधिक स्कूल हों, तो उनके मुख्य अध्यापकों में से ज्येष्ठतम, जो उसका सदस्य-सचिव होगा।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, समिति—

(क) बेसिक स्कूलों के भवनों, उनके उपस्करों में सुधार करने के लिए जिला बेसिक शिक्षा समिति में सुझाव देगी और ऐसे स्कूलों का निरीक्षण करेगी और अध्यापकों द्वारा समयपालन किये जाने तथा उनकी उपस्थिति के बारे में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट देगी,

12—बेसिक स्कूलों पर नियन्त्रण—(1) निदेशक किसी बेसिक स्कूल और बेसिक शिक्षा के सम्बन्ध में स्थानीय निकाय के कृत्यों का सम्पादन करने वाली अथवा उससे सम्बद्ध स्थानीय निकाय के कृत्यों का सम्पादन करने वाली अथवा उससे सम्बद्ध स्थानीय निकाय के अभिलेखों और उसकी कार्यवाहियों का भी समय-समय पर निरीक्षण कर सकता है अथवा निरीक्षण करा सकता है।

(2) निदेशक किसी बेसिक स्कूल के प्रबन्धाधिकरण को निरीक्षण करने पर या अन्य प्रकार से पाये गये किसी दोष या कमी को दूर करने का निर्देश दे सकता है।

(3) यदि बेसिक स्कूल का प्रबन्धाधिकरण उप धारा (2) के अधीन दिये गये किसी निर्देश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो निदेशक, प्रबन्धाधिकरण द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् ऐसे स्कूलों की मान्यता वापस लेने के लिए मामला परिषद् को निर्दिष्ट कर सकता है।

(4) किसी बेसिक स्कूल के सम्बन्ध में उपधारा (3) के अधीन सिफारिश प्राप्त होने पर परिषद् उस स्कूल को मान्यता वापस ले सकती है।

*12—क—(1) जिला परिषद् के प्रत्येक सदस्य को जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित किसी बेसिक स्कूल का निरीक्षण करने तथा ऐसे निरीक्षण के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर ऐसे जिला परिषद् के अध्यक्ष को निरीक्षण टिप्पणी प्रस्तुत करने की शक्ति होगी। (2) यथास्थिति, महापालिका, नगरपालिका बोर्ड, नोटीफाइड एरिया कमेटी या टाउन एरिया कमेटी के प्रत्येक सदस्य को उस स्थानीय निकाय, जिसका वह सदस्य हो, की सीमा में स्थित किसी बेसिक का निरीक्षण करने तथा ऐसे निरीक्षण के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर ऐसे निकाय के, यथास्थिति, नगर प्रमुख अथवा प्रेसीडेन्ट को निरीक्षण टिप्पणी प्रस्तुत करने की शक्ति होगी।

*यथा धारा 4(गग) में

*13—राज्य सरकार द्वारा नियन्त्रण—(1) परिषद् ऐसे निदेशों का कार्यान्वयन करेगी जो उसे इस अधिनियम के कुशल प्रशासन के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जायें।

(2) यदि इस अधिनियम के अधीन परिषद् द्वारा अपनी किन्हीं शक्तियों के प्रयोग में या प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में और अपने किन्हीं कृत्यों के सम्पादन में अथवा सम्पादित किये जाने के सम्बन्ध में परिषद् और राज्य सरकार के बीच अथवा परिषद् और किसी स्थानीय निकाय के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो तो ऐसे विवाद पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम तथा यथास्थिति, परिषद् या स्थानीय निकाय पर बन्धनकारी होगा।

(3) परिषद् या कोई स्थानीय निकाय राज्या सरकार को ऐसे प्रतिवेदन विवरणियां तथा अन्य सूचना प्रस्तुत करेगी जिनकी राज्य सरकार स अधिनियम के प्रयोजनार्थ समय-समय पर अपेक्षा करें।

14—प्रत्यायोजन की शक्ति—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन अपनी कोई शक्ति ऐसी शर्तों के यदि कोई हो, अधीन रहते हुये, जो निर्दिष्ट की जाय, निदेशक अथवा अपने अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकती है।

(2) परिषद् सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि विनियमों को बनाने की शक्ति के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन अपने द्वारा प्रयोक्तव्य किसी शक्ति का प्रयोग अध्यक्ष या एसी समिति अथवा अधिकारी द्वारा भी ऐसे मामलों में और ऐसी शर्तों के यदि कोई हो, अधीन रहते हुये जो उसमें निर्दिष्ट की जाय, किया जा सकता है।

15—सद्भावना से किए गये कार्यों का संरक्षण—राज्य सरकार या परिषद् अथवा उसकी किसी समिति या परिषद् के अथवा किसी समिति के सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम अथवा तदन्तर्गत दिये गये किसी आदेश या निदेश के अनुसरण में सद्भावना से किये गये या किए जाने के लिए अभिप्रेत किसी कार्य के सम्बन्ध में कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

16—न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक—इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके परिषद् अथवा

---

*यथा धारा 4 (ग) में

उसको किसी समिति द्वारा दिये गये किसी आदेश या निर्णय पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी ।

17—कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—(1) यदि इन अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में अथवा इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के कारण कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अवसरानुकूल, गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे आनुषांगिक या पारिणामिक उपबन्ध, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अथवा किसी ऐसी अधिनियमित के, जिसके द्वारा अथवा अधीन कोई-कोई स्थानीय निकाय संघटित हो, किसी उपबन्ध का अनुकूलन या परिष्कार करने का भी उपबन्ध है, जिनसे तत्व पर प्रभाव न पड़ता हो और जिन्हें वह इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ आवश्यक या इष्टकर समझे, बना सकती है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश 31 दिसम्बर, 1977 के पश्चात् नहीं दिया जायेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा ।

18—स्थानीय निकायों से सम्बन्धित अधिनियमों का संशोधन—नियत दिनांक से उपधारा (2) और (3) में उल्लिखित अधिनियमितियां उक्त उपधाराओं में निर्दिष्ट रूप से संशोधित हो जायेंगी ।

(2) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 में धारा 43 में उपधारा (2) में शब्द "अध्यापकों के तथा" निकाल दिये जायें और उपधारा (3) में खंड (क) निकाल दिया जाय और उसके प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द "यथास्थित, शिक्षा चुनाव समिति या चुनाव समिति" के स्थान पर "चुनाव समिति" रख दिये जायें ।

(3) यू0 पी0 म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 में—

(क) धारा 68 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय अर्थात —

"(1) बोर्ड, विशेष संकल्प द्वारा अपने प्राविधिक विभागों के मुख्य अधिकारी जैसे सिविल अभियन्ता, सहायक सिविल अभियन्ता, विद्युत् अभियन्ता, सहायक विद्युत् अभियन्ता, जल-कल अभियन्ता, सहायक जल-कल अभियन्ता, विद्युत् एवं जल-कल अभियन्ता, सहायक, विद्युत्

एवं जल-कल अभियन्ता या ओवरसियर तथा जहां पहले से कोई कार्यपालक अधिकारी हो, सचिव की नियुक्ति कर सकता है और राज्य सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाने पर, करेगा" ।

(ख) बेसिक स्कूलों के सम्बन्ध में धारा 73 लागू न होगी ।

(ग) अनुसूची 1 में, स्तम्भ 2 में, धारा 68 से सम्बन्धित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात्‌—

"सिविल अभियन्ता, सहायक सिविल अभियन्ता, विद्युत् अभियन्ता, सहायक विद्युत् अभियन्ता, जल-कल अभियन्ता, सहायक जल-कल अभियन्ता, विद्युत् एवं जल-कल अभियन्ता, सहायक विद्युत् एवं जल-कल अभियन्ता, अर्हता प्राप्त ओवरसियर या सब-ओवरसियर अथवा सचिव नियुक्त करना ।"

*18-क—कतिपय भवनों के सम्बन्ध में परिषद् का किरायेदार होना—(1) जहां किसी भवन या उसके भाग पर किसी स्थानीय निकाय का किसी बेसिक स्कूल के प्रयोजन के लिये नियत दिनांक पर किरायेदार के रूप में अध्यासन हो, वहां ऐसे भवन या उसके भाग के सम्बन्ध में किरायेदारी उक्त दिनांक से परिषद् के पक्ष में अन्तारित हो जायेगी ।

(2) जहां किसी स्थानीय निकाय के किसी भवन या उसके भाग पर किसी बेसिक स्कूल के प्रयोजनों के लिए नियत दिनांक पर स्थानीय निकाय का अध्यासन था, वहां परिषद् उक्त दिनांक से ऐसे भवन या उसके भाग के सम्बन्ध में ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर, जिन्हें राज्य सरकार सामान्य विशेष आदेश द्वारा अवधारित करे, स्थानीय निकाय की ओर से लाइसेन्सधारी हुआ समझा जायेगा ।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी संविदा पट्टा या अन्य संलेख या किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी, इस धारा के उपबन्ध प्रभावी होंगे ।

19—नियम बनाने की शक्ति—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये और विशेषतया,

*यथा धारा 4 (गग) में

परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त बेसिक स्कूलों के अध्यापकों के रूप में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों पर विनियमित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त, जो एक सत्र में या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में हो सकता है, रख जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन उक्त अवधि म करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन तदधीन पहले की गयी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

20—उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14, 1972 का निरसन—उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

अध्याय०दो

विद्यालयों में नियुक्तियां

†1--नियुक्ति प्राधिकारी.--नीचे दी गई सूची में उल्लिखित पदों के लिए प्रत्येक के सामने उल्लिखित प्राधिकारी उक्त पद के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी होंगे :—

(क) सीनियर बेसिक विद्यालयों के प्रधान अध्यापक / प्रधान अध्यापिकायें	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/अपर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला)
(ख) सीनियर बेसिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक/अध्यापिकायें	तदैव
(ग) जूनियर बेसिक विद्यालयों के प्रधान अध्यापक/प्रधान अध्यापिकायें	तदैव
(घ) जूनियर बेसिक स्कूलों के सहायक अध्यापक/सहायक अध्यापिकायें	तदैव
(ङ) नर्सरी विद्यालयों की प्रधानाध्यापिकायें	तदैव
(च) नर्सरी विद्यालयों की सहायक अध्यापिकायें	तदैव
(छ) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	ग्रामीण क्षेत्रों में उप-विद्यालय निरीक्षक/उप-विद्यालय निरीक्षिका एवं नगर क्षेत्र में शिक्षा अधीक्षक/शिक्षा अधीक्षिका

---

†अधिनियम की धारा 19(1) के प्राधिकार से राज्य सरकार द्वारा बनाई गई उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् कर्मचारी वर्ग नियमावली, 1973—अधिसूचना सं० शिक्षा (5) 5036/15(5)-73-227-73, दिनांक 17 नवम्बर, 1973 द्वारा विज्ञापित ।

सीधी भर्ती के पद

‡2—निम्नलिखित विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्ति सीधी भर्ती से होगी :—

(क) नर्सरी स्कूलों की सहायक अध्यापिकायें,

(ख) जूनियर बेसिक स्कूलों के सहायक अध्यापक / सहायक अध्यापिकायें,

(ग) सीनियर बेसिक स्कूलों में सहायक अध्यापक/सहायक अध्यापिका के पद हेतु पदोन्नति से शिक्षक/शिक्षिका उपलब्ध न होने पर,

(घ) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

*3–(क) नर्सरी स्कूलों की अध्यापिकाओं और जूनियर बेसिक स्कूलों के सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक रिक्ति सेवायोजन कार्यालय को और कम से कम एक समाचार-पत्र में भी जिसका उस क्षेत्र में भी पर्याप्त प्रचलन हो, अधिसूचित करेगा

**(ख) नियुक्ति प्राधिकारी विज्ञापन के अनुसरण में प्राप्त आवेदन-पत्रों और उपनियम (1) के अधीन अधिसूचित रिक्ति के अनुसरण में सेवायोजन कार्यालय से प्राप्त अभ्यर्थियों के नामों की समीक्षा करेगा और तत्पश्चात ऐसे व्यक्तियों की, उनके निवास स्थान के जिले के अनुसार एक सूची तैयार करेगा जो विहित शैक्षिक अर्हता रखने वाले और नियुक्ति के लिए पात्र प्रतीत हों।

‡अधिनियम की धारा 19(1) के अधिकार से राज्य सरकार द्वारा बनाई गई उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981–अधिसूचना सं0 शिक्षा (5)-20/15(5)-81-162/73, दिनांक 3 जनवरी, 1981 द्वारा विज्ञापित।

*उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 का प्रथम संशोधन—अधिसूचना संख्या शिक्षा (5)-5866/15-5-81-30/72-400(50)/79, दिनांक 17 जुलाई, 1981 द्वारा विज्ञापित।

**देखा नियम 3-क में।

**(ग) सम्भागीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) किसी अभ्यर्थी के आवेदन-पत्र पर उसका नाम उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे उसके निवास स्थान के जिले से भिन्न किसी जिले की सूची में सबसे नीचे रखने का निर्देश दे सकता है ।

*(घ) ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्होंने अपेक्षित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पहले उत्तीर्ण कर लिया हो, उन अभ्यर्थियों से वरीयता दी जायेगी जिन्होंने वही पाठ्यक्रम बाद में उत्तीर्ण किया है और किसी विशिष्ट वर्ष में अपेक्षित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के नाम उस विशिष्ट वर्ष में उनके द्वारा प्राप्त योग्यता के अनुसार रखे जायेंगे ।

*(ङ) कोई व्यक्ति नर्सरी स्कूल की अध्यापिका और जूनियर बेसिक स्कूल के सहायक अध्यापक या सहायक अध्यापिका के रूप में तब तक नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि उसका नाम उपनियम-2 के अधीन तैयार की गयी सूची में सम्मिलित न हो ।

*(च) उपनियम-2 के अधीन तैयार की गयी सूची नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन समिति को अग्रसारित की जायेगी ।

†(छ) सीनियर बेसिक स्कूलों के सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं के कतिपय ऐसे पदों के लिए जिनके लिए पदोन्नति द्वारा शिक्षक/ शिक्षिकायें उपलब्ध न हों, नियुक्ति प्राधिकारी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रत्येक रिक्ति सेवायोजन कार्यालय को और कम से कम एक समाचार-पत्र में भी जिसका उस परिक्षेत्र में पर्याप्त प्रचलन हो, अधिसूचित करेगा ।

*(ज) नियुक्ति प्राधिकारी उक्त विज्ञापन के अनुकरण में प्राप्त आवेदन-पत्रों और उपनियम-(छ) के अधीन अधिसूचित रिक्ति के अनुसरण में सेवायोजन कार्यालय से प्राप्त अभ्यर्थियों के नामों की संवीक्षा करेगा और तत्पश्चात् ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगा जो विहित शैक्षिक अर्हता रखने वाले और नियुक्ति के लिए पात्र प्रतीत हों । सूची में पात्र व्यक्तियों के नाम ऐसे क्रम में रखे जायेंगे जैसा कि उपनियम के अधीन विहित है । इस प्रकार तैयार की गई सूची नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन समिति को अग्रसारित की जायेगी ।

स्पष्टीकरण—सीनियर बेसिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं के पद मूलतः प्रधान अध्यापक जूनियर बेसिक स्कूल पद

---

* यथा नियम 3-क में ।

† यथा नियम 2 में ।

** राजाज्ञा सं० शिक्षा (1)/373/15-1-85-4 (87)/85 दिनांक 18-3-1985 तथा परिषद् का प्रस्ताव सं० 7 दिनांक 8-11-1985 के अनुसार ।

से प्रोन्नति के हो हैं । जब नियुक्ति प्राधिकारी को यह समाधान हो जाये कि परिषदीय विद्यालयों में प्रोन्नति हेतु कोई शिक्षक/शिक्षिका उपलब्ध नहीं है, तभी सीनियर बेसिक स्कूलों में कतिपय सहायक अध्यापक/ अध्यापिकाओं के पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही की जायेगी ।

†4--चयन समिति का गठन--इस नियमावली के अधीन किसी पद पर पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का चयन करने के लिए एक चयन समिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित होंगे :--

(क)	जिला विद्यालय निरीक्षक	अध्यक्ष
(ख)	अपर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (स0) और उसकी अनुपस्थिति में उप-बालिका विद्यालय निरीक्षिका	सदस्य
(ग)	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव

†5--अभ्यर्थियों का चयन--चयन समिति साक्षात्कार के लिए कोई दिनांक नियत करेगी और ऐसे दिनांक की सूचना उन सभी व्यक्तियों को देगी जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन समिति को अग्रसारित सूची में सम्मिलित हों । साक्षात्कार के लिए नियत दिनांक को चयन समिति ऐसे व्यक्तियों का साक्षात्कार करेगी जो उसके समक्ष उपस्थित हुए हों और अपने द्वारा नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की एक सूची उस क्रम से तैयार करेगी जिसमें उनके नाम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन समिति को अग्रसारित सूची में आये हों ।

(2) चयन समिति उतने अभ्यर्थियों की एक प्रतीक्षा सूची भी तैयार करेगी जितनी रिक्तियां हों ।

(3) इस नियमावली के अधीन उपर्युक्त विधि से तैयार की गयी कोई सूची तब तक विधि मान्य होगी जब तक कि इस नियमावली के अनुसार एक नयी सूची न तैयार की जाय ।

†6--शारीरिक स्वस्थता--किसी अभ्यर्थी को तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो । किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के

---

†यथा नियम 2 में ।

लिए अन्तिम रूप में अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रान्तीय स्वास्थ्य सेवा के किसी चिकित्साधिकारी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे।

†7—राष्ट्रीयता—सीधी भर्ती के किसी पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति (क) भारत का नागरिक हो या (ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो या (ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसमें भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका और केन्या, उगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रव्रजन किया हो, किन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो और उसे वह प्रस्तुत करे। यदि अभ्यर्थी श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के पश्चात् सेवा में केवल तभी रहने दिया जायेगा यदि उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो। श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले।

टिप्पणी—ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

†8—वैवाहिक प्रास्थिति—सेवा में नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो परन्तु परिषद् किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

†9—चरित्र—सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो

---

†यथा नियम 2 में।

सके और नियुक्ति प्राधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर ले।

स्पष्टीकरण—केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण में किसी निगम द्वारा पदच्युत व्यक्ति इस नियम के प्रयोजनार्थ अनुपयुक्त समझे जायेंगे।

†10—आयुसीमा—किसी सीधी भर्ती के पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु उस वर्ष जिस वर्ष रिक्ति अधिसूचित की जाय, अनुवर्ती वर्ष की पहली जुलाई को 18 वर्ष की होनी चाहिए और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु की न्यूनतम सीमा में कोई भी छूट दिये जाने का प्राविधान नहीं है, किन्तु अधिकतम आयु सीमा में निम्नांकित श्रेणी के व्यक्तियों को पांच वर्ष या उतने वर्ष अधिक की छूट होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर उपबन्धित की जाय :—

(क) अनुसूचित जाति (ख) अनुसूचित जनजाति (ग) पिछड़ी जाति (घ) स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित।

परन्तु यह कि उचित मामलों में और उन कारणों से अभिलिखित किये जायेंगे ऐसे किसी अभ्यर्थी को जिसने बेसिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए विहित प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, इस नियम की अपेक्षा से निम्नलिखित छूट दी जा सकती है :—

**(एक) परिषद् द्वारा या इस निमित्त के परिषद् के किसी सामान्य या विशेष निदेश के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष द्वारा यदि उसने 40 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, और

(दो) सरकार द्वारा, यदि उसने 40 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो किन्तु 45 वर्ष से अधिक आयु का न हुआ हो।

*अधिक आयु सीमा से छूट प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र प्राप्त करके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नीचे दिये गये निर्धारित प्रपत्र

---

†उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 द्वितीय संशोधन नियमावली, 1983—अधिसूचना संख्या शिक्षा (5)/9957/15(5)—83-400(45)-80, दिनांक 30-12-1983

*परिष॰ के परिपत्र संख्या बे॰शि॰प॰/34991-35103/सा॰(1)/84-85, दिनांक 31-12-1984।

** परिषद् के प्रस्ताव सं॰ 5 दिनांक 8-11-1985 के द्वारा यह अधिकार मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे॰) को दिया गया

पर दो प्रतियों में सचिव परिषद् को विचारार्थ प्रेषित किया जायेगा और यदि अभ्यर्थी की आयु 40 या 40 वर्ष से अधिक किन्तु 45 वर्ष से अनधिक होगी तो आयु सीमा से छूट का प्रार्थना-पत्र सीधे शासन को विचारार्थ प्रेषित किया जायेगा।

अधिक आयु सीमा से छूट का प्रार्थना-पत्र
अभ्यर्थी के प्रयोग के लिए

1—अभ्यर्थी का नाम

2—पिता का नाम

3—पूरा पता

4—जन्मतिथि

5—अधिसूचना जारी होने का वर्ष

6—रिक्ति अधिसूचित होने के वर्ष की अनुवर्ती-वर्ष की एक जुलाई को आयु — वर्ष माह दिन

7—निर्धारित से अधिक आयु — वर्ष माह दिन

8—शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता का नाम तथा उत्तीर्ण करने का वर्ष (प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि भी संलग्न की जाय)।

9—प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् अध्यापन कार्य अथवा अन्य कार्य जो करते रहे (तिथि सहित पूर्ण विवरण इस प्रकार अंकित किया जाय जिससे अभ्यर्थी की प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद की और संबंधित चुनाव वर्ष के बीच की अवधि का लेखा-जोखा जाना जा सके)।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

कार्यालय प्रयोग के लिए

1—जनपद में आवेदित पदों पर रिक्तियों की संख्या

2—चयन सूची में स्थान

3—चयन समिति के सचिव की संस्तुति कारण सहित।

4—चयन समिति के अध्यक्ष की संस्तुति कारण सहित।

*विशेष--भूतपूर्व सैनिकों, सेना के अंगहीन कार्मिकों, युद्ध में मारे गये सेना कार्मिकों के आश्रितों, सेवाकाल में मृत्यु, परिषद् के सेवकों के आश्रितों और खिलाड़ियों के पक्ष में अधिकतम आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताओं और भर्ती की किसी प्रक्रियात्मक उपेक्षाओं में शिथिलीकरण यदि कोई हों, भर्ती के समय प्रवृत्त इस निमित्त सरकार के सामान्य नियमों या आदेशों या अनुसार किया जायेगा ।

*11--आरक्षण--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों यदि कोई हों, के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा ।

†12--चुनाव सूची—सीधी भर्ती हेतु चयन सूची तैयार करते समय चयन समिति आरक्षित और सामान्य वर्गों के साक्षात्कार द्वारा हुए एक ही चुनाव के संवर्ग में चुने गये अभ्यर्थी को पहले अपने-अपने वर्ग में उक्त आधार पर वरीयता क्रम में कर लिया जायेगा तदनन्तर सभी वर्गों के उक्त संवर्ग के सभी अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता भी उक्त आधार पर ही निर्णीत कर एक सम्मिलित चुनाव सूची बना ली जायेगी । प्रतीक्षा सूची भी उसी प्रकार बनेगी । नियुक्तियां क्रमानुसार उसी सूची से प्रदान की जायेंगी ।

*13--शैक्षिक अर्हता--सीधी भर्ती के निम्नांकित पदों के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हतायें निम्नवत् होंगी--

(क) नर्सरी विद्यालयों की अध्यापिकायें--उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से अध्यापन प्रमाण-पत्र (नर्सरी) या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य प्रशिक्षण अर्हता ।

(ख) जूनियर बेसिक स्कूलों के सहायक अध्यापक/अध्यापिकायें--माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अन्य अर्हता के साथ-साथ प्रशिक्षण अर्हता जिसके अन्तर्गत बेसिक अध्यापक प्रमाण-पत्र, हिन्दुस्तानी अध्यापक प्रमाण-पत्र, जूनियर अध्यापन प्रमाण-पत्र, अध्यापन प्रमाण-पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

---

*यथा नियम 2 में ।

†परिषद् का निर्णय दिनांक 8 नवम्बर, 1974

(ग) सीनियर बेसिक विद्यालय में विज्ञान, गणित, क्राफ्ट या हिन्दी से भिन्न अन्य भाषा के अध्यापन के लिए सहायक अध्यापक/अध्यापिकायें .	(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की इन्टरमीडिएट परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा जिसमें यथास्थिति, विज्ञान, गणित, क्राफ्ट या विशिष्ट भाषा का एक विषय ऐसा रहा हो जिसमें उसकी ऐसी परीक्षा के प्रयोजनार्थ परीक्षा ली गयी हो । (2) प्रशिक्षण अर्हता जिसके अन्तर्गत बेसिक अध्यापक प्रमाण-पत्र, हिन्दुस्तानी अध्यापक, प्रमाण-पत्र, जूनियर अध्यापक प्रमाण-पत्र, अध्यापन प्रमाण-पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ।

*14—पदोन्नति—क—पदोन्नति के पद निम्नांकित हैं जिन पर परिषदीय विद्यालयों के कार्यरत शिक्षकों में से वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति प्रदान की जायेगी ।

(क) नर्सरी स्कूलों की प्रधान अध्यापिकाओं के पद,

(ख) जूनियर बेसिक स्कूलों के प्रधान अध्यापक/प्रधान अध्यापिकाओं के पद,

(ग) सीनियर बेसिक स्कूलों के प्रधान अध्यापक/प्रधान अध्यापिकाओं के पद,

(घ) सीनियर बेसिक स्कूलों के सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं के पद ।

ख—पदोन्नति के लिए अर्हता—परिषदीय विद्यालयों में निम्नांकित पदों पर जो पदोन्नति के पद हैं न्यूनतम अनुभव निम्नवत् होगा :

---

*यथा नियम 2 में ।

पद	अनुभव
1—नर्सरी स्कूल की प्रधान अध्यापिका	न्यूनतम पांच वर्ष के अध्यापन अनुभव के साथ नर्सरी स्कूल की स्थायी अध्यापिका।
2—जूनियर बेसिक स्कूल के प्रधान अध्यापक/प्रधान अध्यापिका.	जूनियर बेसिक स्कूल के स्थायी सहायक अध्यापक या स्थायी सहायक अध्यापिका।
3—सीनियर बेसिक स्कूल के सहायक अध्यापक	जूनियर बेसिक स्कूल के स्थायी प्रधान अध्यापक।
4—सीनियर बेसिक स्कूल की सहायक अध्यापिका	जूनियर बेसिक स्कूल की स्थायी प्रधान अध्यापिका।
5—सीनियर बेसिक स्कूल के प्रधानाध्यापक	न्यूनतम तीन वर्ष के अध्यापन अनुभव के साथ सीनियर बेसिक स्कूल के स्थायी सहायक अध्यापक।
6—सीनियर बेसिक स्कूल की प्रधान अध्यापिका	न्यूनतम तीन वर्ष के अध्यापन अनुभव के साथ सीनियर बेसिक स्कूल की स्थाई सहायक अध्यापिका।

*15—क—पदोन्नति की प्रक्रिया—क—किसी पद के संबंध में पदोन्नति के लिए मानदंड अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता होगी।

ख—नियुक्ति प्राधिकारी पूर्णतया ज्येष्ठताक्रम में पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु एक सूची तैयार करेगी।

ग—नियुक्ति प्राधिकारी पात्र अभ्यर्थियों की सूची कोटिक्रम सूची, चरित्र पंजियां, और अभ्यर्थियों से संबंधित ऐसे अन्य अभिलेख के साथ जो चयन के लिए सुसंगत समझे जाएं, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

घ—चयन समिति कोटिक्रम सूची, चरित्र पंजियों की सहायता से जिसके अन्तर्गत रिक्ति से संबंधित वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती पांच वर्ष के

*यथा नियम 2 में।

अवधि के दौरान कार्य और आचरण का मूल्यांकन भी हो, अभ्यर्थियों के मामले पर विचार करेगी। यदि किसी ज्येष्ठ व्यक्ति की चयन में उपेक्षा की जाये तो चयन समिति द्वारा उसके कारण अभिलिखित किये जायेंगे।

8—चयन समिति अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करने के पश्चात यदि वह उचित समझे तो चयन किये गये अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी और उनके नाम उनके द्वारा धृत पद पर उनके ज्येष्ठता क्रम में रखेगी। चयन समिति यथाशक्य शीघ्र नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु तैयार की गयी चयन सूची को जिस पर प्रत्येक सदस्य के हस्ताक्षर होंगे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी। वरीयता क्रम में तैयार सूची में से नियुक्ति प्राधिकारी यथाक्रम लिखित आदेश द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत करेगा। ऐसे किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति न की जा सकेगी जिसका नाम चयन समिति द्वारा अनुमोदित सूची में यथाक्रम न हो।

अध्याय-4

अध्यापकों की सेवा शर्तें

*1—सेवा नियोजन—नियुक्ति प्राधिकारी चयन समिति की सिफारिश के सिवाय कोई भी नियुक्ति नहीं करेगा और नियुक्तियां समुचित सूची से उस क्रम में की जायेंगी जिसमें उनके नाम ऐसी सूची में आये हों।

स्पष्टीकरण—समुचित सूची का तात्पर्य चयन समिति द्वारा तैयार की गयी नियुक्ति एवं पदोन्नति हेतु चयन सूची से है।

*2—स्थानान्तरण—किसी अध्यापक का स्थानान्तरण ग्रामीण स्थानीय क्षेत्र से नगर स्थानीय क्षेत्र में या इसके विपरीत या किसी एक नगर स्थानीय क्षेत्र से उसी जिले के किसी अन्य नगर स्थानीय क्षेत्र में या एक जिले के स्थानीय क्षेत्र से किसी अन्य जिले के स्थानीय क्षेत्र को सिवाय अध्यापक के अनुरोध पर या उसकी सहमति से और दोनों ही दशा में परिषद् के अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा।

एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में स्थानान्तरित किये जाने की स्थिति में ज्येष्ठता क्रम में उसका नाम स्थानान्तरण का आदेश जारी किये जाने के दिनांक को उस स्थानीय क्षेत्र से जिसमें उसका स्थानान्तरण किया गया है संबंधित तत्स्थानीय वर्ग या श्रेणी के अध्यापकों की सूची में सबसे नीचे रख दिया जायेगा। ऐसा व्यक्ति किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

*3—ज्येष्ठता—किसी संवर्ग में किसी अध्यापक की ज्येष्ठता मौलिक रूप में उसकी नियुक्ति के दिनांक से अवधारित की जायेगी परन्तु दो या अधिक व्यक्ति एक ही दिनांक को नियुक्ति किये जायें तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम से अवधारित की जायेगी जिसमें उनके नाम चयन सूची में आये हों।

स्पष्टीकरण—सीधी भर्ती द्वारा चयन किया गया कोई अभ्यर्थी यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे तो वह अपनी ज्येष्ठता खो सकता है। किसी विशिष्ट मामले में कारण विधि मान्य हैं या नहीं इसके संबंध में विनिश्चय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

*4—परिवीक्षा—मौलिक रिक्त में नियुक्त किये जाने पर सभी व्यक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखे जायेंगे।

---

*उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 जो शिक्षा अनुभाग 5 की अधिसूचना सं0 20/15(5)–81–162–/73, दिनांक 3 जनवरी, 1981 को विज्ञापित की गई।

नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या परिषद् के अधीन किसी अन्य उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिये गणना करने की अनुमति दे सकता है। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है। जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक कि अवधि बढ़ाई जाय। ऐसे बढ़ाई गयी अवधि साधारणतया दो वर्ष से अधिक नहीं होगी। यथास्थिति परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्त प्राधिकारी को यदि यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं। इस प्रकार किये गये प्रत्यावर्तन अथवा सेवा समाप्ति की स्थिति में कोई भी व्यक्ति किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

*5—स्थायीकरण—किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यथास्थिति परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा यदि उसे स्थायीकरण के लिए उपयुक्त समझा जाये और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये।

*6—वेतनमान—किसी भी पद पर मौलिक या स्थानापन्न अथवा स्थायी रूप में नियुक्त व्यक्ति का अनुमन्य वेतन ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

*7—परिवीक्षा अवधि में वेतन—किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि के दौरान वेतनवृद्धि इस शर्त पर दी जायेगी कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय।

---

*यथा नियमों 1 में

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय तो इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति अधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

*8—दक्षतारोक पार करना—किसी अध्यापक को—

(क) प्रथम दक्षता रोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसे घोरतया और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य करता हुआ न पाया जाय और उसकी सत्य निष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय : और

(ख) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसकी सेवा का अभिलेख निरंतर अच्छा न रहा हो और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

*9—अधिवर्षता आयु—(1) प्रत्येक अध्यापक उस मास के, जिसमें उसने अपनी आयु के 60 वर्ष पुरे कर लिए हों, अन्तिम दिन के अपरान्ह में सेवा निवृत्त होगा—

परन्तु यदि कोई अध्यापक किसी शिक्षा सत्र (अर्थात् पहली जुलाई से 30 जून, तक) के दौरान सेवा निवृत्त होता हो तो वह शिक्षा सत्र के अन्त तक अर्थात् 30 जून तक कार्य करता रहेगा और ऐसी सेवा अवधि को नियोजन में बढ़ाई गयी अवधि समझा जायगा।

**(2) शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय राज्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले अध्यापकों/अध्यापिकाओं को यदि वे शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से पूर्ण स्वस्थ हैं, अधिवर्षता आयु के पश्चात् दो वर्ष का सेवा विस्तरण तथा सत्रान्त लाभ बेसिक शिक्षा अधिकारी/अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) द्वारा प्रदान किया जायेगा।

†(3) ऐसे अध्यापक/अध्यापिकायें जो वर्ष 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेन के कारण जेल गये थे जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन प्राप्त है तथा जो शारीरिक एवं मानसिक

---

*यथा नियम 1 में।

**राजाज्ञा सं0 1772/15 (14)–30 (67)–71, दिनांक 6 मई, 1982 के अनुसार तथा परिषद् के प्रस्ताव सं0 12 दिनांक 8–11–85 के अनुसार।

† राजाज्ञा सं0 3116/15 (14)–84–5 (19)–84 दिनांक 2 अगस्त, 1984 तथा परिषद् के प्रस्ताव सं0 11 दिनांक 8–11–1985 के अनुसार।

† रूप से पूर्णतया स्वस्थ हैं, को अधिवर्षता आयु के पश्चात् एक वर्ष का सेवा विस्तरण तथा तत्सम्बन्धी लाभ सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा प्रदान किया जायेगा।

सेवा विस्तरण आवेदन का प्रपत्र

(जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दो प्रतियों में प्रेषित किया जाय)

आवेदक द्वारा पूर्ति--

1--नाम तथा पद

2--विद्यालय जहां से अवकाश ग्रहण करना है

पोस्ट-----------विकास क्षेत्र-----------जनपद-----------

3--जन्म तिथि (प्रमाणित प्रतिलिपि राजपत्रित अधिकारी द्वारा)

4--अवकाश ग्रहण करने की तिथि

5--सेवा विस्तरण के बाद अवकाश ग्रहण करने की तिथि

6--मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें।

7--राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त करने का विवरण वर्ष सहित (प्रमाण-पत्र की सत्य प्रति राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित) संलग्न करें।

8--1942 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का प्रमाण-पत्र तथा 1942 के आन्दोलन में जेल जाने के प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतियां।

9--स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पेन्शन प्राप्त होने के प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतियां।

हस्ताक्षर आवेदनकर्त्ता,

(दिनांक सहित)।

---

†राजाज्ञा सं० 3116/15 (14)-84-5 (19)-84, दिनांक 2 अगस्त, 1984 के अनुसार।

(1) प्रति उप विद्यालय निरीक्षक/स0 उ0 वि0 निरीक्षिका

(2) उप विद्यालय निरीक्षक/उप विद्यालय निरीक्षिका।
शिक्षा अधीक्षक/अधीक्षिका

11—नियुक्ति अधिकारी को संस्तुति/आदेश

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

अति0 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला)।

दण्ड

*10—नियुक्ति प्राधिकारी उचित तथा पर्याप्त कारणों से परिषद् के अध्यापकों पर निम्नलिखित शास्तियां अधिरोपित कर सकता है—

(1) निन्दा करना,

(2) वेतन वृद्धियों को रोक देना, जिसके अन्तर्गत दक्षता रोक पर रोकना भी है,

(3) किसी निचले पद पर या काल वेतनमान में या किसी काल वेतनमान में निचले प्रक्रम पर अवनत करना,

(4) उपेक्षा या आदेशों का उल्लंघन करने के कारण परिषद् को हुई किसी धन सम्बन्धी हानि का पूर्णतः या अंशतः वेतन से वसूल करना,

(5) परिषद् की सेवा से इस प्रकार हटाना जिससे कि वह भविष्य में सेवायोजन के लिए अनर्ह हो जाय।

निलम्बन

*11—(1) किसी व्यक्ति को, जिसके आचरण के विरुद्ध जांच करना संकल्पित हो या जांच की जा रही हो, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकाधिकार से जांच के समाप्त होने तक निलम्बित किया जा सकता है।

(2) परिषद् के किसी कर्मचारी को जिसे निलम्बित किया जाय, उसकी निलम्बन की अवधि में निर्वाह भत्ता ऐसी दर से और ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए स्वीकृत किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश

---

*यथा नियम 1, अध्याय 2 में।

सरकार के सेवकों पर समय-समय पर प्रयोज्य हो और उक्त नियम परिषद् के कर्मचारियों पर आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे ।

अपील अधिकारी

12—सीनियर बेसिक स्कूलों के प्रधान अध्यापकों के मामले में अपील अधिकारी परिषद् अध्यक्ष हैं । अन्य सभी अध्यापकों के मामले में अपील अधिकारी परिषद् के सचिव रहेंगे ।

अपील

*13—(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिये गये ऐसे आदेश के विरुद्ध जिसके द्वारा परिषद् के किसी अध्यापक पर नीचे उल्लिखित कोई भी शास्ति आरोपित की जाय, अपील सम्बन्धित अपील प्राधिकारी को की जा सकेगी—

(क) किसी निचले पद पर या काल-वेतनमान में अथवा किसी काल-वेतनमान में निचले प्रक्रम पर अवनत करना,

(ख) परिषद् की सेवा से इस प्रकार हटाना जिससे कि वह भविष्य में सेवायोजन के लिए अनर्ह न हो जाय ।

(ग) परिषद् की सेवा से इस प्रकार पदच्युत करना जिससे कि वह साधारणतया भविष्य में सेवायोजन के लिए अनर्ह हो जाय ।

(2) ऐसी अन्य शास्तियों की दशा में जिसके विरुद्ध अपील करने को ऊपर (1) में कोई व्यवस्था नहीं है, परिषद् का दण्डित अध्यापक कोई अन्य शास्ति आरोपित किये जाने के विरुद्ध उस अधिकारी को, जिसे शिक्षा निदेशक सामान्य आदेशों से समय-समय पर तदर्थ निर्दिष्ट करें, अभ्यावेदन दे सकता है ।

†टिप्पणी—उपर्युक्त क्रम 2 के अन्तर्गत आने वाले अभ्यावेदनों के निस्तारण करने के लिए मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) को निर्दिष्ट किया गया है ।

(3) अनुशासनिक कार्यवाहियों, अपीलों तथा अभ्यावेदनों में सिविल सर्विसेज (क्लासीफिकेशन, कन्ट्रोल एण्ड अपील) रूल्स जैसा कि वह उत्तर प्रदेश सरकार के सेवकों पर प्रयोज्य है, में निर्धारित प्रक्रिया का यथासंभव अनुसरण किया जायेगा ।

---

*यथा नियम 1 अध्याय 2 में ।

†शिक्षा निदेशक (बेसिक) के आदेश सं० ब० शि० प० /17364 559/85-86, दिनांक 12 अगस्त, 1985 के अनुसार ।

अवकाश

†14—आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य प्रकार के अवकाश सहायक तथा प्रधान अध्यापकों/अध्यापिकाओं के मामले में ग्रामीण क्षेत्रों में उप विद्यालय निरीक्षक/निरीक्षका तथा नगर क्षेत्रों में शिक्षा अधीक्षक/अधीक्षिका द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि अवकाश स्वीकृति के कारण यदि परिणामी व्यवस्था करना भी प्रस्तावित हो तो नियुक्ति अधिकारी की पूर्वानुमति लेना आवश्यक होगा।

भविष्य निधि की स्थापना

*15—परिषद् अपने कर्मचारियों के लिये एक भविष्य निधि स्थापित करके उसका अनुरक्षण करेगी।

भविष्य निधि में अभिदान

**16—(क) प्रत्येक स्थायी कर्मचारी प्रति मास ऐसी दर से जो उसके वेतन के दस प्रतिशत से कम न हो और ऐसी दर से अधिक न हो जो परिषद् द्वारा समय-समय पर राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विहित की जाय, भविष्य निधि में अभिदान करेगा। अभिदान की धनराशि पूरे रुपयों में होगी।

**(ख) उपनियम "क" के अधीन किसी कर्मचारी द्वारा अभिदान की जाने वाली धनराशि उसके वेतन से काट ली जायेगी और इस हेतु नियम 15 के अधीन स्थापित भविष्य निधि में तुरन्त जमा कर दी जायेगी।

**(ग) परिषद् अधिनियम "ख" के अधीन वेतन से की गयी कटौती की धनराशि के आधे के बराबर अंशदान करेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी दशा में ऐसा अंशदान कर्मचारी के वेतन के बीसवें भाग के बराबर धनराशि से अधिक नहीं होगा।

---

†परिषद् का निर्णय दिनांक 5 दिसम्बर, 1975—परिपत्र सं० शि० म०/2825-584-एक-2 (256)-75-76, दिनांक 6 जनवरी, 1976 द्वारा प्रसारित।

*उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा भविष्य निधि नियमावली, 1975 जो अधिसूचना संख्या 5333/15 (5)-334-73, दिनांक 10 जुलाई, 1975 द्वारा विज्ञापित हुई।

**शासनादेश संख्या 4992 (1)/15 (5)-79-480-74, दिनांक 30 जुलाई, 1979 द्वारा विज्ञापित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा भविष्य निधि, प्रथम संशोधन नियमावली, 1979।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो या तो सम्बद्ध नगर महापालिकाओं की पेन्शन विनियमावली या जिला परिषद् कर्मचारी सेवा निवृति लाभ नियमावली 1972 के अन्तर्गत आते हों, भविष्य निधि में कोई अंशदान नहीं करेगी।

*17—शासनादेश संख्या 5197/15 (5)–79–77, दिनांक 8 मार्च, 1978 द्वारा स्वीकृत नवीन पेन्शन योजना का विकल्प लेने वाले अध्यापकों पर उत्तर प्रदेश भविष्य निधि 2975 के अधीन अंशदायी भविष्य निधि योजना के आधार पर 1 मार्च, 1977 से सामान्य भविष्य निधि योजना लागू होगी। इसके अधीन उनके वेतन से भविष्य निर्वाह निधि की कटौती राज्य कर्मचारियों पर लागू दर से की जायेगी, जो सम्प्रति मूल वेतन का 10% है। उन्हें इस पर परिषदीय अंश के रूप में कोई अंशदान देय न होगा बल्कि इस पर निर्धारित दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।

उपर्युक्त विकल्प लेने वाले शिक्षकों के अंशदायी भविष्य निधि खाते में वह सब धनराशि जो 28 फरवरी, 1977 तक परिषदीय अंशदान के रूप में जमा की गयी हो या जमा होने योग्य हो ब्याज सहित शिक्षा के प्राप्ति शीर्षक "077–क—सामान्य (ई) अन्य प्राप्तियां—13 प्रकीर्ण" के अन्तर्गत जमा कर दी जायेगी।

प्रतिबन्ध यह भी है कि मार्च, 1977 के बाद परिषद् द्वारा नियुक्त किये गये अध्यापकों पर सामान्य भविष्य निर्वाह निधि योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी।

अंशदान का जमा किया जाना

†18—राज्य सरकार के किन्हीं भी निर्देशों के अधीन रहते हुए इस हेतु स्थापित भविष्य निधि का लेखा सरकारी कोषागार में खोला जायेगा।

---

*राजाज्ञा संख्या शिक्षा–5/5197/15 (5)–76–77, दिनांक 8 मार्च, 1978 के अनुसार।

†यथा नियम 15 में।

यदि भविष्य निधि का लेखा सरकारी कोषागार में खोला जाय तो अभिदाता के नाम जमा की गयी धनराशि पर देय ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा ।

अभिदाताओं का लेखा

*19—परिषद् प्रत्येक अभिदाता के सम्बन्ध में परिशिष्ट 2 तथा 3 में उल्लिखित प्रपत्र पर एक वैयक्तिक खाता बही रखेगी । वैयक्तिक खाता बही में :—

(क) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की धारा 6 के अधीन नियुक्त किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में निम्नलिखित जमा किया जायगा :—

(1) इस नियमावली के अधीन अभिदाता तथा परिषद् द्वारा किये गये समस्त अभिदान ।

(2) नियम 22 तथा नियम 23 के अधीन अग्रिमों के प्रतिदान में अभिदाता द्वारा जमा की गयी समस्त धनराशि ।

(3) इस नियमावली के प्रारम्भ में होने के ठीक पूर्व परिषद् के नियंत्रणाधीन भविष्य निधि में अभिदाता के नाम जमा समस्त धनराशि यदि कोई हो, और

(4) इसमें इसके पूर्व उल्लिखित धनराशियों पर प्रोद्भावी ब्याज यदि कोई हो ।

(ख) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की धारा 9 के अधीन स्थानान्तरित किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में—

(1) इस नियमावली के अधीन अभिदाता तथा परिषद् द्वारा किये गये समस्त अभिदान,

(2) नियम 24 तथा 25 के अधीन अग्रिमों के प्रतिदान में अभिदाता द्वारा जमा की गयी समस्त धनराशि ।

(3) स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन परिषद् को अन्तरित किसी भविष्य निधि में धनराशि, यदि कोई हो,

(4) इस नियमावली के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व परिषद् के नियत्रणाधीन भविष्य निधि में अभिदाता के नाम जमा धनराशि यदि कोई हो, और,

(5) इसमें इसके पूर्व उल्लिखित [धनराशियों पर] प्रोद्भावी ब्याज, यदि कोई हो।

निधि से प्रत्याहरण

*20—अभिदाता को वैयक्तिक खाता बही में तत्समय जमा धनराशि—

(क) उसके पदत्याग करने, सेवा निवृत होने या किसी अन्य सेवा में अन्तरित होने या अन्य प्रकार के परिषद् का कर्मचारी न रहने पर अभिदाता को देय होगी।

(ख) परिषद् के अधीन उसके सेवा में बने रहने के दौरान या परिषद् का कर्मचारी न रहने के पश्चात् किन्तु धनराशि का भुगतान किये जाने के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने पर नियम 23 के अधीन भुगतान पाने के लिए नाम निर्देशित व्यक्ति या व्यक्तियों को और ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में अभिदाता के उत्तराधिकारियों के देय होगी।

कतिपय मामलों में भुगतान पर रोक

*21—यदि परिषद् ने ऐसे अभ्यर्पण (एसाइनमेंट) या विल्लंगम (एनकम्बरेन्स) की नोटिस प्राप्त की हो, जिससे अभिदाता को जमा धनराशि के निस्तारण पर प्रभाव पड़ता हो तो वह अभिदाता की ऐसी सम्पूर्ण धनराशि के या उसके किसी भाग के भुगतान को रोक सकती है और इस प्रकार रोक ली गयी धनराशि ऐसे अभ्यर्पण या विल्लंगम के सम्बन्ध मे कार्यवाही करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी के निदशानुसार संवितरित (डिसबर्स्ड) की जायेगी।

†22—अस्थायी अग्रिम

(1) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को यह समाधान हो जाय कि अभिदाता की आर्थिक परिस्थितियां ऐसी हैं जो इस नियम के अधीन किसी कार्यवाही को न्यायोचित ठहराती है तो वह अभिदाता के आवेदन-पत्र देने पर उसे नीचे दी गयी सीमा तक भविष्य निधि में अस्थायी अग्रिम लेने की अनुमति दे सकता है।

(क) गृह निर्माण या क्रय करने के लिए 12 माह से अधिक का वेतन या आवेदन पत्र दिये जाने के दिनांक को भविष्य निधि में अभिदाता के नाम जमा धनराशि का आधा इसमें से, जो भी कम होगा।

*यथा नियम 15 मे

†यथा नियम 16 में

(ख) अपनी पुत्री या पुत्र के विवाह के व्यय को पूरा करने के लिए छः माह से अनधिक का वेतन या आवेदन-पत्र दिये जाने के दिनांक को भविष्य निधि में अभिदाता के नाम जमा धनराशि का आधा, इसमें से जो भी कम हो या

(ग) उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) में उल्लिखित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए व्यय को पूरा करने के लिए तीन माह से अनधिक का वेतन या आवेदन-पत्र दिये जाने के दिनांक को भविष्य निधि में अभिदाता के नाम जमा धनराशि का आधा, इसमें से जो भी कम हो।

(2) पूर्ववर्ती खण्ड (ग) के अधीन कोई अग्रिम नहीं दिया जायेगा जब तक कि वह निम्नलिखित से सम्बन्धित व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित न हो—

(क) अभिदाता या उनके कुटुम्ब के किसी सदस्य की बीमारी प्रसवावस्था या निरोग्यता, या

(ख) अन्त्येष्टि या अन्य समारोह जिनका सम्पादन करना अभिदाता के लिए बाध्यकर है या

(ग) अभिदाता पर पूर्णतः आश्रित किसी व्यक्ति की शिक्षा या

(घ) कोई अन्य बात जिसको सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा युक्तियुक्त और अपरिहार्य समझा जाय।

(3) जहां अभिदाता को पहले से कोई अग्रिम दिया गया हो वहाँ उपनियम (1) के अधीन कोई अग्रिम नहीं दिया जायेगा जब तक कि पहले के लिये गये अग्रिम का पूर्ण प्रतिदान न कर दिया जाय।

* 23—राष्ट्रीय विकास योजना आदि में विनियोजित करने के लिए अग्रिम

नियुक्ति प्राधिकारी नियम 22 में अधिकथित निर्बन्धनों को शिथिल कर सकता है और ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के (जिनके अन्तर्गत प्रतिदान के सम्बन्ध में शर्तें, यदि कोई हों, भी हैं) अधीन रहते हुए जिन्हें वह

† यथा नियम 16 में

* यथा नियम 15 में

अधिरोपित करना आवश्यक समझें, राष्ट्र निर्माण के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा चालू किये गये ऋण में या प्रारम्भ की गयी या चलायी गयी किसी वित्तीय योजना में अभिदान करने के लिए अभिदाता को अग्रिम दे सकता है।

* 24—अग्रिम की वसूली

(1) नियम 22 के अधीन अभिदाता को भुगतान की गयी किसी धनराशि की वसूली —

(क) तीन मास तक के वेतन की स्थिति में चौबीस से अनधिक किस्तों में।

(ख) छः मास तक के वेतन के अग्रिम की स्थिति में छत्तीस से अनधिक किस्तों में।

(ग) बारह मास तक के वेतन के अग्रिम की स्थिति में अड़तालिस से अनधिक किस्तों में उनके वेतन से अनिवार्य कटौती करके की जावेगी और यह नियम 15 के अधीन उसके द्वारा किये गये अभिदान के अतिरिक्त होगी।

प्रतिबन्ध यह है कि अभिदाता अपने विकल्प पर यथास्थिति चौबीस या छत्तीस या अड़तालिस से कम किस्तों में प्रतिदान कर सकता है या एक बार में दो या अधिक किस्तों का प्रतिदान कर सकता है।

(2) उपनियम (1) के अधीन कटौतियां प्रतिमास की जावेंगी जो अग्रिम के आहरण होने और भुगतान कर दिये जाने के पश्चात् पूरे मास के वेतन का प्रथम भुगतान किये जाने से प्रारम्भ होगी।

ब्याज की वसूली

† 25—(1) अभिदाता नियम 22 के अधीन उसे भुगतान की गयी धनराशि पर भुगतान के दिनांक से नियम 24 के अनुसार उसका पूर्ण प्रतिदान किये जाने के दिनांक तक की अवधि के लिए 1/5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज का भुगतान करेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे मुस्लिम अभिदाताओं से जिनके भविष्य निधि में जमा धनराशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता, ब्याज के मध्य

---

*यथा नियम 16 में

† यथा नियम 15 में

उस निधि में अतिरिक्त किश्तों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(2) ब्याज साधारणतया मूलधन के पूर्ण प्रतिदान के पश्चातवर्ती महीने में एक किस्त में वसूल किया जायेगा, किन्तु यदि उपनियम (1) में निर्दिष्ट अवधि बीस महीने से अधिक हो, तो उसे, यदि अभिदाता ऐसा चाहे, दो समान मासिक किस्तों में वसूल किया जायेगा।

नाम निर्देशन

†26—(1) प्रत्येक अभिदाता से उसके भविष्य निधि का सदस्य हो जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिशिष्ट 4 में उल्लिखित प्रपत्र में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा जायगा, जिसमें उससे ऐसे व्यक्तियों के नाम तथा वह रीति विनिर्दिष्ट करने के लिए कहा जायेगा, जिन्हें तथा जिसके अनुसार अभिदाता के नाम जमा धनराशि का भुगतान उसकी मृत्यु हो जाने पर किया जायेगा।

(2) उप नियम (1) अधीन की गयी घोषणा में समय-समय पर पुनरीक्षण किया जा सकता है और नई घोषणा उसके ठीक पूर्व की घोषणा के स्थान पर उस दिनांक से प्रवर्तनीय होगी, जब वह नियुक्ति प्राधिकारी को प्राप्त होगी।

(3) ऐसी सभी घोषणायें जो प्रवृत्त हैं, नियुक्ति प्राधिकारी की वैयक्तिक अभिरक्षा में सावधानी से अभिलिखित की जायेंगी।

कतिपय मामलों में भुगतान पर रोक

† 27—(1) परिषद से सेवा से पदच्युत किसी कर्मचारी की दशा में, उसके लेखे में अपने द्वारा किये गये सम्पूर्ण अंशदान या उसके किसी भाग को उस पर प्रोद्भूत ब्याज के सहित रोक सकती है।

(2) उपनियम (1) के अधीन रोकी गयी कोई भी धनराशि भविष्य निधि की धनराशि से प्रत्याहृत करके बेसिक शिक्षा निधि में जमा की जायेगी।

अभिदान का समपहरण

†28—किसी कर्मचारी द्वारा भविष्य निधि में अभिदत्त धनराशि किसी ऐसे अपराध के सिवाय जिसके लिए विधि द्वारा अपराधी को

---

† यथा नियम 15 में

सम्पूर्ण सम्पत्ति के समपहरण (फ़ार फीचर) की शस्ति विहित की गयी हो, पदच्युत किये जाने या दण्डित (क्रिमिनल) न्यायालय द्वारा दोष-सिद्ध होने पर समपहृत नहीं की जायेगी।

लेखे का विवरण जो प्रस्तुत किया जाय

† 29—(1) वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, प्रत्येक अभिदाता को परिशिष्ट-5 में दिये गये प्रपत्र में एक विवरण दिया जायेगा।

(2) अभिदाता ऐसे विवरण के सही होने के सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा। जब तक कि इस विवरण के प्राप्त होने के दिनांक से एक माह के भीतर उसकी गलतियों को नियुक्ति प्राधिकारी की जानकारी में न लाया जाय, नियुक्ति प्राधिकारी या परिषद् विवरण को किसी गलती या लोप के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे

अवकाश के दौरान अभिदान

† 30—कोई भी कर्मचारी, जब वह अपने अवकाश से सम्बन्धित नियमों के अधीन विशेषाधिकार अवकाश या औसत वेतन के अवकाश से भिन्न अवकाश पर हो, भविष्य निधि में अभिदान नहीं करेगा।

लेखे का बन्द किया जाना

† 31—अभिदाता द्वारा परिषद की सेवा छोड़ देने पर उसका लेखा बन्द कर दिया जायेगा और यदि उसके नाम जमा धनराशि एक वर्ष के भीतर प्रत्याहृत न करली जाय, उक्त लेखा निष्क्रिय लेखे के रूप म बट्टे खाते में डाला जायेगा और उस पर इस प्रकार के लेखे का प्रयोज्य नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रतिभूतियों में विनियोजन

† 32—परिषद नियम—19 में दी गयी किसी बात के होते हुए भी भविष्य निधि में कोई धनराशि प्रत्याहृत की जा सकती है और इस प्रकार प्रत्याहृत धनराशि को डाक, नकद प्रमाण पत्र, सावधि जमा या अन्य सरकारी प्रतिभूतियों म विनियोजित कर सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि भविष्य निधि में ऐसी धनराशि रोक रखी जायेगी जो इस नियमावली के अधीन पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी माह में निकाली गयी सबसे बड़ी धनराशि के बराबर हो।

† यथा नियम 15 में

बेसिक शिक्षा निधि से भुगतान के सम्बन्ध में निदेश

† 33—यदि किसी समय भविष्य निधि नियमों के अधीन भुगतान के लिए अपेक्षित धनराशि भविष्य निधि लेखा की जमा में धृत शेष से अधिक हो, तो ऐसी अतिरिक्त धनराशि का भुगतान बेसिक शिक्षा निधि से किया जायेगा और बाद में उसे नियम-15 के अधीन किये अभिदान से वसूल कर लिया जायेगा।

अस्थायी कर्मचारियों पर लागू होना

†*34—परिषद राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से अपने भविष्य निधि नियम परिषद के किसी वर्ग या वर्गों के अस्थायी कर्मचारियों पर भी लागू कर सकता है।

बचत एवं सामूहिक जीवन बीमा

* 35—बचत एवं बीमा योजना से सम्बन्धित समस्त विषयों में राज्य सरकार सदस्य के लिये और उसकी ओर से कार्य करेगी और इस नियमावली के अधीन निगम द्वारा किया गया कोई कार्य या निगम के साथ किया गया कोई करार या राज्य द्वारा निगम को दी गयी कोई नोटिस सदस्य पर बंधनकारी होगी।

* 36—पात्रता—

(क) 18 से 60 वर्ष तक के बीच की आयु का प्रत्येक अध्यापक जो अस्थायी आधार पर या केवल एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्त किया गया अध्यापक न हो योजना का सदस्य होने का पात्र होगा।

(ख) उप नियम (क) के विनिर्दिष्ट प्रत्येक अध्यापक योजना के प्रारम्भ होने के दिनांक से या पात्रता के दिनांक से जो भी बाद में हो योजना में सम्मिलित होगा।

(ग) ऐसा कोई भी सदस्य जो इस नियमावली के अधीन पात्र हो योजना से अपनी सदस्यता वापस नहीं लेगा।

---

* उत्तर प्रदेश बेसिक स्कूल अध्यापक बचत एवं बीमा नियमावली 1976 की अधिसूचना सं० शिक्षा/(5)-5544/15(5)-76-422-75, दिनांक 19 अगस्त, 1976 द्वारा विज्ञापित की गई।

† यथा नियम 15 में

* 37—आयु साक्ष्य—योजना के प्रयोजनों के लिए सदस्य की आयु जैसी कि सेवायोजक के सेवा अभिलेख में अभि लिखित हो निगम द्वारा स्वीकार की जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत बीमा की सुरक्षा राशि स्वीकर करने के लिए किसी स्वास्थ्य साक्ष्य की आवश्यकता न होगी।

*38—अंशदान—सामूहिक जीवन बीमा योजना में अध्यापक का अंशदान 20 रुपया प्रति मास होगा। राज्य शासन भी अपना नियत अंशदान करेगा। सेवाकाल में उल्लिखित किसी अध्यापक की मृत्यु होने पर 20,000 रुपये का बीमा धन देय होगा।

* 39—हिताधिकारी की नियुक्ति—प्रत्येक सदस्य अपने/अपनी, पति/पत्नी अपने बच्चे या आश्रित में से एक या अधिक को और उनके न रहने पर अपने विधिक प्रतिनिधि को परिशिष्ट-6 में दिये गये प्रपत्र में अपने हिताधिकारी या हिताधिकारियों के रूप में नियुक्त करेगा। सदस्य को अनुमन्य लाभ का भुगतान उसकी मृत्यु की दशा में ऐसे हिताधिकारी या हिताधिकारियों को किया जायेगा।

*40—दावा—मरणोत्तर दावों को निपटाने के लिए निम्नलिखित अपेक्षित होगा :—

(क) नगर पालिका या स्थानीय प्राधिकारी से प्राप्त मृत्यु का प्रमाण पत्र या मृत्यु के सम्बन्ध में ऐसे अन्य साक्ष्य जिसे राज्य सरकार संतोषजनक समझे।

(ख) शिक्षा निदेशक, उ0 प्र0 से विहित प्रपत्र में इस बात का प्रमाण- पत्र कि मृतक योजना के अन्तर्गत था और उसमें योजना में प्रविष्टि का और उसे छोड़ने का दिनांक उल्लिखित किया जायेगा।

सेवा समाप्त होने या सेवा निवृत्त होने पर दावा के निपटारे के लिए शिक्षा निदेशक, उ0 प्र0 से उपयुक्त प्रमाण-पत्र अपेक्षित होगा जिसमें यह उल्लिखित किया जायेगा कि सदस्य योजना के अन्तर्गत था। नियम-सदस्य के या उसकी मृत्यु की दशा में उसके द्वारा नियुक्त हिताधिकारी के दावा का निपटारा सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से करेगा। योजना के अधीन लाभ भारत में भारतीय मुद्रा में देय होगा। राज्य सरकार भुगतान करने के पूर्व

* यथा नियम 35 में।

आयकर वा सम्पत्तिकर का यदि कोई हो कटौती करने की हकदार होगी ।

†41—सेवा निवृत्त होने या त्यागपत्र अथवा सेवा समाप्ति आदि कारणों से सेवा में न रहने पर प्रत्येक अध्यापक को जीवन बीमा निगम द्वारा निर्धारित धनराशि मिलेगी । वह धनराशि सेवा में न रहने के दिनांक से अनुवर्ती मास के प्रथम दिनांक को देय हो जायेगी और अध्यापक के उसके स्वयं के अंशदान से कम नहीं होगी । प्रतिबंध यह है कि अध्यापक के 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के पश्चात् सेवा का विस्तार किये जाने पर अध्यापक के सेवा में बने रहने पर भी 60 वर्ष की आयु पूरी करने के दिनांक के अनुवर्ती मास के प्रथम दिनांक को यह धनराशि देय हो जायेगी ।

पेंशन (लाभत्रयी योजना के अन्तर्गत)

*42—कोई अध्यापक निम्नलिखित अवस्थाओं में पेंशन का हकदार होगा—

(1) अधिवर्ष वय प्राप्त करके सेवानिवृत होने अथवा अधिवर्ष के बाद की सेवा की बढ़ाई गयी अवधि समाप्त होने पर ।

(2) 25 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी कर लेने के पश्चात् स्वेच्छा से सेवा निवृत होने पर ।

(3) आगे सेवा के लिए स्थायी रूप से असमर्थ होने के चिकित्सा, प्रमाण पत्र के अधीन अधिवर्ष के पूर्व सेवानिवृत होने पर ।

(4) पद समाप्त होने अथवा किसी संस्था के बन्द होने अथवा अन्य वैध कारणों से प्रमुक्त (डिसचार्ज) होने पर ।

टिप्पणी—(1) किसी अध्यापक के अधिवर्ष वय का दिनांक उसके जन्म दिनांक से, जैसा कि वह उसकी सेवा पुस्तिका अथवा अन्य अभिलेखों में दर्ज है, गिना जायेगा । यदि केवल जन्म का वर्ष ही ज्ञात हो और मास ज्ञात न हो तो वर्ष की पहली जुलाई जन्म का दिनांक माना जायेगा । इसी प्रकार यदि जन्म के वर्ष तथा मास ज्ञात हों परन्तु दिनांक ज्ञात न हो तो मास का 16 वां दिनांक जन्म का दिनांक माना जायेगा ।

(2) कोई भी अध्यापक 25 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात् किसी भी समय स्वेच्छापूर्वक सेवानिवृत्त हो सकता है किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह उस दिनांक से जब से वह निवृत्त होना चाहता है, कम से कम तीन मास पूर्व नियुक्ति अधिकारी को इस सम्बन्ध में एक लिखित नोटिस देगा ।

---

†यथा नियम 35 में

*राजाज्ञा संख्या ए-5355/15-5133—1962, दिनांक 17-12-1965 द्वारा लागू लाभत्रयी योजना के अनुसार ।

*43—पेंशन की गणना—पेंशन की वह धनराशि, जो स्वीकृत की जाय, अर्हकारी सेवा की अवधि के आधार पर निश्चित की जायेगी। पेंशन की गणना करने में वर्ष के भागों को गणना नहीं की जायेगी। पाँच पैसे निकटतम गुणन तक पेंशन की गणना की जायेगी।

(क) मिलने वाली पूरी पेंशन तब तक न स्वीकृत की जायेगी जब तक कि की गयी सेवा संतोषप्रद न समझी जाय तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अनुमोदन न की जाय।

(ख) यदि सेवा पूर्णतया संतोषप्रद न रही हो तो पेंशन स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी (जिला विद्यालय निरीक्षक) पेंशन की धनराशि में ऐसी कटौती कर सकता है जिसे वह उचित समझे।

*44—(क) पेंशन के लिए सेवा की गणना तब तक न की जायेगी जब तक कि अध्यापक कोई मौलिक पद धारण न करता हो,

(ख) यदि किसी अध्यापक को लगातार अस्थायी अथवा स्थानापन्न सेवा के बाद बिना किसी व्यवधान के उसी पद पर अथवा किसी अन्य पद पर स्थायी कर दिया गया हो तो वह सेवा अर्हकारी सेवा के रूप में गिनी जायेगी।

(ग) बगैर भत्ते की छुट्टी, किसी विशिष्ट शास्ति (पेनाल्टी) के रूप में किये गये निलम्बन की अवधि सेवा में कार्य ग्रहण करने का समय बीत जाने के बाद भी उपस्थित न होने की अवधि अथवा ऐसी छुट्टी, जो बाद में विनियमित न की गयी हो तथा सेवा विच्छेद अवधियों की गणना अर्हकारी सेवा के रूप में नहीं की जायेगी।

(घ) अध्यापक के किसी दोष के बिना उसकी सेवा समाप्त करने के कारण सेवा की दो अवधियों के बीच की सेवा विच्छेद की अवधियों को ऐसा व्यवधान नहीं माना जायेगा जिससे पिछली अर्हकारी सेवा राज्यसात (फारफीट) होती हो। अन्य मामलों में दूसरे कारणों से सेवा विच्छेद के परिणाम स्वरूप पिछली सेवा राज्यसात हो जायेगी सिवाय उस दशा के जब सरकार द्वारा उसकी माफी दी गयी हो।

(ङ) अर्जित छुट्टी पर व्यतीत किया गया समय पूर्णतया अर्हकारी सेवा के रूप में गिना जायेगा। परन्तु भत्तों सहित

---

*यथा नियम 42 में

अन्य प्रकार की छुट्टी पर व्यतीत किया गया। समय निम्न-लिखित रूप में अर्हकारी सेवा के रूप में गिना जायेगा।

(1) यदि कुल सेवा 15 वर्ष से कम न हो तथा 30 वर्ष से कम हो तो ऐसी छुट्टी का 1 वर्ष अर्हकारी सेवा के रूप में गिना जायगा।

(2) यदि कुल सेवा 30 वर्ष से कम न हो तो ऐसी छुट्टी के के दो वर्ष अर्हकारी सेवा के रूप में गिने जायेंगे।

टिप्पणी--(1) शब्द अर्जित छुट्टी का तात्पर्य पूरे औसत वेतन पर छुट्टी से है। (2) किसी विवाहित अध्यापिका की दशा में प्रसूति छुट्टी पर व्यतीत किये गये समय को अर्हकारी सेवा के रूप में गिन जाने की अनुमति दी जा सकती है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी छुट्टी की भी अवधि उस अवधि से अधिक न हो जो उसे मिल सकती है। यदि वह सम्पूर्ण अर्जित छुट्टी जिसके लिए वह हकदार, हो, लेती। (3) कुल सेवा का तात्पर्य वह कुल सेवा है जो पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा के आरम्भ होने के दिनांक से गिनी जाती है और जिसमें ऊपर उल्लिखित छुट्टी की अवधियां सम्मिलित हैं। (4) किसी अध्यापक द्वारा उसके 18 वर्ष का वय पूर्ण करने के पूर्व की गयी सेवा अथवा अधिवर्ष वय प्राप्त कर लेने के पश्चात् जब तक कि उसकी अवधि सक्षम अधिकारी द्वारा बढ़ा न दी जाय अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनर्नियुक्ति पर की गयी सेवा पेंशन के लिए अर्ह न होगी। (5) सेवा पुस्तिका में किसी कर्मचारी के स्थायीकरण से सम्बन्धित प्रविष्टि नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जायेगी।

(6) अन्य मामलों में अर्हकारी सेवा सरकार द्वारा निश्चित की जायेगी और उसका निर्णय अन्तिम होगा।

*45—पेंशन स्वीकृत करने के लिए नियंत्रक प्राधिकारी अपने विवेकानुसार किसी अध्यापक को अर्हकारी सेवा म छः मास तक की कमी की माफी दे सकता है यदि उसकी अर्हकारी सेवा 9 वर्ष से अधिक परन्तु 10 वर्ष से कम हो।

*46—कोई कर्मचारी 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी कर लेने के बाद ही सेवा के लिए प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अन्तिम तीन वर्षों की अपनी औसत उपलब्धियों के 1/120 की दर से अधिवर्षिकी/सेवा निवृत्ति/अशक्तता पेंशन का पात्र होगा किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह दर ऐसी उपलब्धियों

---

*यथा नियम 48में

को अधिक से अधिक 30/120 अथवा 60 रुपया प्रति माह की निर्धारित अधिकतम सीमा के, उनमें से जो भी कम हों, बराबर हो। दूसरे शब्दों में पेंशन की दर अर्हकारी सेवा के पूरे वर्ष/120×अन्तिम तीन वर्षों की औसत उपलब्धि।

*47—पेंशन भोगी को कम से कम 6 महीनों में एक बार अपने पेंशन की स्वीकृति देने वाले नियंत्रक अधिकारी के समक्ष अपने जीवित रहने की जांच के लिए उपस्थित होना पड़ेगा तथा अपने पेंशन भुगतान आदेश पर प्रतिहस्ताक्षर कराने होंगे।

*48—पेंशन भुगतान आदेश (पेंशन पेमेन्ट आर्डर) पेंशनर के मृत्यु होने के 7 दिन के भीतर उस बेसिक शिक्षा अधिकारी को जहां से पेंशन भोगी पेंशन प्राप्त करता था अवश्य समर्पित कर दिया जाय।

*49—परिवार पेंशन (लाभत्रयी योजना के अन्तर्गत)—परिवार पेंशन के लिए परिवार में अध्यापक पर पूर्णतया आश्रित ये सम्बन्धी होने चाहिए। (क) पत्नी, पति (ख) पुत्र तथा अविवाहित एवं विधवा पुत्रियां (इसमें सौतेले तथा दत्तक बच्चे भी शामिल हैं। (ग) अठारह वर्ष से कम आयु के भाई तथा अविवाहित और विधवा बहन (इसमें भाई तथा सौतेली बहनें भी शामिल हैं) (घ) माता-पिता (ङ) विवाहित पुत्रियां) इसमें सौतेली पुत्रियां भी शामिल हैं, तथा (च) पूर्व मृत पुत्र के बच्चे।

*50—परिवार पेंशन की धनराशि निम्नलिखित होगी :—

(1) सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने की दशा में उस अधिवार्षिकी पेंशन की आधी धनराशि जो कि उक्त कर्मचारी को मिल सकती है यदि वह मृत्यु के दिनांक के बाद के दिनांक को सेवानिवृत्त हो गया होता और,

(2) सेवा निवृत्ति के बाद मृत्यु हो जाने की दशा में उक्त कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति के समय स्वीकृत पेंशन की आधी धनराशि।

*51—परिवार पेंशन, जो उक्त नियम में निर्दिष्ट धनराशि से अधिक न हो, उस अध्यापक के परिवार को 10 वर्ष तक स्वीकृत की जा सकती है जिसकी मृत्यु कम से कम 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा-पूरी करने के बाद या तो सेवा में रहते हुए हुई हो अथवा सेवा निवृत्ति के बाद हुई हो किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी दशा में परिवार पेंशन के भुगतान की अवधि उस दिनांक से, जब मृत अध्यापक ने अधिवर्ष की वय प्राप्त कर ली होती, पांच वर्ष की अवधि से अधिक न होगी।

---

*यथा नियम 42 में

टिप्पणी—उन दशाओं, में जिनमें अर्हकारी सेवा निर्धारित न्यूनतम अवधि से कम हो, इस कमी की माफी नहीं दी जानी चाहिए।

*52—कोई परिवार पेंशन निम्नलिखित को देय न होगी :—

(क) परिवार की अविवाहित सदस्या को उसके विवाह होने की दशा में,

(ख) परिवार की विधवा सदस्या को उसके पुनर्विवाह की दशा में,

(ग) मृत अध्यापक के भाई को उसकी आयु 18 वर्ष हो जाने पर।

(घ) ऐसे व्यक्ति को, जो मृतक परिवार का सदस्य नहीं है।

*53—सिवाय उस दशा के, जिसकी व्यवस्था नियमों के अन्तर्गत नामांकन द्वारा की गयी हो, पेंशन निम्नलिखित को दी जायेगी—

(क) ज्येष्ठतम जीवित विधवा को अथवा पति को जैसी भी दशा हो।

(ख) उपर्युक्त (क) के न होने पर ज्येष्ठतम जीवित पुत्र को।

(ग) उपर्युक्त (क), (ख) के न होने पर ज्येष्ठतम जीवित अविवाहित पुत्री को।

(घ) इनके न होने पर ज्येष्ठतम विधवा पुत्री को।

(ङ) इनके न होने पर पिता को।

(च) पिता के भी न होने पर माता को।

(छ) पिता और माता दोनों के न होने पर 18 वर्ष से कम आयु के ज्येष्ठतम जीवित भाई को।

(ज) इनके भी न होने पर ज्येष्ठतम जीवित अविवाहित बहन को।

(झ) इनके भी न होने पर जीवित विधवा बहन को।

(ञ) इनके भी न होने पर पूर्व मृत पुत्र के बच्चों को उस क्रम में जिसमें वह उपर्युक्त (ग) और (घ) के अधीन मृतक के बच्चों को देय हो।

---

*यथा नियम 42 में

टिप्पणी—ज्येष्ठतम जीवित विधवा का आशय, अध्यापक के साथ हुए विवाह के दिनांक के अनुसार ज्येष्ठता के प्रसंग में समझा जाय न न कि जीवित विधवाओं की आयु के प्रसंग में ।

.54—नवीन पेंशन योजना के विशेष उपबन्ध—1 मार्च, 1977 या उसके बाद सेवा निवृत्त होने वाले ऐसे समस्त स्थायी एवं पूर्णकालिक तथा नियमित शिक्षकों को, जो नवीन पेंशन योजना का विकल्प दें, पेंशन उसी दर पर अनुमन्य होगी जो राजकीय कर्मचारियों के लिए समय-समय पर शासन द्वारा निश्चित की जायेगी ।

.55—इन शिक्षकों पर नियम 15 से 34 तक उल्लिखित भविष्य निधि नियमों के अधीन अंशदायी भविष्य निधि योजना के स्थान पर 1 मार्च, 1977 से सामान्य भविष्य निर्वाह निधि योजना लागू होगी । इसके अधीन उनके वेतन से भविष्य निर्वाह निधि की कटौती राज्य कर्मचारियों पर लागू दर से की जायेगी । जो सम्प्रति मूल वेतन का 10 प्रतिशत है । उन्हें इस पर परिषदीय अंश के रूप में कोई धनराशि देय न होगी बल्कि इस पर निर्धारित दर से वार्षिक ब्याज देय होगा ।

.56—इन शिक्षकों के अंशदायी भविष्य निधि खाते से वह सब धनराशि जो परिषदीय अंशदान के रूप में जमा की गयी हो या जमा होने योग्य हो संकलित ब्याज सहित शिक्षा के प्राप्त शीर्षक—077 शिक्षा 8—च—सामान्य (ई) अन्य प्राप्तियां—13 प्रकीर्ण के अन्तर्गत जमा की जायेगी तथा शिक्षकों के जमा अंशदान की समस्त धनराशि संकलित ब्याज सहित राजकीय कोष में लेखा शीर्षक 838—स्थानीय निधियों के निक्षेप-अन्य स्वायत्त निकायों के निक्षेप (क) आधारिक विद्यालयों (बेसिक स्कूलों) के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों भविष्य निधियों के लेन-देन के अन्तर्गत जमा की जायेगी तथा भविष्य में भी जमा होती रहेगी ।

.57—उपरोक्त पेंशन समानता के लाभ पाने के पात्र केवल वे ही शिक्षक होंगे जो अपने प्राविधायी निधि लेखे में जमा परिषदीय अंशदान तथा स्वयं के अंशदान को उस पर संकलित ब्याज सहित राजकोष में उपरोक्तानुसार जमा कर देने की स्वीकृति देंगे ।

.58—उक्त योजना के अन्तर्गत पेंशन पाने हेतु प्रत्येक शिक्षक को इस बात का लिखित विकल्प देना होगा कि वह अपने ऊपर पूर्व

.राजाज्ञा संख्या 5197/15 (5)–79–77, दिनांक 8–3–1978 के अनुसार ।

लागू पेंशन नियमों के अन्तर्गत पेंशन चाहेगा तथा अंशदायी भविष्य निधि नियम को बनाय रखना चाहेगा या नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करेगा तथा सामान्य भविष्य निधि का सदस्य होगा। 1 मार्च, 1977 के पश्चात् जो भी अध्यापक परिषद् द्वारा नियुक्त किये गये हैं या किये जायेंगे, उन पर वह नवीन पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी और उनसे कोई विकल्प भराना आवश्यक नहीं होगा। एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम व अपरिवर्तनीय होगा।

*59—उक्त राजाज्ञा के अन्तर्गत पेंशन भोगियों को वे समस्त अस्थायी वृद्धियां भी अनुमन्य होंगी, जो 1 मार्च, 1977 तक सेवा-निवृत होने वाले राज्य कर्मचारियों की पेंशन में समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत की गयी हैं।

पारिवारिक पेंशन

†60—नवीन पेंशन योजना से अनुशासित शिक्षकों को 1-10-1981 से राज्य कर्मचारियों की भांति पारिवारिक पेंशन की सुविधा भी अनुमन्य है। इस योजना के नियम एवं शर्तें वही हैं जो समान स्तर के राजकीय कर्मचारियों के लिए हैं।

**61—पेंशन/पारिवारिक पेंशन के सामान्य उपबन्ध—कोई भी अध्यापक/कर्मचारी अपने स्थायीकरण के बाद यथाशीघ्र निर्धारित प्रपत्र में एक नामांकन भरेगा जिसमें वह यह बतायेगा कि किस क्रम में उसके परिवार को स्वीकृत पेंशन दी जानी चाहिए तथा जिस हद तक यह वध हो उक्त पेंशन ऐसे नामांकन के अनुसार देय होगी किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सम्बन्धित नामांकित व्यक्ति उस दिनांक को जबकि उसको पेंशन देय हो जाये, पेंशन पाने के लिए अपात्र न हो। यदि नामांकित व्यक्ति उक्त उपनियम के अधीन पेंशन पाने के लिए अपात्र है अथवा अपात्र हो गया है तो उस दशा में पेंशन ऐसे नामांकन में दिये गये क्रम के ठीक बाद में आने वाले व्यक्ति को दी जायेगी।

**62-(क) कोई भी अध्यापक किसी भी समय नियंत्रक अधिकारी को लिखित रूप में सूचना देकर नामांकन रद्द कर सकता है किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी सूचना के साथ एक नया नामांकन पत्र भेजना पड़ेगा।

---

*यथा नियम 54 में।

†राजाज्ञा संख्या 6246/15-8-3004 (18)-77, दिनांक 31-3-1982 के अनुसार।

**यथा नियम 52 में।

(ख) प्रत्येक नामांकन तथा नामांकन रद्द करने के लिए दी गयी सूचना उक्त अध्यापक द्वारा नियंत्रक अधिकारी को भेजी जायेगी जो कि उसके प्राप्त होने पर तुरन्त उस पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा तथा प्राप्ति का दिनांक लिखेगा तथा उसे अपने अभिरक्षण में रखेगा।

(ग) अध्यापक द्वारा किया गया प्रत्येक नामांकन तथा नामांकन रद्द करने के लिए दी गयी सूचना जहां तक वह वैध हो उस दिनांक से प्रभावी होगी जिसको यह उपर्युक्त अधिकारी को प्राप्त हो।

*63—दो गो पेंशन सेवा काल के समय में मृत कर्मचारी के परिवार के एक से अधिक सदस्यों को देय न होगी।

**64—परिषद् द्वारा संचालित जूनियर तथा सीनियर बेसिक स्कूलों में कार्यरत 1-1-85 के बाद सेवा निवृत होने वाले ऐसे सहायक अध्यापक/अध्यापिका, प्रधान अध्यापक/प्रधान अध्यापिका जो कि किसी स्थानीय निकाय बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित किसी प्राइमरी स्कूल/जूनियर बेसिक स्कूल में सहायक अध्यापक/अध्यापिका के रूप में सेवा आरम्भ करते समय अप्रशिक्षित थे और उन्हें नियत वेतनमान मिल रहा था किन्तु जो बाद में सेवारत प्रशिक्षण प्राप्त कर या अन्य प्रकार से नियमानुसार प्रशिक्षित हो गये, के अप्रशिक्षित सेवाकाल को, जो उन्होंने स्थानीय निकाय/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित किसी प्राइमरी स्कूल/जूनियर बेसिक स्कूल में अप्रशिक्षित सहायक अध्यापक/अध्यापिका के रूप में नियत वेतन पर की हो, को उनके पेंशन के लाभों के लिए जोड़ा जायेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अप्रशिक्षित सहायक अध्यापक/अध्यापिका के रूप में की गयी सेवा और प्रशिक्षित नियमित वेतनमान में की गयी सेवा में निरन्तरता रही हो और उसमें कोई व्यवधान न हुआ हो और वे अन्ततः किसी पद पर स्थायी अवश्य हों।

*65—पेंशन/परिवार पेंशन दिये जाने की अभिप्रेत शर्त यह है कि पेंशन पाने वाले का आचरण भविष्य में अच्छा रहे पेंशन पाने वाले को किसी गम्भीर अपराध में दोषी ठहराया जाये अथवा वह घोर कदाचार का दोषी हो तो सरकार ऐसी पेंशन अथवा उसके किसी भाग को रोक रखने अथवा उसे वापस लेने का अधिकार अपने पास आरक्षित रखती है। ऐसे मामलों में सरकार का निर्णय अन्तिम होगा। सरकार को स्वीकृत पेंशन/परिवार पेंशन में से उस धनराशि की वसूली करने का अधिकार होगा, जो अध्यापक द्वारा परिषद् अथवा सरकार को देय हो। स्वीकृत पेंशन का लघुकरण (कम्यूटेशन) नहीं किया जायेगा।

---

*यथा नियम 42 में।

**राजाज्ञा संख्या 4-136/15-5-340/77-शिक्षा-5-अनुभाग, दिनांक 23-3-1985 के अनुसार।

*66—कोई भी पेंशन/परिवार पेंशन उस दशा में नहीं दी जायेगी जब अध्यापक को कदाचरण, दिवाला होने अथवा कार्य अक्षमता के कारण सेवा से पदच्युत किया गया हो अथवा हटाया गया हो।

*67—पेन्शन/परिवार पेन्शन के लिये प्रार्थना-पत्र निर्धारित प्रपत्रों में दिया जायेगा।

*68—बेसिक शिक्षा अधिकारी किसी कर्मचारी के पेन्शन सम्बन्धी कागजों को उसकी सेवा निवृत्ति के लिये नियत दिनांक से डेढ़ वर्ष पहले अथवा परिवार पेन्शन की दशा में इस सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र की प्राप्ति पर तुरन्त तैयार करना शुरू कर देगा तथा उन्हें स्वीकृति के लिय नियंत्रक अधिकारी के पास प्रस्तुत करेगा।

*69—(क) पेन्शन/परिवार पेंशन जो देय हो जाय, आवश्यक सत्यापन हो जाने तथा सभी प्रकार की जांच करने के बाद नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत की जा सकती है अथवा सम्बन्धित व्यक्ति के नाम पेन्शन भुगतान आदेश जारी किये जा सकते हैं।

(ख) औपचारिक पेन्शन भुगतान आदेश जारी होने में विलम्ब होने की दशा में स्वीकृति पूर्व (एन्टीसिपेटरी) पेन्शन/परिवार पेन्शन का भुगतान नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जा सकता है।

(ग) पेन्शन भुगतान आदेश की प्राप्ति होने पर पेन्शन का भुगतान बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

*70—वे मामले जिनके सम्बन्ध में कोई और रियायत देनी अपेक्षित हो सरकार को आदेशार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे।

आनुतोषिक

**71—नगर महापालिकाओं के जिन अध्यापकों की सेवायें बेसिक शिक्षा अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा परिषद् को स्थानान्तरित हुई हैं तथा जिन्होंने महापालिका कर्मचारी सेवा-निवृत्त वेतन तथा उपादान नियमावली, 1963 के उपबन्ध अंगीकार कर लिए है, उन्हें सेवा निवृत्ति आनुतोषिक भी देय है। यह आनुतोषिक उनके द्वारा की गयी अहकारी सेवा के पूर्ण अर्धवार्षिक काल की संख्या को उनकी मासिक उपलब्धि के चौथायी से गुणा करके प्राप्त धनराशि के बराबर होगा। प्रतिबन्ध यह है कि आनुतोषिक अध्यापक को मासिक उपलब्धि के 15 गुणें से अधिक नहीं होगा।

---

*यथा नियम 42 में।

**नगर महापालिका कर्मचारी सेवा निवृत्ति वेतन तथा उपादान सेवा नियमावली, 1983

**72—नगर महापालिकाओं के जिन अध्यापकों की सेवायें अधिनियम का धारा (9) 1 के अन्तर्गत परिषद् को स्थानान्तरित हुई हैं तथा जिन्होंने नगर महापालिका कर्मचारी सेवा निवृत्ति वेतन तथा उपादान नियमावली, 1963 के उपबन्ध अंगीकार कर लिए हों, उन्हें देय पेंशन की धनराशि की गणना 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा होने पर निम्नवत् होगी—

$$\frac{\text{अन्तिम तीन वर्षों की औसत उपलब्धि} \times \text{अर्हकारी सेवा की पूरी छमाहियाँ}}{120}$$

प्रतिबन्ध यह है कि अर्हकारी सेवा की पूरी छमाहियों की संख्या 60 से अधिक होने पर पेंशन 60 पूरी छमाही की अर्हकारी सेवा पर देय पेंशन के बराबर ही होगी ।

**73—नियम 61 में वर्णित अध्यापकों के मामले में परिवार-पेंशन की अर्हकारी सेवा 15 वर्ष होगी । प्रतिबन्ध यह भी है कि परिवार पेंशन की धनराशि कम से कम 30 तथा अधिक से अधिक 150 रु0 होगी ।

प्रतिबन्ध यह भी है कि नियम 46 में आगणित परिवार पेंशन की राशि 15 रु0 से कम होने पर परिवार पेंशन उक्त आगणित धनराशि की दो गुना होगी ।

†74—(क) ऐसे परिषदीय अध्यापकों/कर्मचारियों को जिन्होंने 40 वर्ष की आयु से पूर्व अपने परिवार को दो बच्चों तक सीमित रखा हो तथा अपना अथवा यथाशक्ति अपनी पत्नी या अपने पति या समस्त पत्नियों का नसबन्दी आपरेशन करा लिया हो अथवा 40 वर्ष से अधिक आयु वाले वे परिषदीय सेवक जिनका परिवार दो बच्चों तक सीमित हो और सबसे छोटे बच्चे की आयु 10 वर्ष या उससे अधिक हो, उसे वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड 2, भाग 2 से 4 के मूल नियम 9(23) (सी) के अन्तर्गत उसकी अगली देय वेतन वृद्धि के बराबर की धनराशि का वयक्तिक वेतन (पर्सनल-पे) स्वीकृत किया जाय, जो भविष्य में उसी पद पर या पदोन्नति पर भी पूर्व सेवा काल में मिलता रहेगा ।

**यथा नियम 71 में ।

†शासनादेश संख्या 132/ए/15(5)-80—152-80, दिनांक 6 जून, 1980 के अनुसार ।

उन कर्मचारियों को, जो अपने वेतनमान में अधिकतम सीमा तक पहुंच चुके हैं उन्हें भी अन्तिम बार दी गयी वेतनवृद्धि के बराबर की धनराशि वैयक्तिक वेतन (पर्सनल पे) स्वीकृत किया जायेगा, जो पूरे सेवाकाल तक मिलता रहेगा। उक्त आदेश दिनांक 1 सितम्बर, 1979 से लागू समझे जायेंगे। प्रतिबन्ध यह है कि यह सुविधा ऐसे परिषदीय सेवकों को देय न होगी जिनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की गयी हो या जो ऐसी कार्यवाहियों के आदेशानुसार निलम्बित किया गया हो या जिसके वेतन वृद्धि रोकने की शास्ति दी गयी हो।

उत्तर प्रदेश बेसिक स्कूल कर्मचारी (परिवार नियोजन सेवा की विशेष शर्तें) नियमावली, 1976 के नियम 10 के अन्तर्गत जिन परिषदीय कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ मिल चुका है उन्हें उक्त सुविधा देय न होगी।

*74—(ख) ऐसे अध्यापकों/प्रधान अध्यापकों/प्रधानाचार्यों को जो राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कारों से सम्मानित किये गये हैं, उनको अगली वेतन वृद्धि के बराबर धनराशि का वैयक्तिक वेतन (पर्सनल पे) स्वीकृत किया जाय। यह लाभ उनके भविष्य में उसी पद पर या पदोन्नति पर भी पूर्ण सेवा काल में मिलता रहेगा। ऐसे अध्यापक/प्रधान अध्यापकों/प्रधानाचार्यों को, जो अपने वेतनमान में अधिकतम सीमा तक पहुंच चुके हैं, उन्हें भी अन्तिम बार दी गयी वेतन वृद्धि के बराबर की धनराशि वैयक्तिक वेतन के रूप में स्वीकृत की जायेगी, जो पूरे सेवाकाल तक मिलता रहेगा।

---

*शासनादेश संख्या 3016/15(14)—38(66)–80, दिनांक 15 अप्रैल, 1981 के अनुसार।

परिशिष्ट—1

भविष्य निधि कटौती के विवरण

1—देयक के विवरण. . . . .

(सामान्य देयक या अनुपूरक देयक या अवशेष देयक)

2—माह व वर्ष जब धन का आहरण किया गया. . . . . .

3—माह व वर्ष जिससे वह देयक सम्बन्धित है. . . . . .

लेखा संख्या	धनराशि	लेखा संख्या	धनराशि	लेखा संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6
योग					

योग शब्दों में

हस्ताक्षर
लिपिक लेखाकार.

हस्ताक्षर अधिकारी

तिथि

पदनाम की मुहर

परिशिष्ट—2

भविष्य निधि लेजर

नाम.............. खाता संख्या.................. वर्ष....

माह	नियमित अंशदान	अग्रिम की वापसी या अन्य जमा	योग	निकाला गया धन	ब्याज गणना हेतु मासान्त शेष
1	2	3	4	5	6
अप्रैल					1—पूर्व वर्ष से प्राप्त प्रारम्भिक शेष ————
मई					2—चल वर्ष का जमा धन ————
जून					3—पूर्व वर्ष से प्राप्त प्रारम्भिक शेष पर ब्याज ————
जुलाई					4—चल वर्ष के मासान्त शेष पर ब्याज ————
अगस्त					5—योग ————
सितम्बर					6—कम करें—चल वर्ष का निकासी धन ————
अक्टूबर					7—चल वर्ष की अन्तिम तिथि को जमा धन ————
नवम्बर					
दिसम्बर					
जनवरी					
फरवरी					
मार्च					
योग					

हस्ताक्षर

लिपिक लेखाकार उप विद्यालय निरीक्षक/निरीक्षिका
शिक्षा अधीक्षक/अधीक्षिका

परिशिष्ट—3

बेसिक शिक्षा परिषदीय कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखे का वृहद पत्र [वर्ष,

क्रम-संख्या	अध्यापक का नाम	लेखा सं0	प्रारम्भिक योग	जमा धन का विवरण (नियमित)	
				अप्रैल	मई
1	2	3	4	5	6

पिछले पृष्ठ का योग
(अंशदान एवं ऋण वापसी सम्मिलित कर)

जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर
7	8	9	10	11	12

दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	योग (5–16) तक	वर्ष का ब्याज
13	14	15	16	17	18

जमा धन का योग 4+17+18	खाते से निकाले गये धन के विवरण					
	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर
19	20	21	22	23	24	25	26

नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	योग 20 से 31	वर्ष के अन्त में शेष (19–32)
27	28	29	30	31	32	33

परिशिष्ट—4

बेसिक शिक्षा परिषद् भविष्य निधि,

जमाकर्ता की खाता संख्या

घोषणा-प्रपत्र

जमकर्ता की स्थिति (विवाहित/अविवाहित)

मैं, एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरी मृत्यु होने पर बेसिक शिक्षा परिषद् में मेरे नाम जमा धनराशि नीचे उल्लिखित व्यक्तियों में उनके नाम के सामने अंकित रीति से वितरित की जायगी।

ऐसे नामांकितो को, जो मेरी मृत्यु के समय अवयस्क हों, शेष धनराशि उस व्यक्ति को भुगतान की जायेगी जिसका नाम स्तम्भ 5 में हो।

नामांकित या नामांकितियों का नाम तथा पता	जमाकर्ता से सम्बन्ध	क्या वयस्क है या अवयस्क ? यदि अवयस्क हो तो उसकी आयु उल्लिखित कीजिये	जमा की धनराशि का अंश	ऐसे व्यक्ति का नाम तथा पता जिसको अवयस्क की ओर से भुगतान किया जायगा	स्तम्भ 5 में उल्लिखित व्यक्ति का चिन्ह तथा पितृ भाव
1	2	3	4	5	6

हस्ताक्षर साक्षी (1) (2)

पता

स्थान

दिनांक

जमाकर्ता के हस्ताक्षर

परिशिष्ट—5

कार्यालय————————————

भविष्य निधि का हिसाब

वर्ष————————ब्याज दर————————

लेखा संख्या	जमाकर्ता का नाम	प्रारम्भिक शेष	वर्ष में कुल जमा (मार्च का भुगतान अप्रैल में से प्रारम्भ करके)	वार्षिक ब्याज	निकाला गया धन	रोकड़ बाकी
1	2	3	4	5	6	7

टिप्पणी—(क) यदि अभी तक नामांकन न किया हो या उसमें परिवर्तन करना अभीष्ट हो, तो, कृपया शीघ्र करें।

(ख) हिसाब की सत्यता के बारे में कृपया संतुष्ट हो लें और इसकी प्राप्ति के तीन माह के अन्दर गलतियों से अपने अधिकारी को अवगत करायें।

हस्ताक्षर
तिथि
पदनाम को
मुहर

अध्याय 4

अन्य नियुक्तियां

†1—नियुक्ति अधिकारी—नीचे दी गयी सूची में उल्लिखित पदों के लिए प्रत्येक के सामने उल्लिखित प्राधिकारी उक्त पद के सम्बन्ध में नियुक्ति अधिकारी होंगे :

(क) शिक्षा अधीक्षक/अधीक्षिका	अध्यक्ष, परिषद्
(ख) सहायक उपस्थित अधिकारी	सचिव, परिषद्
(ग) प्रधान लिपिक तथा लेखाकार	सचिव, परिषद्
(घ) अन्य लिपिकीय कर्मचारी	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
	ग्रामीण क्षेत्र में—
(ङ) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	उप विद्यालय निरीक्षक उप निरीक्षिका
	नगर क्षेत्र में—
	शिक्षा अधीक्षक/शिक्षा अधीक्षिका

*2—सीधी भर्ती के पद—तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों में से प्रत्येक के न्यूनतम वेतनक्रम के सभी पदों पर सीधी भर्ती की जायेगी। शिक्षा अधीक्षक/अधीक्षिका के पदों में से द्वितीय और तृतीय श्रेणी के जितने पद हों, उनमें से 40 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति की जायेगी। अन्य सभी पदों की पूर्ति प्रोन्नति द्वारा की जायेगी।

*3—सीधी भर्ती की प्रक्रिया—सीधी भर्ती के चुनाव हेतु नियुक्ति अधिकारी द्वारा स्थानीय सेवायोजन कार्यालय से उपयुक्त अभ्यर्थियों के विवरण मांगे जायेंगे। सामान्यतः रिक्तियों की संख्या से आठ गुने नाम मांगे जायेंगे।

*4—शिक्षा अधीक्षक/अधीक्षिका के पद के लिए प्रदेश व्यापी परिचालन के कम से कम चार समाचार-पत्रों में विज्ञापन भी दिया जायेगा।

*5—साक्षात्कार के पश्चात रिक्त पदों की संख्या के बराबर चुने हुये अभ्यर्थियों की मुख्य सूची तथा उतने ही नामों की प्रतीक्षा सूची

---

†यथा नियम 1 अध्याय 2 में।

*परिषद् का निर्णय दिनांक 15-11-1976 परिपत्र सं0 शि0 मु0 26377-982/एक-2(150)/76-77, दिनांक 22-12-1976 द्वारा प्रसारित।

वरीयता क्रम में बनायी जायेगी। इन सूचियों पर समिति के सभी उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर करा कर स्थायी अभिलेख के रूप में उन्हें सुरक्षित रखा जायेगा।

*6—यदि नियुक्ति के 15 दिन के भीतर कोई व्यक्ति अपना पद ग्रहण नहीं करता और न किसी विशष कारण के आधार पर पद-ग्रहण की उक्त अवधि में वृद्धि प्राप्त कर लेता, तो ऐसी नियुक्ति सोलहवें दिन रद्द करके प्रतीक्षा सूची से वरीयता क्रमानुसार नई नियुक्तियां कर दी जायेगी। परन्तु प्रतीक्षा सूची से ऐसी कोई नियुक्ति चुनाव तिथि से एक वर्ष की अवधि में ही की जा सकेगी।

*7—आयु-सीमा— व्यर्थी की आयु चुनाव वाले वर्ष की 1 जुलाई को 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अधिकतम आयु 30 वर्ष है। उक्त आयु सीमा में कोई शिथिलता नही की जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि सचिव, परिषद् द्वारा किसी असाधारण आधार पर विचार करके अधिकतम आयु सीमा से छूट दी जा सकती है।

8—अध्याय 2 के निम्नलिखित नियम आवश्यक परिष्कार करते हुए शिक्षणेतर कर्मचारियों पर भी लागू होंगे।

1.2.5.7.8.9 तथा 11

*9—आरक्षण— नियमावली अध्याय 2 के नियम 11 में अंकित आरक्षण अन्य कर्मचारियों के सीधी भर्ती के मामलों में यथावत लागू रहेगा।

*10—शैक्षिक योग्यता—विभिन्न पदों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निम्नवत् रहेगी।

(क)	शिक्षा अधीक्षक/अधीक्षिका	प्रशिक्षित स्नातक
(ख)	सहायक उपस्थित अधिकारी	प्रशिक्षित इन्टरमीडियट
(ग)	लिपिक	इन्टरमीडिएट तथा 30 शब्द प्रति मिनट की हिन्दी टंकण गति।
(घ)	चतुर्थ श्रेणी	कक्षा पांच।

*11—चयन समिति—सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियाँ करने के लिए जिला स्तरीय चयन समिति निम्नवत् होगी।

(क)	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष।

*यथा नियम 2 में

(ख) उप विद्यालय निरीक्षक (यदि नियुक्ति उप विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में हो रही हो) अथवा सम्बन्धित) नियुक्ति जिस नगर क्षेत्र कार्यालय में हो रही हो) शिक्षा अधीक्षक

(ग) अपर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) यदि कोई हो और उनकी अनुपस्थिति में उप बालिका विद्यालय निरीक्षिका अथवा नगर क्षेत्र शिक्षा कार्यालय के सम्बन्ध में सम्बन्धित सर्किल की अधिकारितायुक्त बालिका विद्यालय सहायक निरीक्षिका।

*12—शिक्षा अधीक्षक/अधीक्षिका के चयन के लिए चयन समिति निम्नवत् होगी :

(क) संयुक्त शिक्षा निदेशक (बेसिक)	अध्यक्ष
(ख) उप शिक्षा निदेशक (महिला)	सदस्य
(ग) सचिव, परिषद्	सदस्य—सचिव

*13—चुनाव का आधार—चतुर्थ श्रेणी के पदों के अतिरिक्त अन्य पदों पर सीधी भर्ती करते समय प्रत्येक अभ्यर्थी को नीचे के अनुसार गुण लब्धांक प्रदान किये जायेंगे।

	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
(क) हाई स्कूल	15	12	6
(ख) इन्टरमीडिएट	25	18	10
(ग) स्नातक उपाधि	40	30	10
(घ) प्रशिक्षण सिद्धांत	10	6	4
व्यवहार	10	6	4
अथवा			
टंकण	न्यूनतम निर्धारित टंकण गति से प्रत्येक दो—दो शब्द प्रति मिनट की टंकण गति ज्यादा होने के लिए एक अंक अधिकतम अंक—20		

*यथा नियम 2 में।

(ङ) समान पद पर कार्य करने का अनुभव — 2 अंक प्रति वर्ष (अधिकतम अंक 15)

(च) खेलकूद — विद्यालय एकादश 1 अंक, कालेज एकादश 2 अंक, जिला/विश्वविद्यालय स्तर 3 अंक, राज्य स्तर 5 अंक।

(छ) वाद-विवाद आदि — विद्यालय स्तर 1 अंक, कालेज स्तर 2 अंक, जिला/विश्वविद्यालय स्तर 3 अंक, राज्य स्तर 5 अंक।

(ज) साक्षात्कार — 30 अंक।

प्रतिबन्ध यह है कि स्नातक उपाधि के अंक उन्हीं अभ्यर्थियों को दिये जायेंगे जो शिक्षा अधीक्षक/अधीक्षिका के लिए आवेदन दें।

*14—साक्षात्कार के अंक देने का आधार [अभ्यर्थी की सम्बन्धित पद के लिए उपयुक्तता होगा उसकी शैक्षिक व प्राविधिक योग्यता, सत्य निष्ठा तथा अन्य सद्गुणों के बारे में यदि कोई जानकारी हो, तो उसका भी ध्यान रखा जायेगा]।

*15—ऊपर 12 के अनुसार प्राप्त कुल गुण लब्धांकों के आधार पर ही अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा। गुण लब्धांक समान होने पर कम आयु अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

*16—प्रोन्नति का आधार—प्रोन्नतियां ज्येष्ठता एवं गत पांच वर्षों की चरित्रावली में दी गयी प्रतिष्ठियों के आधार पर की जायेंगी। इसका आधार ज्येष्ठता होगा। जब तक कि अभ्यर्थी अन्यथा अनुपयुक्त न हो ज्येष्ठ अभ्यर्थी को न चुनने का कारण नियुक्ति अधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया जायेगा।

*17—प्रथम श्रेणी के शिक्षा अधीक्षक के पदों पर प्रोन्नति होने के लिए स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

*18—तृतीय श्रेणी के शिक्षा अधीक्षकों के पदों पर सहायक उपशिक्षा अधिकारियों के दोनों वेतनक्रमों के अधिकारी समान अनुपात में प्रोन्नत किये जायेंगे।

---

*यथा नियम 2 में।

अध्याय 5

शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा शर्तें

1—अध्याय 3 के निम्नांकित नियम आवश्यक परिष्कार करते हुए शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पर लागू होंगे :

1, 3 से 11, 13, 15 से 45, 61, 62, 63, 65 से 70 72 तथा 73 ।

2—शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की अपील जो अध्याय 3 के नियम 13 की शास्तियों के विरुद्ध हों, निम्नलिखित अपील अधिकारियों द्वारा निर्णीत होगी :

(क)	शिक्षा अधीक्षक (पुरुष एवं महिला)	राज्य सरकार
(ख)	सहायक उपस्थिति अधिकारी (पुरुष एवं महिला)	परिषद् का अध्यक्ष ।
(ग)	मुख्य लिपिक एवं लेखाकार	परिषद् का अध्यक्ष ।
(घ)	अन्य लिपिक	परिषद् का सदस्य सचिव ।
(ङ)	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ।

*3—अवकाश—चतुर्थ श्रेणीकर्मचारी, स्टोरकीपर तथा अन्य लिपिकों के सभी प्रकार के अवकाश ग्रामीण क्षेत्र में उप विद्यालय निरीक्षक/निरीक्षिका तथा नगर क्षेत्र में शिक्षा अधीक्षक/अधीक्षिका स्वीकार करेंगे । शिक्षा अधीक्षक/अधीक्षिका स० उ० अधिकारी (पुरुष महिला, मुख्य लिपिक व लेखाकार के सभी अवकाश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/अपर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (म०) स्वीकार करेंगे ।

सेवा निवृत्ति लाभ

†4—(क) 1 अप्रैल, 1980 को या उसके पश्चात् सेवा निवृत्त समस्त स्थायी तथा नियमित अधिकारी/शिक्षा अधीक्षक/सहायक

---

†यथा नियम 1 अध्याय 2 में

*परिषद् का निर्णय दिनांक 5 दिसम्बर, 1975/परिपत्र सं० शि० म०/2825/–584 /एक–2(256)/75–76 दिनांक 6 जनवरी, 1976 द्वारा प्रसारित ।

†राजाज्ञा सं० 6965/15(5)–80–94/77, दिनांक 6 नवम्बर, 1980 ।

उपस्थिति अधिकारी, समस्त लिपिक वर्गीय कर्मचारी तथा विद्यालयों एवं कार्यालयों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उसी दर पर पेंशन देय होगी जिन दरों पर राजकीय सेवा के समान स्तर व श्रेणी के कर्मचारियों को अनुमन्य हैं तथा उसका आगणन भी राज्य कर्मचारियों के लिए लागू प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

†(ख) सामूहिक जीवन बीमा योजना का लाभ उन्हें पूर्ववत् मिलता रहेगा।

†(ग) इन कर्मचारियों पर लागू वर्तमान उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा भविष्य निधि नियमावली, 1975 के अधीन अंशदायी भविष्य निधि योजना के स्थान पर 1-4-80 से सामान्य भविष्य निर्वाह निधि योजना लागू होगी और इस योजना के अधीन उनके वेतन से भविष्य निर्वाह निधि की कटौती राज्य कर्मचारियों के लिए लागू दर से की जायेगी, जो सम्प्रति मूल वेतन का 10 प्रतिशत है और उन्हें बेसिक शिक्षा परिषदीय अंशदान के रूप में कोई धनराशि देय न होगी।

†(घ) इन कर्मचारियों के अंशदायी भविष्य निर्वाह निधि के खाते में 31-3-1980 तक जमा या जमा योग्य परिषदीय/स्थानीय निकाय अंशदान की समस्त धनराशि संकलित ब्याज सहित शिक्षा के प्राप्ति शीर्षक "077—शिक्षा—च—सामान्य (ई) अन्य प्राप्तियाँ—13—प्रकीर्ण में जमा की जायेगी तथा कर्मचारी के अंशदान की समस्त धनराशि संकलित ब्याज सहित राजकीय कोष में पूर्ववत् लेखाशीर्षक "838 स्थानीय निधियों के निक्षेप— अन्य स्वायित्व निकायों के आक्षेप—क—प्राथमिक विद्यालयों (बेसिक स्कूलों) के शिक्षण एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के भविष्य निधियों के लेन-देन" के अन्तर्गत जमा रहेगी और भविष्य में भी पूर्ववत् जमा होती रहेगी।

†(ङ) उक्त पेन्शन समानता के लाभ पाने के पात्र केवल वही कर्मचारी होंगे, जो अपने प्राविधायी निधि के लेखे में जमा जिला परिषद् स्थानीय निकायों अथवा बेसिक शिक्षा परिषद् के अंशदान को उस पर संकलित ब्याज सहित राजकोष में जमा करने की स्वीकृति दे देंगे।

†(च) उक्त योजना के अन्तर्गत पेन्शन प्राप्त करने के लिए प्रत्येक कर्मचारी को इस बात का लिखित विकल्प देना होगा कि वह इस

---

† यथा नियम 4 में।

योजना के अधीन पेन्शन प्राप्त करना चाहेगा अथवा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् भविष्य निधि नियमावली, 1975 के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा परिषद् का अंशदान प्राप्त करेगा। जो कर्मचारी जिला परिषदों अथवा नगर महापालिकाओं की सेवा से हस्तान्तरित होकर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् की सेवा में आये हैं, उन्हें भी इस बात का विकल्प देना होगा कि वह इस योजना के अधीन पेन्शन लेना चाहेंगे अथवा सम्बन्धित जिला परिषदों के नियमों अथवा सम्बन्धित नगर महापालिका के विनियमों के अनुसार पेन्शन के लाभों का उपभोग करना चाहेंगे। उक्त नियमों अथवा विनियमों के अन्तर्गत देय पेन्शन के साथ उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा भविष्य निधि नियमावली, 1975 के अन्तर्गत देय परिषदीय अंशदान अनुमन्य नहीं होगा और उनके खाते में जो कुछ भी परिषदीय अंशदान जमा है, वह संकलित ब्याज सहित उपर्युक्त प्रस्तर (4) में इंगित लेखा शीर्षक में जमा करा लिया जायेगा। 1 अप्रैल, 1980 के पश्चात जो भी कर्मचारी बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा नियुक्त किये गये हैं या किये जायेंगे, उन पर यह योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी और उनके कोई विकल्प भरना आवश्यक नहीं होगा।

†(छ) इस शासनादेश के अन्तर्गत पेन्शन भोगियों को वे समस्त अस्थायी वृद्धियां भी अनुमन्य हैं, जो 1 अप्रैल, 1980 तक सेवा निवृत होने वाले राज्य कर्मचारियों को पेन्शन में समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत की गई हैं।

(5) पेन्शन को स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों के शिक्षणेतर कर्मचारियों की पेन्शन के पत्रजात सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा तैयार कर जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजे जायेंगे जिला विद्यालय निरीक्षक पेन्शन एवं पारिवारिक पेन्शन की स्वीकृति प्रदान करने के लिए सक्षम अधिकारी हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक पेन्शन के नियंत्रक अधिकारी भी हैं।

---

† यथा नियम 4 में।

अध्याय 6

विद्यालयों की मान्यता

*1—शिक्षा के क्षत्र में रुचि रखने वाले व्यक्तियों या उनकी समिति अशासकीय बेसिक विद्यालय चलाये जा सकते हैं। यदि उनका शिक्षण स्तर उपयुक्त हो तथा आवश्यक न्यूनतम भौतिक आवश्यकताओं ो पूर्त हो रही हो तो संस्था के प्रबन्धक द्वारा आवेदन करने पर परिषद् द्वारा संस्था को मान्यता प्रदान की जा सकती है।

*2—किसी अशासकीय बेसिक विद्यालय को मान्यता निम्नांकित प्रकार की संस्था के रूप में प्रदान की जायेगी :-

(क) नर्सरी विद्यालय (नर्सरी स्तर की दो कक्षाएं तथा प्राथमिक स्तर की पांच कक्षाएं),

(ख) प्राथमिक विद्यालय (प्राथमिक स्तर की पांच कक्षाएं)।

(ग) पूर्व माध्यमिक विद्यालय (बालक/बालिका) (पूर्व ाध्यमिक स्तर की तीन कक्षाएं)।

*3—पूर्व माध्यमिक विद्यालय के साथ प्राथमिक स्तर की कक्षाए संलग्न करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। अतः एक ही संस्था द्वारा संचालित पूर्व माध्यमिक और ाथमिक स्तर की कक्षाओं हेतु अलग-अलग मान्यता ाप्त करना आवश्यक होगा।

*4—(क) मान्यता की सभी शर्तों के पूरी होने पर संस्था को स्थायी मान्यता प्रदान की जायेगी। यदि मान्यता की मुख शर्तें पूरी हों, संस्था प्रगतिशील है, उसका शैक्षिक स्तर संतोषजनक है, क्षेत्र म उसकी आवश्यकता है तथा संस्था द्वारा शेष शर्तों को भी पूर्ण करने क आश्वासन दिया जाता है तो संस्था को अस्थायी मान्यता प्रदान की जा सकती है।

---

* शासनादेश संख्या शिक्षा 6/1596/6–12(8)/81, दिनांक ...सम्बर, 1980 के अनुसार।

† (ख) प्रथम बार की अस्थायी मान्यता के आदेशों में सामान्यतः 3 वर्ष की अवधि का उल्लेख किया जायेगा और उस आदेश में उन अपेक्षाओं व अर्हताओं का पूर्ण विवरण दिया जायेगा, जो निर्धारित अवधि में पूरी करनी हों। प्रबन्धाधिकरण इस अवधि की समाप्ति के 6 माह पूर्व निर्धारित शर्तों की पूर्ति करके स्थायी मान्यता हेतु आवेदन करेगा। यदि स्थायी मान्यता की शर्तों की पूर्ति निरीक्षक अधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण में नहीं पाई जाती, तो विद्यालय को एक-एक वर्ष के लिए अधिकतम अगले तीन वर्ष तक अस्थायी मान्यता की वृद्धि जनपद स्तर से की जायेगी। इस अवधि के उपरान्त अस्थायी मान्यता की अवधि में कोई भी वृद्धि विशेष परिस्थितियों में शासन की अनुमति से प्रदान की जायेगी। यदि शासन सम्बन्धित विद्यालय की मान्यता की अवधि में वृद्धि की अनुमति प्रदान नहीं करता तो उस दशा में विद्यालय की मान्यता समाप्त समझी जायेगी।

*(ग) विद्यालयों की अस्थायी मान्यता की अवधि समाप्त होने के उपरान्त अगले वर्ष जब तक पुनः अस्थायी/स्थायी मान्यता प्रदान न की जाये, संस्था की मान्यता समाप्त समझी जायेगी और पूर्व वर्ष में प्रदत्त अस्थायी मान्यता को आगामी वर्ष की मान्यता हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आधार नहीं माना जा सकेगा।

**5--पूर्व माध्यमिक विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान करने का आदेश बालक तथा बालिका विद्यालयों के सम्बन्ध में सम्बन्धित संभागीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा निर्गत किया जायेगा। पूर्व माध्यमिक विद्यालयों (बालक/बालिका) की अस्थायी मान्यता तथा प्राथमिक एवं नर्सरी विद्यालयों की अस्थायी एवं स्थायी मान्यता का आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत किया जायगा।

*6--मान्यता की प्रक्रिया को स्थानीय जनता के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए जिला स्तर पर एक मान्यता समिति गठित होगी। जिसमें निम्नांकित अधिकारी होंगे :--

1--जिला विद्यालय निरीक्षक	अध्यक्ष
2--जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य-सचिव
3--अपर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (म0)	जहां न हो वहां उप बालिका विद्यालय निरीक्षिका-सदस्य।

† शासनादेश संख्या शिक्षा 6/3638/15-6-18 (1)-84, दिनांक 4 दिसम्बर, 1984 के अनुसार।

* यथा नियम 1 में।

**शासनादेश सं0 शिक्षा (1)/373/15-1-85-4 (87)/85 दिनांक 18 मार्च 1985 के अनुसार।

*7—सभी प्रकार की संस्थाओं के अस्थायी और स्थायी मान्यता के सभी प्रकरणों पर मान्यता समिति द्वारा विचार किया जायेगा। मान्यता प्रदान करने वाला अधिकारी, जिसका उल्लेख ऊपर नियम–5 में है मान्यता का आदेश (चाहे स्थायी मान्यता हो या अस्थायी) तभी निर्गत करेगा जब उक्त मान्यता समिति द्वारा मान्यता प्रदान करने की संस्तुति की गई हो।

*8—मान्यता तभी प्रदान की जायेगी, जब उस क्षेत्र में संस्था की वास्तविक आवश्यकता हो और उस क्षेत्र की वर्तमान संस्थाओं के स्तर तथा दक्षता पर प्रस्तावित संस्था के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना न हो। उदाहरणार्थ एक जूनियर हाई स्कूल की आवश्यकता पर विचार करते समय यह देखना आवश्यक होगा कि :—

*(क) प्रस्तावित स्थान से 5 कि0 मी0 के घेरे में कोई अन्य पूर्व माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय न चल रहा हो। परन्तु यदि उक्त क्षेत्र की आबादी 3,000 से अधिक हो तो प्रत्येक अतिरिक्त पूरी तीन हजार की आबादी के लिए, उस क्षेत्र में एक अतिरिक्त पूर्व माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चलने की अनुमति दी जा सकती है।

*(ख) उक्त क्षेत्र के नक्शा–नजरी द्वारा यह स्पष्ट हो कि प्रस्तावित स्थान उक्त क्षेत्र का स्वाभाविक केन्द्र है। सामान्यतः बालक पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के लिए उस स्थान की आबादी 1,000 से और बालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय खोलने के लिए 2,000 से कम न हो।

*(ग) विद्यालय के सेवित क्षेत्र की प्राथमिक पाठशालाओं में कक्षा 5 में कम से कम 40 विद्यार्थी उपलब्ध हों।

*9—पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की स्थायी मान्यता के सम्बन्ध में यदि संभागीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) उपर्युक्त समिति की संस्तुति को स्वीकार न करें तो वे विद्यालय विशेष की मान्यता विषय मान्यता समिति के सचिव, को अपने लिखित मन्तव्य सहित पुनर्विचार हेतु वापस करेंगे। यदि किसी प्रकरण को, जिसे मान्यता समिति पहले असंस्तुत कर चुकी थी, उक्तवत पुनर्विचार हेतु अभिदिष्ट किए जाने पर मान्यता समिति द्वारा पुनः असंस्तुत किया जाता है और संभागीय अधिकारी फिर भी उसे स्थायी मान्यता के लिए उपयुक्त समझते हैं तो वह प्रकरण सचिव–परिषद् के पास अन्तिम निर्णय हेतु भेजा जायेगा।

* यथा नियम 1 में।

*10—मान्यता की सामान्य शर्तें,—किसी संस्था को नर्सरी/प्राथमिक अथवा/पूर्व माध्यमिक निम्नांकित स्तर की मान्यता देने के लिए सामान्य शर्तों का अनुपालन आवश्यक होगा :—

(क) प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय में उसके सुचारु संचालन के लिए उस विद्यालय के प्रबंधाधिकरण द्वारा पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध किए जायेंगे तथा जिन विषयों में अध्यापन के लिए ऐसे विद्यालय को मान्यता दी गई हो, उसके लिए परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट मानक के अनुसार पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी।

(ख) प्रत्येक मान्यताप्राप्त विद्यालय के लिए ऐसा भवन, शौचालय, खेलकूद के मैदान एवं साज-सज्जा को जो परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार हो तथा साफ और हवादार भवन का निर्माण स्वास्थ्यप्रद स्थान एवं वातावरण में किए जाने की व्यवस्था की जायेगी।

(ग) किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय में परिषद् द्वारा विहित पाठ्यक्रम या पाठ्य-पुस्तकों से भिन्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जायेगी न पाठ्य-पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा।

(घ) कोई भी व्यक्ति किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में अध्यापक या अन्य कर्मचारियों के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह परिषद् द्वारा तदेव अर्हतायें न रखता हो।

(ङ) कोई मान्यता प्राप्त विद्यालय अपने प्रत्येक अध्यापक या कर्मचारी को वही वेतनमान मंहगाई-भत्ता तथा अतिरिक्त मंहगाई-भत्ता देने का जिम्मेदार होगा जो परिषद् के समान अर्हता वाले अध्यापकों व कर्मचारियों को दिया जाय।

(च) किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रबंध निकाय या उसके कार्यों का प्रबंध करने वाले अन्य व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह अधिनियम तथा इस नियमावली के उपबन्धों का तथा परिषद् द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा समय-समय पर जारी किए गये विधि पूर्ण निर्देशों का पालन करें।

*यथा नियम 1 में।

(छ) विद्यालय की प्रबंध समिति सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत हो तथा उसका संविधान प्रजातांत्रिक आधार पर बना हो।

(ज) विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकेगा तथा वह विभाग के नियमों और समय-समय पर दिए गये निर्देशों और आदेशों का अनुपालन करेगी।

(झ) शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुकूल शुल्क लिया जाय तथा विद्यालय की समस्त निधियों का लेखा उचित रूप में रखा जाय और डाकघर में या अनुसूचित बैंकों में जमा किया जाय। विद्यालय में अस्वीकृत पुस्तकों का प्रयोग न किया जाय।

(ट) मान्यता उसी स्थिति में प्रदान की जायेगी जब संबंधित क्षेत्र में उस संस्था की वास्तविक आवश्यकता हो और वर्तमान संस्थाओं के स्तर तथा दक्षता पर प्रस्तावित संस्था के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना न हो। उदाहरणार्थ एक जूनियर हाई स्कूल की मान्यता पर विचार करते समय यह देखना आवश्यक होगा कि।—

(क) प्रस्तावित स्थान से 5 कि० मी० के घेरे में कोई अन्य पूर्व माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय न चल रहा हो परन्तु यदि उक्त क्षेत्र की आबादी 3,000 से अधिक हो तो प्रत्येक अतिरिक्त पूरी 3,000 की आबादी के लिए उस क्षेत्र में अतिरिक्त पूर्व माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चलने की अनुमति दी जा सकती है।

(ख) उक्त क्षेत्र के नक्शा नजरी द्वारा यह स्पष्ट हो कि प्रस्तावित स्थान उक्त क्षेत्र का स्वाभाविक केन्द्र है सामान्यतः बालक पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के लिए उस स्थान की आबादी 1,000 से और बालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय खोलने के लिए 2,000 से कम न हो।

(ग) विद्यालय के सेवित क्षेत्र की प्राथमिक पाठशालाओं में कक्षा–5 में कम से कम 40 विद्यार्थी उपलब्ध हों।

नर्सरी विद्यालय की मान्यता शर्तें*

*11—विद्यालय की सामान्य शर्तों के अतिरिक्त किसी नर्सरी विद्यालय के लिए मान्यता हेतु निम्नांकित शर्तों का अनुपालन करना आवश्यक होगा :

*(क) विद्यालय का संदान नगर क्षेत्रों में 5,000 रुपये का तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 2,000 रुपये का हो ।

*(ख) विद्यालय का अपना भवन हो । जिसके साथ खुली जगह व भूमि भी हो । भवन में कम से कम 25 वर्ग फीट प्रति बच्चे के हिसाब से स्थान हो । यह हवादार हो । भवन में निम्न क्रियाओं के लिए स्थान होना आवश्यक है :—

1—स्वतंत्र क्रियायें,

2—खिलौने,

3—भोजन कक्ष,

4—आराम कक्ष,

5—सामान कक्ष,

6—रसोई,

7—पौधों का बरामदा,

8—मुक्त स्थान क्रिया, कलाओं के लिए स्थान व बगीचा,

9—स्नान व शौचालय ।

*(ग) विद्यालय में आवश्यक साधित्र (एपरेटस), उपस्कर और साज-सज्जा की व्यवस्था हो । ग्रामीण क्षेत्रों में भवन, साज-सज्जा आदि स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप होगी ।

*(घ) विद्यालय में लिए जाने वाले विविध शुल्कों की दर अधिक से अधिक निम्नवत् होगी :—

	रु0
(1) सामग्री शुल्क	0·50 प्रति माह
(2) औषधि शुल्क	0·50 प्रति माह

*राजाज्ञा सं0 बी/7136/पन्द्रह-1318/1956, दिनांक 27-11-56 के अनुसार ।

		रु0
(3)	जलपान शुल्क	0·50 प्रति माह
(4)	सवारी शुल्क	स्थानीय दरों व परिस्थितियों के अनुसार ।

†(ङ) शिक्षा शुल्क 15 रु0 प्रति मास अनधिक की दर से लिया जा सकेगा तथा कोई भी धनराशि चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय शुल्क, चन्दा या अंशदान के रूप में विद्यार्थियों से नहीं ली जायगी ।

†(च) नामावली में दर्ज कुल छात्र संख्या के 25 प्रतिशत छात्रों को शिक्षा संहिता के पैरा 106 से 114 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जहां तक वे लागू किये जा सकें निःशुल्क शिक्षा दी जायेगी ।

*(छ) विद्यालय की प्रधान अध्यापिका की न्यूनतम योग्यता नर्सरी शिक्षा में विशेषज्ञता प्राप्त प्रशिक्षित स्नातक होगी । मद्रास से नर्सरी शिक्षा के प्रशिक्षण का डिप्लोमा प्राप्त स्नातक को वरीयता दी जायेगी । उसी प्रकार सहायक अध्यापिका की न्यूनतम योग्यता नर्सरी शिक्षा प्रशिक्षण राजकीय नर्सरी प्रशिक्षण विद्यालय, इलाहाबाद से प्राप्त करना होगा ।

†(ज) प्रधान तथा सहायक अध्यापिका का वेतनक्रम वही होगा जो बेसिक शिक्षा परिषद् केअध्यापक/अध्यापिकाओं को शासन द्वारा अनुमन्य है ।

*(झ) प्रबंधकों द्वारा प्रधान और सहायक अध्यापिकाओं के साथ क्रमशः शिक्षा संहिता के परिशिष्ट–5 और 10 में निर्दिष्ट अनुबन्ध भरना आवश्यक होगा । कोई प्रधान और सहायक अध्यापिका मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) के अनुमोदन और विशिष्ट अनुमोदन के बिना नियुक्त, सेवा मुक्त, सेवाच्युत नहीं की जा सकेगी ।

*(ञ) विद्यालयों द्वारा चतुर्थ श्रेणी के निम्नांकित पद स्वीकृत होंगे :—

खाना पकाने हेतु एक रसोइया (रसोई कार्य की निगरानी एक अध्यापिका द्वारा की जायेगी, जो एक सप्ताह तक यह

---

*यथा नियम 11 के अनुसार ।

†राजाज्ञा सं0 शिक्षा 6/1931/15 (6)–9 (7)–73, दिनांक 30–5–75 के अनुसार एवं परिषद के प्रस्ताव 9 व 10 दिनांक 8–11–85 के अनुसार ।

कार्य लेगी) एक दाई, एक माली तथा विद्यालय की आवश्यकतानुसार एक या दो चपरासी।

*(ट) प्रत्येक कक्षा या 30 बच्चों के समूह के लिए एक विजिटिंग डाक्टर तथा नगर क्षेत्रों के विद्यालयों में दो सी० टी० (नर्सरी) अध्यापिकाएं अथवा ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में एक सी० टी० (नर्सरी) अध्यापिका तथा एक एच० टी० सी० अध्यापिका रखी जायेगी। विद्यालय द्वारा बच्चों के नियमित नियतकालिक निरीक्षण की व्यवस्था की जायेगी।

प्राथमिक पाठशाला की मान्यता शर्तें

12—मान्यता की सामान्य शर्तों के अतिरिक्त एक मान्यताप्राप्त प्राथमिक पाठशाला के लिए निम्नांकित शर्तों का अनुपालन भी आवश्यक होगा :—

(क) विद्यालय के पास 1/2 एकड़ भूमि हो तथा उसी में छात्र संख्या के हिसाब से उपयुक्त भवन निर्मित हो।

(ख) संस्था के पास उपयुक्त सुरक्षित कोष, संदान आदि को शामिल करते हुए प्रभावी वित्तीय व्यवस्था हो।

पूर्व माध्यमिक विद्यालय की मान्यता शर्तें

†13—किसी भी विद्यालय को पूर्व माध्यमिक स्तर की (कक्षा-6 से 8) तक अस्थायी मान्यता निम्नांकित शर्तों की पूर्ति होने पर ही दी जा सकेगी :—

(1) संस्था पंजीकृत एवं आतिथि नवीकृत हो।

(2) प्रस्तावित क्षेत्र में संस्था की आवश्यकता हो।

(3) विद्यालय में कम से कम 45 छात्र संख्या हो।

(4) सभी अध्यापक प्रशिक्षित हों।

(5) विद्यालय के पास जमीन तथा 20×25 फुट माप के दो अपने पक्के कमरे हों तथा अन्य कक्षाओं के लिए छात्रों के बैठने की कोई व्यवस्था हो। अस्थायी मान्यता के लिए

---

*यथा नियम 11 के अनुसार।

†शासनादेश सं० शिक्षा 6/2040/15-6-12(8)/71, दिनांक 25-4-81 के अनुसार।

विशेषतया लड़कियों के विद्यालय के लिए किराये के भवन को मान लिया जायेगा और कमरों के क्षेत्रफल से भी छूट दी जा सकती है। इसमें यह प्रतिबंध होगा कि किराये में चलने वाले इन विद्यालयों की मान्यता तभी तक चालू रहेगी, जब तक वे निर्धारित प्रांगण में रहेंगे। भवन बदलने की दशा में मान्यता चालू नहीं रखी जायेगी। प्रतिबंध यह भी है कि मान्यता प्रदान करने के अधिकारी जिनका उल्लेख नियम 5 व 6 में है, इस निष्कर्ष में पहुंचे कि प्रबंधतंत्र भवन बनवाने की क्षमता रखता है।

(6) कम से कम 1,000 रुपये की आरक्षित निधि हो और 1,000 रु० की साज-सज्जा हो।

(7) अस्थायी मान्यता के लिए कुर्सी, डेस्क अथवा टाट-पट्टी की व्यवस्था हो और 500 रु० की विज्ञान सामग्री हो और उसके लिए 50 रु० की आवंटन धनराशि रखी जाये।

स्थायी मान्यता हेतु शर्तें

*14—मान्यता की सामान्य शर्तों के अतिरिक्त स्थायी मान्यता हेतु एक मान्यता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालय के लिए निम्नांकित शर्तों का अनुपालन भी आवश्यक होगा।

(क) विद्यालय का संधान 2500 रु० मूल्य की धनराशि का हो। यह संधान संपत्ति,

(1) नकद धनराशि,

(2) सरकारी जमानत अथवा

(3) अचल सम्पत्ति के रूप में हो।

टिप्पणी :—यदि संधान नकद धनराशि अथवा सरकारी जमानत के रूप में हो तो जिला विद्यालय निरीक्षक अथवा जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका अथवा मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) के पद नाम में प्रतिभुत हो। अचल सम्पत्ति के विषय में प्रबन्धक अथवा अन्य किसी अधिकारी व्यक्ति को जिसे संस्था की ओर से सम्पत्ति को बेचने और तदर्थ विधिपत्र (डीड) लिखने का अधिकार हो एवं निरीक्षण अधिकारी को एक अनुबंधपत्र लिखना आवश्यक होगा कि उक्त संपत्ति सक्षम अधिकारियों की लिखित आज्ञा के बिना स्थानान्तरित नहीं की जायेगी अथवा किसी भी प्रकार प्रतिबंधित नहीं की जायेगी। इस संबंध में एक शपथ-पत्र भी दिया जायेगा। अचल संपत्ति का मूल्यांकन

---

*यथा नियम 1 में।

और उससे होने वाली आय का प्रमाण-पत्र किसी ऐसे माल अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए जो तहसीलदार के पद से कम न हो। नगरपालिकाओं के क्षेत्र में (एक्जीक्यूटिव आफीसर अथवा उप नगर अधिकारी का प्रमाण-पत्र स्वीकार किया जायेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में फारेस्ट पंचायत द्वारा 2,500 रुपये के संदान को जिला विद्यालय निरीक्षक के नाम बंधक कर देने पर उससे प्राप्त वार्षिक आय को विद्यालय में प्रति वर्ष देते रहने का आश्वासन संदान के लिए पर्याप्त माना जाय।

(ख) संस्था द्वारा 1,000 रुपये की धनराशि का एक स्थायी कोष बनाया जाय और उसे निरीक्षण अधिकारी के पद नाम से प्रतिश्रुत कर दिया जाय। राज्य ... केन्द्रीय सरकार कैन्टूनमेंट बोर्ड अथवा फौजी आर्डीनेन्स फैक्टरियों द्वारा संचालित किसी भी संस्था को संदान और स्थायीकोष के शर्तों की पूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी। परन्तु ऐसी किसी भी संस्था को संचालित करने के लिए सक्षम अधिकारियों की स्वीकृति का प्रस्ताव तथा आवर्तक और अनावर्तक व्यय के लिये आवश्यक प्राविधान होना चाहिये।

(ग) विद्यालय भवन—(1) प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक वर्ग के लिए 20×25 फुट आकार का एक पक्का कमरा आवश्यक है। पहाड़ी क्षेत्र, बुन्देलखण्ड और इलाहाबाद, इटावा और आगरा तथा मथुरा जनपद के ग्रामीण अंचल के ट्रान्स जमुना क्षेत्र में 20 × 20 आकार के कमरे माने जा सकते हैं।

(2) 30×20 फीट आकार के सामान्य विज्ञान और कृषि के लिए एक पक्के कमरे की व्यवस्था होनी चाहिए।

(3) वैकल्पिक विषयों, प्रधान अध्यापक, भंडार गृह और कार्यालय के लिए पृथक व्यवस्था होनी चाहिए।

(4) छात्रों और अध्यापकों के लिए पृथक्-पृथक् मूत्रालय और शौचालय की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

(5) खेल-कूद के लिए निम्न आकार का एक क्रीड़ा क्षेत्र होना चाहिए :—

	मैदान में एकड़	पर्वतीय क्षेत्र में एकड़
ग्रामीण क्षेत्र में	2	3/4
नगर क्षेत्र में	1 से 1 1/2	1/2

विशेष—बालिका विद्यालयों के लिए क्रीड़ा स्थल की छूट दी जा सकती है। इसी प्रकार नगर क्षेत्र के बालकों के विद्यालय में जहां स्थानाभाव है क्रीड़ा स्थल की छूट दी जा सकती है। परन्तु क्रीड़ा के लिए कुछ स्थान होना आवश्यक है। मान्यता अधिकारी स्वविवेक से स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लेंगे।

(घ) विद्यालय में प्रशिक्षित प्रधाना अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा, सामान्य विज्ञान, शिल्प आदि विभिन्न विषयों सेक्शनों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित एवं योग्य अध्यापकों की नियुक्ति आवश्यक है। साथ ही विद्यालय के समस्त स्थायी अध्यापकों पर शिक्षा संहिता की आठवीं परिशिष्ट में दी हुई भविष्य निर्वाह निधि की योजना लागू की जानी चाहिए।

(ङ0) विद्यालय की साज-सज्जा :—

(1) निर्धारित आकार की बैठने की सामग्री कुर्सियों और डेस्क या टाट-पट्टियां और छोटे डेस्क का पूर्ण प्रबन्ध होना चाहिए।

(2) 500 रुपये मूल्य की उपयोगी तथा स्वीकृत पुस्तकें विद्यालय में हों तथा उनके रख-रखाव की समुचित व्यवस्था हो।

(3) 500 रुपया मूल्य की विज्ञान सामग्री का प्रारम्भ में ही प्रबन्ध किया जाय तत्पश्चात् आगामी दो वर्षों के अन्दर उसमें आवश्यकतानुसार वृद्धि की जाय। विज्ञान कक्ष के रख-रखाव के लिए कम से कम 50 रुपये की आवर्तक आपूर्ति धनराशि वार्षिक व्यय किया जाना आवश्यक है।

(4) कृषि के शिक्षण के लिए संस्था के पास कम से कम 3 एकड़ का फार्म मैदानों में और डेढ़ एकड़ का फार्म पर्वतीय स्थानों में होना चाहिए। कृषि के लिए उपयोगी उपकरण हों। भूमि की पर्याप्त जुताई का समुचित प्रबन्ध हो और विद्यालय के पुस्तकालय में कम से कम 100 रुपये मूल्य की कृषि की तथा उससे सम्बद्ध विषय की पुस्तकें अथवा जिस शिल्प को पढ़ाने की मान्यता जिला निरीक्षक से लेनी है उसके कारखाने के स्थान सज्जा और उसकी पढ़ाई में काम आने वाले कच्चे माल को क्रय करने के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था हो।

टिप्पणी—दोनों दशाओं में ऐसे विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या को जो पैरा 168 के अधीन भर्ती की जा सकती हो

शिक्षा प्रदान करने के लिए उपकरम सज्ञा इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।

(च) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से आवश्यक मान्यता प्राप्त किये बिना नवीं-दसवीं कक्षायें प्रारम्भ न की जायें तथा प्राइमरी कक्षायें किसी भी दशा में नहीं चलायी जायेंगी।

(छ) निरीक्षण अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना संस्था अथवा कोई कक्षा अथवा सेक्शन न बन्द किया जायेगा और न रोका जायेगा और न समाप्त किया जायेगा और न स्थानान्तरित किया जायेगा।

(ज) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/अपर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (म०) यदि अन्य कोई शर्तें विद्यालय के हित में लगाना आवश्यक समझें तो लगा सकते हैं।

*15—विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी होगी किसी अल्प संख्यक संस्था द्वारा आवेदन करने पर किसी अल्प संख्यक भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में परिषद् सचिव द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। यदि ऐसा अनुरोध शासन द्वारा निर्धारित नियमानुसार हो।

टिप्पणी—किसी संस्था को बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा ही अल्प संख्यक संस्था घोषित किया जा सकेगा।

*(ख) आर्य समाज, ब्रह्म समाज, सनातन धर्म, राधा स्वामी सत्संग, राम कृष्ण मिशन या इसी प्रकार के अन्य सम्प्रदाय जो मात्र हिन्दू धर्म के स्वरूप या विकसित अवस्थाओं के रूप हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में धार्मिक अल्प संख्यक नहीं माने जा सकते। इन सम्प्रदायों द्वारा स्थापित एवं संचालित विद्यालयों को धार्मिक अल्प संख्यक नहीं माना जा सकता।

*(ग) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के उद्देश्यों के लिए उत्तर प्रदेश में केवल मुसलमान, ईसाई, पारसी, बौद्ध, सिख तथा जैन धर्मों के अनुयाइयों को धार्मिक अल्प संख्यक माना जा सकता है किन्तु किसी विद्यालय को केवल उसके नाम के आधार पर या इस कथन के आधार पर कि विद्यालय को स्थापित करने या संचालित करने वाली जनरल बाडी या कार्यकारिणी के अधिकांश सदस्य या सभी सदस्य उपरोक्त किसी धार्मिक अल्प संख्यक वर्ग के सदस्य हैं अल्प संख्यक वर्ग

*यथा नियम 1 में।

द्वारा संचालित अथवा स्थापित विद्यालय नहीं माना जा सकता। जब तक कि विद्यालय की स्थापना या संचालन सम्बन्धी अभिलेखों आदि से पूर्णतया यह स्पष्ट न हो जाय कि विद्यालय उपरोक्त किसी धार्मिक अल्प संख्यक धर्म द्वारा स्थापित एवं संचालित है। अतएव प्रत्येक मामले का परीक्षण विस्तार से करना आवश्यक होगा।

*(घ) यदि कोई विद्यालय टिप्पणी (ग) में उल्लिखित किसी धर्म के किसी जाति सम्प्रदायिक निकाय की विधिवत् स्थापित किसी सोसाइटी जैसे क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी, महाबोधि सोसाइटी आफ इण्डिया, गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति आदि द्वारा स्थापित एवं संचालित हैं तो ऐसे विद्यालयों को धार्मिक अल्प संख्यक द्वारा स्थापित एवं संचालित विद्यालय माना जा सकेगा। इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचनाओं की पुष्टि जिन अभिलेखों से हो सके जैसे संस्था का पंजीयन प्रमाण-पत्र, विद्यालय की प्रशासन योजना संचालन करने वाली समितियां, संस्था की नियमावली आदि उन्हें प्रबन्धक से प्राप्त करके तथा उनको भली-भांति छानबीन करने के पश्चात् ही निर्णय लिया जाय।

*16—निर्धारित शर्तों को पूरी करने वाले विद्यालयों को पहली बार में ही स्थायी मान्यता प्रदान की जा सकेगी।

*17—प्रदत्त मान्यता के प्रत्याहरण के लिए बेसिक शिक्षा अधिनियम की धारा 12 के अनुसार कार्यवाही वांछनीय होगी।

---

*यथा नियम 1 में।

अध्याय सात

मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नियुक्ति

जूनियर बेसिक स्कूल (प्राइमरी स्कूल)

×1--नियुक्ति--कोई भी व्यक्ति किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में अध्यापक या अन्य कर्मचारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह परिषद् द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट अर्हतायें न रखता हो और अध्यापकों की दशा में जिनको नियुक्ति के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी से लिखित पूर्वानुमोदन प्राप्त न कर लिया गया हो। रिक्ति की स्थिति में नियुक्ति के लिए सम्बद्ध प्रबन्धाधिकरण द्वारा कम से कम दो समाचार-पत्रों में (जिसमें से एक दैनिक समाचार-पत्र होगा)। विज्ञापन के माध्यम से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जायेंगे तथा आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 30 दिन का समय दिया जायेगा। साक्षात्कार का दिनांक विज्ञापन में दिया जा सकता है या अभ्यर्थियों को पंजीकृत डाक द्वारा साक्षात्कार के लिए निर्धारित दिनांक की सूचना दी जा सकती है। पत्र जारी करने के दिनांक से कम से कम 15 दिन का समय दिया जायेगा। प्रबन्धाधिकरण किसी अप्रशिक्षित अध्यापक का चयन नहीं करेगा और सामान्यतः यदि चयन किया गया अभ्यर्थी प्रशिक्षित हो तो वह बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया जायेगा।

सीनियर बेसिक (जूनियर हाई स्कूल) में नियुक्ति

*2--नियुक्ति--प्रबन्धाधिकरण का यह दायित्व होगा कि वह किसी मान्यता प्राप्त स्कूल के यथास्थिति प्रधानाध्यापक या सहायक अध्यापक की पद रिक्ति को प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक भरें।

यदि किसी शिक्षा वर्ष में कोई रिक्ति होती है तो वह ऐसी रिक्ति होने के दिनांक से दो मास के भीतर भरी जायेगी।

*3--न्यूनतम अर्हता(क) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल के सहायक अध्यापक के पद के लिए न्यूनतम अर्हता माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा "हिन्दी सहित" और राज्य सरकार या बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जैसे हिन्दुस्तानी टीचिंग सार्टीफिकेट, जूनियर टीचिंग

---

* उत्तर प्रदेश मान्यताप्राप्त बेसिक स्कूल (अध्यापकों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें तथा अन्य शर्तें) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1977 जो शिक्षा अनुभाग 6 की अधिसूचना संख्या 6314/15(6)-9(7)-73, दिनांक 1 अगस्त, 1977 को प्रकाशित हुई।

**(उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाई स्कूल) (अध्यापकों की भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियमावली, 1978 जो अधिसूचना संख्या 6988/15-(6)-28 (11)-72, दिनांक 13 फरवरी, 78 को प्रकाशित।

सार्टीफिकेट, बेसिक टीचिंग सार्टीफिकेट या प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र होगा।

*(ख) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल के प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हतायें निम्नलिखित होंगी :—

(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि या इस रूप में मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा।

(2) राज्य सरकार या बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जैसे हिन्दुस्तानी टीचिंग सार्टीफिकेट, जूनियर टीचिंग सार्टीफिकेट, प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र या बेसिक टीचिंग सार्टीफिकेट, और

(3) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में 3 वर्ष के अध्यापन का अनुभव।

*4—नियुक्ति के लिए पात्रता—कोई भी व्यक्ति किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल में मौलिक रूप से प्रधानाध्यापक या सहायक अध्यापक के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि—

(क) वह ऐसे पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हता न रखता हो।

(ख) चयन समिति उसे नियुक्त करने की संस्तुति न करे।

*5—अनर्हतायें—(1) कोई व्यक्ति जो प्रबन्धतन्त्र के किसी सदस्य का संबंधी हो, किसी मान्यता प्राप्त स्कूल का प्रधानाध्यापक या सहायक अध्यापक नियुक्त नहीं किया जायेगा।

---

*यथा नियम—2

(2) इस नियम के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति संबंधी समझा जायेगा यदि वह ऐसे परस्पर से निम्नलिखित किसी भी रूप में संबंधित है, अर्थात्—

1—पिता या माता ;

2—दादा–दादी/नाना–नानी ;

3—सास–ससुर ;

4—ताऊ–ताई/चाचा–चाची/मामा–मामी ;

5—पुत्र, पुत्री, दामाद, पुत्र–वधू ;

6—भाई, बहन ;

7—पौत्र, पौत्री ;

8—पति, पत्नी ;

9—भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी ;

10—सम्भ्राता, सम्भगिनी ;

11—साला, साली, सरहुज, बहनोई ;

12—देवर–जेठ, देवरानी–जिठानी ;

13—भाई या सम्भ्राता की पत्नी ;

*6—रिक्ति का विज्ञापन—(1) कोई रिक्ति, कम से कम ऐसे समाचार–पत्र में जिसका उस स्थान में पर्याप्त परिचालन हो, विज्ञापित किये और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ऐसी रिक्ति की सूचना दिये बिना नहीं भरी जायेगी ।

(2) खण्ड (1) के अधीन प्रत्येक विज्ञापन और सूचना में प्रबंधाधिकरण पद का नाम ऐसे पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हता और आयु सीमा, यदि कोई हो, और ऐसे विज्ञापन के अनुसरण में आवेदन–पत्र प्राप्त करने के लिए अन्तिम दिनांक का ब्योरा देगा ।

*7—आयु सीमा—न्यूनतम आयु, उस वर्ष के जिसमें नियम–6 के अधीन रिक्ति का विज्ञापन किया जाय, आगामी शिक्षा वर्ष को प्रथम जुलाई को—

(1) सहायक अध्यापक के पद के संबंध में 18 वर्ष होगी ।

*यथा नियम–21

(2) प्रधानाध्यापक के पद के संबंध में 25 वर्ष होगी ।]

×8—चयन समिति—अल्प संख्यक संस्थाओं से भिन्न संस्था में और अल्प संख्यक संस्थाओं में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक की नियुक्ति के लिए प्रबंधाधिकरण निम्नलिखित प्रकार से एक चयन समिति का गठन करेगा—

(क) अल्प संख्यक संस्थाओं से भिन्न संस्थायें—

(एक) प्रधानाध्यापक पद के लिए—

(1) प्रबंधक ;

(2) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक व्यक्ति ;

(3) प्रबंधाधिकरण द्वारा नाम निर्दिष्ट एक व्यक्ति,]

(दो) सहायक अध्यापक के पद के लिए—

(1) प्रबंधक,

(2) उस मान्यता प्राप्त स्कूल जिसमें नियुक्ति की जानी हो, प्रधानाध्यापक ;

(3) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक व्यक्ति ।

(ख) अल्प संख्यक संस्थाएं—

(एक) प्रधानाध्यापक के पद के लिए—

(1) प्रबंधक;

(2) प्रबंधाधिकरण द्वारा नाम निर्दिष्ट दो व्यक्ति ।]

×उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की धारा-19 (1) के अधीन शासन द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाई स्कूल) अध्यापकों की भर्ती और सेवा शर्तें (प्रथम संशोधन) नियमावली 1984 को उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा अनुभाग-6 की अधिसूचना संख्या 3227/15-6-84-10 (8)-79, दिनांक 31 मई, 1984 को विज्ञापित की गयी ।]

(दो) सहायक अध्यापक के पद के लिए—

(1) प्रबंधक;

(2) उस मान्यता प्राप्त स्कूल का, जिसमें नियुक्ति की जानी हो प्रधानाध्यापक ;

(3) प्रबंधाधिकरण द्वारा नाम निर्दिष्ट एक व्यक्ति।

*9—चयन की प्रक्रिया—(1) चयन समिति, ऐसे अभ्यर्थियों का, जो उसके द्वारा इस निमित्त निश्चित दिनांक को, जिसकी सम्यक सूचना सभी अभ्यर्थियों को दी जायेगी, उपस्थित हों, साक्षात्कार करने के पश्चात एक सूची तैयार करेगी जिसमें नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाये गये तीन अभ्यर्थियों के नाम यथासंभव अधिमान क्रम में होंगे।

(2) खण्ड (1) के अधीन तैयार की गई सूची में अभ्यर्थियों के जन्म दिनांक, शैक्षिक अर्हतायें और अध्यापन अनुभव से संबंधित ब्योरे भी होंगे और उस पर चयन समिति के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।

(3) चयन समिति, यथाशीघ्र, समिति की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त सहित ऐसी सूची प्रबंधाधिकरण को भेजेगी।

(4) प्रबंधक खण्ड (3) के अधीन पत्रादि की प्राप्ति के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर सूची की एक प्रति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजेगा।

(5) (1) यदि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का समाधान हो जाये कि—

(क) चयन समिति द्वारा संस्तुत अभ्यर्थी पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हतायें रखते हैं;

(ख) यथास्थिति, प्रधानाध्यापक या सहायक अध्यापक के चयन के लिए इस नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है,

तो वह चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों का अनुमोदन करेगा और खण्ड (4) के अधीन पत्रादि की प्राप्ति के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर अपने विनिश्चय की सूचना प्रबंधाधिकरण को भेजेगा।

---

*यथा नियम—2

(2) यदि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उपर्युक्त से संतुष्ट नहीं हैं तो वह पत्रादि इस निदेश के साथ प्रबंधाधिकरण को लौटा देगा क मामले पर चयन समिति द्वारा फिर से विचार किया जाये ।

(3) यदि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी खण्ड (4) के अधीन पत्रादि को प्राप्ति के दिनांक से एक मास के भीतर अपने विनिश्चय को संसूचना न दे तो यह समझा जायेगा कि उसने चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों का अनुमोदन कर दिया है ।

*10--नियुक्ति--(1) प्रबंधाधिकरण द्वारा नियुक्ति अनुमोदन की संसूचना प्राप्त होने पर या यथास्थिति नियम 9 के उपनियम (5) के खण्ड (3) के अधीन एक मास की अवधि की समाप्ति पर प्रबंधाधिकरण नियुक्ति का प्रस्ताव सर्वप्रथम उसी अभ्यर्थी को जिसे चयन समिति द्वारा प्रथम अधिमान दिया गया हो और उसके द्वारा पद का कार्यभार न ग्रहण करने पर चयन समिति द्वारा तैयार की गयी सूची में उसके बाद वाले अभ्यर्थी को और ऐसे अभ्यर्थी द्वारा भी कार्यग्रहण न करने पर उक्त सूची में विनिर्दिष्ट अन्तिम अभ्यर्थी को करेगा ।

(2) (क) नियुक्ति-पत्र प्रबंधक के हस्ताक्षर से चयन किये गये अभ्यर्थी को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जायेगा ।

(ख) नियुक्ति-पत्र में पद का नाम, वेतनमान और नियुक्ति का प्रकार स्थायी है या अस्थायी है स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट होगा और यह भी विनिर्दिष्ट होगा कि यदि अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसकी नियुक्ति रद्द की जायेगी ।

(ग) नियुक्ति-पत्र की एक प्रति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जायेगी ।

*11--अस्थायी नियुक्ति--इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी, प्रबंधाधिकरण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पूर्वानुमोदन से, किसी व्यक्ति को 6 मास से अनधिक अवधि के लिए यथास्थिति प्रधानाध्यापक या सहायक अध्यापक नियुक्त कर सकता है परन्तु किसी व्यक्ति को तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह उस पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हता न रखता हो परन्तु यह और कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, उपर्युक्त 6 मास की अवधि को ऐसी अवधि तक बढ़ा सकता है जो उस शिक्षा सत्र के साथ जिसमें उक्त अवधि बढ़ायी गयी हो समाप्त होगी ।

---

*यथा नियम-2

मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में लिपिक वर्ग और समूह (घ) के कर्मचारियों की नियुक्ति

×12—नियुक्ति—(1) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल के प्रबंधाधिकरण का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह, यथास्थिति लिपिक या समूह (घ) के कर्मचारी के पद की रिक्ति को प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई, तक भरे।

(2) यदि कोई रिक्ति शिक्षा सत्र के दौरान हो तो उसे ऐसी रिक्ति होने के दिनांक से दो मास के भीतर भरा जायेगा।

×13—न्यूनतम अर्हता—(1) लिपिक के पद के लिए न्यूनतम अर्हता माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की इन्टरमीडिएट परीक्षा या समकक्ष परीक्षा (हिन्दी के साथ) और हिन्दी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होगी।

(2) समूह (घ) के कर्मचारी के पद के लिए न्यूनतम अर्हता उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से पांचवीं कक्षा या हिन्दी के साथ समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करना होगी।

×14—पात्रता—कोई व्यक्ति किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में मौलिक रूप में लिपिक या समूह (घ) के कर्मचारी के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि—

(क) उसकी ऐसे पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हतायें न हों।

(ख) चयन समिति द्वारा ऐसी नियुक्ति के लिए उसके संबंध में संस्तुति न की जाय।

×15—आयु—लिपिक एवं समूह (घ) के पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु उस वर्ष की जिसमें रिक्ति अधिसूचित की जाय

×उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत शासन द्वारा निर्मित उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाई स्कूल) लिपिक वर्ग कर्मचारियों और समूह (घ) के कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें नियमावली 1984 जो उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा अनु०-6 की अधिसूचना संख्या 698/15-6-84-28 (111)/-82, दिनांक 13 जून, 1984 द्वारा अधिसूचित की गयी।

अभ्यर्थी पहली जुलाई को 18 वर्ष की हो जानी चाहिए और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की स्थिति में, उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष अधिक होगी या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर उपबन्धित की जाय।

×16—राष्ट्रीयता—नियम 14 में उल्लिखित किसी पद पर भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी—

(क) भारत का नागरिक हो या,

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो या,

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश, केन्या उगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानियां (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो।

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिस के पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह और श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि से आगे सेवा में तभी रहने दिया जायेगा जब कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त करले।

टिप्पणी—ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो किसी साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।}

× यथा नियम 12

×17—आरक्षण—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ग्रस्त श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा ।

×18—चरित्र—सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके और नियुक्ति प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संबंध में अपना समाधान करले ।

स्पष्टीकरण—केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम द्वारा पदच्युक्त व्यक्ति को इस नियम के प्रयोजनार्थ सेवायोजन के लिए अनुपयुक्त समझा जावेगा ।

×19—वैवाहिक स्थिति—सेवा में नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवत रही हो ।

परन्तु चयन समिति किसी व्यक्ति को इस नियम के : वर्तन रे छूट दे सकती है, यदि उसका समाधान हो जावे कि एसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं ।

×20—शारीरिक स्वस्थता—(1) किसी अभ्यर्थी को तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों को दक्षता पूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो ।

(2) किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रांतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा के किसी चिकित्सा धिकारी से स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें

×21—अनर्हता—(1) ऐसा कोई व्यक्ति जो प्रबंधाधिकरण के किसी सदस्य का संबंधी हो, किसी मान्यता प्राप्त स्कूल के लिपिक या समूह (घ) के कर्मचारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा ।

(2) इस नियम के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को संबंधी समझा जावेगा यदि वह निम्नलिखित किसी भी एक प्रकार से एसे सदस्य से संबंधित हो अर्थात :—

×यथा नियम—12

(एक) पिता या माता,

(दो) पितामह, पितामही

(तीन) ससुर, सास,

(चार) चाचा, चाची, मामा,-मामी,

(पांच) पुत्र, पुत्री, दामाद, वधू,

(छ) . भाई, बहिन,

(सात) पौत्र, पौत्री,

(आठ) पति, पत्नी,

(नौ) भतीजा, भतीजी,

(दस) सम्भ्राता (कजिन) ।

(ग्यारह) पत्नी का भाई या पत्नी की बहिन, पत्नी के भाई की पत्नी, बहन का पति,

(बारह) पति का भाई, पति के भाई की पत्नी,

(तेरह) भाई या सम्भ्राता की पत्नी ।

×22--रिक्ति का विज्ञापन--(1) किसी रिक्ति को तब तक नहीं भरा जायेगा जब तक कि उसका विज्ञापन कम से कम एक ऐसे समाचार पत्र में जिसका उस क्षेत्र में पर्याप्त परिचलन हो, न किया जाय और ऐसी रिक्ति की सूचना जिला बेसिक शिक्षाअधिकारी को न देदी जाय ।

(2) प्रबंधाधिकरण खण्ड (1) के अधीन प्रत्येक विज्ञापन और सूचना में पद का नाम, ऐसे पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हता और अन्य सूचना यदि कोई हो, और ऐसे विज्ञापन के अनुसरण में आवेदन पत्रों की प्राप्ति के अंतिम दिनांक का विवरण देगा ।

×23--चयन समिति--प्रबंधाधिकरण एक चयन समिति का गठन करेगा जिसमें निम्न लिखित होंगे :--

(1) प्रबंधक,

(2) मान्यता प्राप्त स्कूल का जिसमें नियुक्ति की जानी हो प्रधान अध्यापक ।

×यथा नियम--12

(3) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का एक नाम निर्दिष्ट व्यक्ति ।

×24—चयन की प्रक्रिया—(1) चयन समिति ऐसे अभ्यर्थियों का, जो समिति द्वारा इस निमित्त निर्धारित दिनांक को जिसकी सम्यक सूचना समस्त अभ्यर्थियों को दी जायेगी उसके समक्ष उपस्थित हों, साक्षात्कार करने के पश्चात् एक सूची तैयार करेगी जिसमें यथा संभव, नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाये गये तीन अभ्यर्थियों के नाम अधिमान क्रम में होंगे ।

(2) खण्ड (1) के अधीन तैयार की गयी सूची में अभ्यर्थियों के जन्म दिनांक, शैक्षिक अर्हता के संबंध में विवरण होंगे और उस पर चयन समिति के समस्त सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे ।

(3) चयन समिति ऐसी सूची को समिति की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त के साथ प्रबंधाधिकरण को यथाशीघ्र अग्रसारित करेगी ।

(4) प्रबंधक खण्ड (3) के अधीन पत्रादि की प्राप्ति के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर सूची की एक प्रति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजेगा ।

(5) (एक) यदि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि—

(क) चयन समिति द्वारा संस्तुत किये गये अभ्यर्थी पद के के लिए विहित न्यूनतम अर्हतायें रखते हैं, ।

(ख) यथास्थित लिपिक वर्ग कर्मचारियों और समूह (घ) के कर्मचारियों के चयन के लिए नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है ।

तो वह चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों को अनुमोदित करेगा और खण्ड-4 के अधीन पत्रादि की प्राप्ति के दिनांक से दो सप्ताह से भीतर प्रबंधाधिकरण को अपना विनिश्चय संसूचित करेगा ।

(दो) यदि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का यथा पूर्वोक्त के संबंध में समाधान न हो तो वह पत्रादि प्रबंधाधिकरण को इस निर्देश के साथ वापस कर देगा कि मामले पर चयन समिति द्वारा पुनर्विचार किया जाय ।

×यथा नियम—12

(तीन) यदि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी खण्ड (4) के अधीन पत्रादि के प्रेषण के दिनांक से एक मास के भीतर अपने विनिश्चय की संसूचना न दे तो यह समझा जायेगा कि उसने चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों को अनुमोदित कर दिया है।

×25—नियुक्ति—(1) यथास्थिति, अनुमोदन की संसूचना प्राप्त होने पर या नियम-24 के उपनियम (5) के खण्ड (3) के अधीन एक मास की अवधि के समाप्त होने पर प्रबंधाधिकरण सर्वप्रथम चयन समिति द्वारा प्रथम अधिमान दिये गये अभ्यर्थी को नियुक्ति का प्रस्ताव करेगा और उसके द्वारा पद का कार्यभार ग्रहण न, करने पर वह चयन समिति द्वारा तैयार की गयी सूची में उससे अगले अभ्यर्थी को नियुक्ति का प्रस्ताव करेगा और ऐसे अभ्यर्थी के भी विफल होने पर, ऐसी सूची में उल्लिखित अन्तिम अभ्यर्थी को नियुक्ति का प्रस्ताव करेगा।

(2) (क) नियुक्ति पत्र प्रबंधक के हस्ताक्षर से चयन किये गये अभ्यर्थी को पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जायेगा।

(ख) नियुक्ति पत्र में पद का नाम, वेतनमान और नियुक्ति का प्रकार, स्थायी है या अस्थायी स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जायेगा और यह भी विनिर्दिष्ट होगा कि यदि अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र के प्राप्ति के दिनांक से 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।

(ग) नियुक्ति पत्र की एक प्रति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी भेजी जायेगी।

×26—अस्थायी नियुक्ति—इस नियमावली में किसी बात के होते हुये भी प्रबंधाधिकरण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पूर्वानुमोदन से किसी व्यक्ति को छः मास से अनधिक अवधि के लिए यथास्थिति लिपिक या समूह (घ) का कर्मचारी नियुक्त कर सकता है, परन्तु कोई व्यक्ति इस प्रकार तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि उसको पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हता न हो।

परन्तु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे छः मास की उपर्युक्त अवधि को उस शिक्षा सत्र की जिसमें ऐसी अवधि बढ़ायी जाये समाप्ति के साथ समाप्त होने वाली अवधि तक के लिए बढ़ा सकता है।

×यथा नियम—12

अध्याय–आठ

मान्यता प्राप्त विद्यालयों म कर्मचारियों की सेवा शर्तें एवं अन्य अनुबंध

(अ) जूनियर बेसिक स्कूल

*(1) वेतन–मान्यता प्राप्त स्कूल प्रत्येक अध्यापक तथा कर्मचारी को दिनांक, जुलाई, 1975 से वही वेतनमान, मंहगाई भत्ता तथा अतिरिक्त महंगाई भत्ता देगा जो परिषद् के समान पद धारक अध्यापकों तथा कर्मचारियों को दिया जाता हो। वेतन का भुगतान चेक द्वारा किया जायेगा।

*(2) अध्यापकों को पदच्युत तथा सेवा से हटाना––मान्यता प्राप्त स्कूल के किसी अध्यापक को या अन्य कर्मचारी को, सिवाय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिखित पूर्वानुमोदन के, पदच्युत करने, हटाने या उसकी सेवा समाप्त करने का आदेश नहीं दिया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि संविधान के अनुच्छेद–30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्प संख्यक वर्ग द्वारा स्थापित तथा प्रबंधित मान्यता प्राप्त स्कूल की दशा में ऐसे आदेश के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित न होगा किन्तु उन्हें इसकी सूचना दी जायेगी।

(3) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील–– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नियम (2) के अधीन दिये गये आदेश से क्षुब्ध कोई अध्यापक या प्रबंधाधिकरण ऐसा आदेश सूचित किये जाने के दिनांक से 30 दिन के भीतर परिषद् को अपील कर सकता है और ऐसे अपील पर परिषद् या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा दिया गया आदेश अन्तिम होगा।

---

*उ0 प्र0 मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (अध्यापकों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें तथा अन्य शर्तें) (प्रथम संशोधन) नियमावली 1977 को शिक्षा अनुभाग 6 की अधिसूचना संख्या 6314/15(6)–9 (7) 73–दिनांक 1 अगस्त, 1977 को विज्ञापित की गई।

×उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (अध्यापकों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें तथा अन्य शर्तें) नियमावली 1975 जो अधिसूचना संख्या 1931/15 (6)–9 (7)–73, दिनांक 20 मई, 1975 द्वारा प्रसारित की गई।

*(4) शिक्षा शुल्क--नियम-5 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में विद्यार्थियों से शिक्षा शुल्क रु0 15 प्रति मास से अनधिक की दर से लिया जा सकता है तथा कोई भी धनराशि चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय शुल्क, चंदा या अंशदान के रूप में विद्यार्थियों से नहीं ली जायेगी।

*(5) शिक्षा शुल्क से छूट--किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में उस स्कूल की नामावली में दर्ज कुल छात्र संख्या से 25 प्रतिशत छात्रों को शिक्षा संहिता पैरा 106 से 114 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहाँ तक वे लागू किये जा सकें, निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की जायेगी।

*(6) पाठ्य पुस्तकें--किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल में परिषद द्वारा विहित पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों से भिन्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जायेगी और न पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा।

*(7) मान्यता की शर्तें पालन करने का कर्तव्य--किसी मान्यता प्राप्त स्कूल के प्रबन्ध निकाय या उसके कार्यों का प्रबन्ध करने वाले अन्य व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह अधिनियम तथा इस नियमावली के उपबन्धों का तथा परिषद् द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा समय-समय पर जारी किये गये विधि पूर्ण निर्देशों का पालन करें।

*(8) मान्यता का वापस लेना--यदि परिषद् को यह समाधान हो जाये कि किसी मान्यताप्राप्त स्कूल के सम्बन्ध में अधिनियम या इस नियमावली के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है तो परिषद् ऐसे स्कूल के प्रबन्ध निकाय या उसके कार्यों का प्रबन्ध करने वाले अन्य व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् मान्यता वापस ले सकती है।

(ब) सीनियर बेसिक स्कूल

**(9) स्थायीकरण--(1) मान्यता प्राप्त स्कूल के यथा स्थिति प्रत्येक प्रधानाध्यापक या सहायक अध्यापक की नियुक्ति जो अध्याय 7 के नियम (11) के अधीन नियुक्त न हो, प्रथम बार एक वर्ष की

---

*यथा नियम 3 में।

**उ0 प्र0 मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जू0 हा0 स्कूल) (अध्यापकों की भर्ती और सेवा शर्तें) नियमावली, 1978, जो अधिसूचना संख्या 6988/15-6-28(11)-72, दिनांक 13 फरवरी, 1978 द्वारा विज्ञापित की गई।

परिवीक्षा के आधार पर की जायेगी जिसे एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाया भी जा सकता है।

(2) यदि मान्यता प्राप्त स्कूल के प्रधानाध्यापक या सहायक अध्यापक की सेवा यथास्थिति परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व समाप्त नहीं की जाती है तो ऐसी अवधि की समाप्ति पर स्वतः स्थायी किया गया समझा जायेगा।

**(10) <u>अधिवर्षता</u>--(1) मान्यताप्राप्त स्कूल का प्रत्येक प्रधान अध्यापक या सहायक अध्यापक उस दिनांक पर जब वह साठ वर्ष की आयु का हो जाये या यदि ऐसा दिनांक शिक्षा सत्र में दो जुलाई को या उसके पश्चात् पड़ता है तो ऐसे दिनांक के पश्चात् आगामी 30 जून को सेवा निवृत्त होगा।

**(2) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी किसी मान्यता प्राप्त स्कूल के उस प्रधानाध्यापक या सहायक अध्यापक की स्थिति में जिसे राष्ट्रीय/राजकीय पुरस्कार मिला हो उसे दो और वर्ष के लिए सेवा में रखे जाने की अनुज्ञा दे सकता है।

*(3) प्रदेश के समस्त सरकारी तथा मान्यता प्राप्त स्वायत्त शासी संस्थाओं के समस्त प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षक तथा प्रशिक्षण विद्यालय, संस्कृत पाठशालाओं एवं अरबी व फारसी मदरसों के ऐसे अध्यापकों को जो वर्ष 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण जेल गये थे और जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेन्शन प्राप्त है तथा जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ हैं, उन्हें अधिवर्षता आयु के पश्चात् एक वर्ष का सेवा विस्तरण प्रदान किया जाय।

†शिक्षकों को उनकी अधिवर्षिता आयु के पश्चात् वर्ष 1942 में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण एक वर्ष के सेवा विस्तारण एवं

---

*राजाज्ञा संख्या 3116/15(14)-84—5(19)-84, दिनांक 2 अगस्त, 1984।

†राजाज्ञा संख्या 1711/15(14)—5(19)-84, दिनांक 31 सितम्बर 1985।

**यथा नियम 9 में

वर्ष के संगत मासा 30 जून तक चलते रहने का लाभ, दोनों अनुमन्य होंगे।

**(11) सेवा की समाप्ति—सिवाय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिखित पूर्वानुमोदन के, किसी मान्यता प्राप्त स्कूल का प्रधान अध्यापक या सहायक अध्यापक न तो सेवा मुक्त, न सेवा से हटाया, न पदच्युत, न पदावनत किया जा सकता है, न उसकी उपलब्धियों में कोई कमी की जा सकती है और न उसे सेवा समाप्ति की नोटिस दी जा सकती है।

परन्तु किसी अल्प संख्यक संस्था के प्रधान अध्यापक या किसी सहायक अध्यापक की स्थिति में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा।

*(12) वेतन वृद्धि—मान्यता प्राप्त स्कूल के प्रधानाध्यापक या सहायक अध्यापक को परिवीक्षा अवधि में कोई वार्षिक वेतन वृद्धि अनुमेय नहीं होगी परन्तु यदि परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर उसे स्थायी कर दिया जाय या स्थायी किया समझा जाय तो उसे ऐसी वेतन वृद्धि का बकाया दिया जायेगा जो उसे ऐसी अवधि में देय होता।

*(13) अनुशासनिक कार्यवाही—अनुशासनिक कार्यवाहियों के और ऐसी कार्यवाहियों में दिये जाने वाले दण्ड के सम्बन्ध में, मान्यता प्राप्त स्कूल का यथास्थिति, प्रधान अध्यापक या सहायक अध्यापक परिषद् द्वारा स्थापित या अनुरक्षित बेसिक शिक्षा स्कूलों के प्रधानाध्यापक या सहायक अध्यापक के सम्बन्ध में प्रयोज्य नियमों द्वारा नियंत्रित होगा।

*(14) छुट्टी—मान्यता प्राप्त स्कूलों के किसी प्रधानाध्यापक या सहायक अध्यापक को छुट्टी उसी हिसाब से अनुमन्य होगी जैसी प्रदेश के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के ऐसे कर्मचारियों को अनुमन्य है।

**उ० प्र० मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जू० हा० स्कूल) अध्यापकों की भर्ती और सेवा शर्तें) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1984, जो शिक्षा अनुभाग 6 की अधिसूचना संख्या 3227/15-6-84—10(8)-79, दिनांक 31 मई, 1984 को प्रकाशित की गई।

*यथा नियम 9 में।

*(15) स्थानान्तरण--(1) मान्यता प्राप्त स्कूल किसी के स्थायी प्रधानाध्यापक या सहायक अध्यापक को इस निमित्त आवेदन-पत्र देने पर किसी अन्य मान्यता प्राप्त स्कूल में जिसमें उसे इस नियमावली के अधीन विधिपूर्वक सेवायोजित किया जा सकता है, स्थानान्तरित किया जा सकता है।

(2) ऐसे आवेदन-पत्र यथास्थिति प्रधानाध्यापक या सहायक अध्यापक द्वारा उस स्कूल के प्रबन्धक के माध्यम से जहां से स्थानान्तरण अपेक्षित हो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिया जायेगा।

(3) प्रबन्धक स्थानान्तरण के आवेदन-पत्र के साथ यथास्थिति ऐसे प्रधानाध्यापक या सहायक अध्यापक की सेवा पुस्तिका और चरित्र पंजी की प्रतियां जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अग्रसारित करेगा।

(4) कोई स्थानान्तरण तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि उस पर सम्बद्ध मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रबन्धाधिकरण की सहमति न हो और खंड (5) के अधीन उसका अनुमोदन न कर दिया जाय।

(5) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल के प्रधानाध्यापक या सहायक अध्यापक के स्थानान्तरण के लिए अनुमोदन निम्नलिखित द्वारा किया जायेगा:--

(अ) जिले के भीतर एक स्कूल से दूसरे स्कूल को स्थानान्तरण की स्थिति में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।

(ब) विभिन्न जिलों में किन्तु एक ही डिवीजन में स्थित एक स्कूल से दूसरे स्कूल को स्थानान्तरण की स्थिति में संभागीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)।

(स) विभिन्न डिवीजनों में स्थित एक स्कूल से दूसरे स्कूल को स्थानान्तरण की स्थिति में परिषद् का सचिव।

*(16) भविष्य निधि--मान्यता प्राप्त स्कूल के प्रबन्धाधिकरण के द्वारा उस स्कूल में सेवायोजित प्रत्येक प्रधानाध्यापक या अध्यापक को एजूकेशन कोड (1958 संस्करण) के परिशिष्ट-8 में यथानिर्धारित सहायता प्राप्त संस्थाओं पर प्रयोज्य योजना के अनुसार भविष्य निधि देय होगी।

*यथा नियम 9 में।

जूनियर हाई स्कूलों में लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

*(17) स्थायीकरण—(1) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल के यथा-स्थिति प्रत्येक लिपिक या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति जो अध्याय 7 के नियम 26 के अधीन नियुक्त न हो प्रथमतः एक वर्ष की परिवीक्षा पर होगी जिसे एक वर्ष से अनधिक अग्रेतर अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

*(2) यदि किसी मान्यता प्राप्त स्कूल के लिपिक या समूह "घ" के कर्मचारी की सेवा यथा स्थिति परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अवसान के पूर्व समाप्त न की जाय तो समझा जायेगा कि वह ऐसी अवधि की समाप्ति पर स्वतः स्थायी हो गया है।

*(18) वेतनमान—इस नियमावली के अधीन किसी पद पर चाहे मौलिक अथवा स्थानापन्न रूप में हो या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

*(19) वेतन वृद्धियाँ—किसी मान्यता प्राप्त स्कूल के किसी लिपिक या समूह "घ" के कर्मचारीको परिवीक्षा अवधि के दौरान वेतन में कोई वार्षिक वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

परन्तु यदि वह परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी कर दिया जाय या स्थायी कर दिया गया समझा जाय तो उसे ऐसी वेतन वृद्धि के बकाये का भुगतान किया जायेगा। जो ऐसी अवधि के दौरान उसे देय होता।

*(20) अधिवर्षता—किसी मान्यता प्राप्त स्कूल का प्रत्येक लिपिक या समूह "घ" का कर्मचारी उस दिनांक को सेवा-निवृत्त होगा जब उसकी आयु क्रमशः 58 वर्ष और 60 वर्ष की हो जाय या यदि ऐसा दिनांक मास के बीच में पड़ता है तो मास के अन्तिम दिनांक को सेवा-निवृत्त होगा।

*(21) सेवा की समाप्ति—जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिखित पूर्वानुमोदन के सिवाय किसी मान्यता प्राप्त स्कूल का कोई लिपिक या समूह "घ" का कर्मचारी सेवा से उन्मोचित या हटाया या

*यथा नियम 12 अध्याय 7 में।

पदच्युत या पदावनत् नहीं किया जा सकता है या उसकी परिलब्धियों में कोई कमी नहीं की जा सकती है या उसे सेवा समाप्ति की नोटिस नहीं दी जा सकती है।

परन्तु संविधान के अनुच्छेद (30) के खंड (1) में निर्दिष्ट अल्प संख्यक वर्गों द्वारा स्थापित और प्रशासित स्कूलों की स्थिति में ऐसे आदेश के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी किन्तु इसकी सूचना उसको दी जायेगी।

*(22) अवकाश—किसी मान्यता प्राप्त स्कूल के लिपिक या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को अवकाश उसी हिसाब से अनुमन्य होगा जैसा राज्य के प्राइवेट उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के ऐसे कर्मचारियों को अनुमन्य है।

*(23) अनुशासनिक कार्यवाही—अनुशासनिक कार्यवाहियों और ऐसी कार्यवाहियों में दिये जाने वाले दण्ड के सम्बन्ध में, किसी मान्यता प्राप्त स्कूल का यथास्थिति लिपिक या समूह "घ" का कर्मचारी परिषद् द्वारा स्थापित या अनुरक्षित किसी बेसिक स्कूल के सहायक अध्यापक पर लागू नियमों द्वारा नियंत्रित होगा।

---

*यथा नियम 12 अध्याय 7 में।

अध्याय नौ

परिषद् का गठन

(क) परिषद् के अधिकारी

अध्यक्ष

(1) श्री गोविन्द नारायण मिश्र, एम0एस0सी0, एल0टी0, शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश (पदेन)

सचिव

(2) श्री जवाहर लाल पाण्डेय, एम0एस-सी0, एल0 टी0

(ख) परिषद् के सदस्य

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड "ख" के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 10 के अधीन स्थापित जिला परिषदों के अध्यक्षों में से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त।

(3) रिक्त

(4) रिक्त

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड "ग" के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 9 के अधीन संगठित नगर महापालिकाओं के नगर प्रमुखों, में से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त।

(5) रिक्त।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 3 के खंड "घ" के अन्तर्गत यू0 पी0 म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1976 के अधीन स्थानीय नगरपालिका बोर्डों के प्रेसीडेन्टों में से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त।

(6) रिक्त।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 3 के खंड "ङ" के अन्तर्गत।

(7) डा0 के0 पी0 सिंह, आयुक्त तथा सचिव, वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ। (पदेन)

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 3 के खंड "च" के अन्तर्गत।

(8) डा० राधा मोहन मिश्र, प्राचार्य, राज्य शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। (पदेन)।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 3 के खंड च–1 के अन्तर्गत।

(9) श्री महानन्द मिश्र, सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। (पदेन)।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 3 के खंड च–2 के अन्तर्गत।

(10) श्री भद्रसेन पाण्डेय, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ, रिसालदार पार्क, लखनऊ। (पदेन)।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 3 के खंड "छ" के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट दो शिक्षा विद।

(11) रिक्त।

(12) रिक्त।

अध्याय दस

उप विधियां

1--परिषद् की समस्त बैठकों में अध्यक्ष सहित पांच सदस्यों का कोरम होगा ।

2--कोरम के अभाव में बैठक के लिए विज्ञापित समय से 30 मिनट पश्चात् कोई बैठक न होगी ।

यह व्यवस्था परिषद् की समितियों तथा परिषद् द्वारा नियुक्त उप समितियों के सम्बन्ध में भी लागू होगी ।

3--यदि किसी बैठक के दौरान कोई सदस्य कोरम की अनुपस्थिति की ओर ध्यान आकृष्ट करता है, तो सभापति बैठक को भंग कर देगा ।

4--प्रत्येक प्रश्न उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निर्णीत होगा और मतों के एक समान विभाजित होने की दशा में अध्यक्ष का एक द्वितीय मत होगा ।

5--यदि कोई सदस्य परिषद् की किसी बैठक में सभापति के आदेश अथवा व्यवस्था की निरन्तर अवहेलना करता है अथवा उसको चुनौती देता है, तो अध्यक्ष बैठक का मत ले सकता है कि क्या ऐसे सदस्य को उस दिन के लिए निलम्बित नहीं कर दिया जाय । यदि उपस्थित सदस्य निलम्बन का निर्णय करते हैं तो अध्यक्ष ऐसे सदस्य को निलम्बित घोषित कर देगा और उस सदस्य को अविलम्ब प्रत्याहरण के लिए बाध्य होना पड़ेगा ।

6--कोई प्रस्ताव जो परिषद् द्वारा अमान्य कर दिया गया है अमान्य किए जाने की तिथि से एक वर्ष के भीतर अध्यक्ष की अनुमति के सिवाय पुनः प्रस्तुत नहीं किया जायेगा ।

7--परिषद् की समस्त बैठकों की अध्यक्षता परिषद् के पदेन अध्यक्ष द्वारा की जायेगी ।

8--परिषद् उसकी समितियों तथा उप समितियों की बैठकें सामान्यतः, परिषद् के कार्यालय, इलाहाबाद में होगी। विशेष स्थिति में अध्यक्ष की अनुमति से यह बैठकें राज्य में किसी अन्य स्थान पर भी हो सकती हैं ।

9—परिषद्, उसकी समितियों तथा उप समिति की बैठकों की लिखित सूचना बैठक की कार्य सूची-पत्र के साथ समस्त सम्बन्धित सदस्यों को बैठक से कम से कम 3 सप्ताह पूर्व भेजी जायेगी।

10—अध्यक्ष की अनुमति के उपरान्त ही कार्यसूची पत्र में दी गयी कार्यवाही के अतिरिक्त किसी बैठक में अन्य कोई कार्यवाही होगी।

11—परिषद् की बैठक में रखे जाने वाले प्रस्ताव का नोटिस सचिव के पास बैठक के एक सप्ताह पूर्व अवश्य पहुंच जाना चाहिए।

12—प्रस्ताव के लिए उचित नोटिस दिया गया है, इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

13—(क) निम्नलिखित के अतिरिक्त कोई प्रस्ताव, जिसका यथाविधि नोटिस नहीं दिया गया है, परिषद् की बैठक में नहीं रखा जायेगा।

1—किसी भी विवाद को स्थापित करने का,

2—किसी बैठक को स्थगित करने का,

3—किसी बैठक को भंग करने का,

4—कार्यवाही के क्रम को परिवर्तित करने का,

5—किसी मामले को विभाग अथवा शासन के किसी प्राधिकारी को विचारार्थ भेजने का,

6—विचार के आगामी विषय पर बढ़ने का, तथा

7—कोई समिति नियुक्त करने का।

(ख) ऊपर के (1), (2) अथवा (6) के अन्तर्गत किसी प्रस्ताव पर बहस के बिना मत लिया जायेगा।

(ग) 1(1), (2), (3), (4) और (6) के अन्तर्गत प्रस्ताव केवल अध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति से ही रखे जा सकेंगे।

14—प्रत्येक प्रस्ताव स्वीकारात्मक रूप में होगा और "कि" शब्द से आरम्भ होगा।

15—प्रत्येक प्रस्ताव का अनुमोदन होना चाहिए अन्यथा वह गिर जायेगा। प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु अध्यक्ष अपने भाषण को आरक्षित रख सकता है।

16—जब कोई प्रस्ताव जो ठीक रूप में है, अनुमोदित हो जाता है बहस किये जाने से पूर्व अध्यक्ष द्वारा कथित होगा।

17—यदि अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव के कथित होने के उपरान्त, कोई सदस्य बोलने को खड़ा नहीं होता तो अध्यक्ष उस पर मत लेने की अग्रिम कार्यवाही करेगा।

18—एक प्रस्ताव और उसके एक संशोधन से अधिक बैठक के सामने एक ही समय पर प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे।

19—एक बार निबटाया हुआ प्रस्ताव, पुनः उसी बैठक अथवा उसकी स्थगित बैठक में नहीं रखा जायेगा।

20—मूल प्रस्ताव को नकारात्मक करने वाला कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जायेगा।

21—प्रत्येक संशोधन उस प्रस्ताव से सम्बद्ध होना चाहिए जिस पर वह प्रस्तावित किया गया है।

22—मौलिक रूप से बैठक द्वारा पहले निबटाये हुए प्रश्न पर कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जायेगा अथवा जो उसके पहले से स्वीकृत किसी निश्चय से सम्बद्ध हो।

23—जो संशोधन ठीक रूप में हैं, उन्हें किस क्रम में लिया जायेगा, यह अध्यक्ष द्वारा निर्धारित होगा।

24—किसी भी संशोधन का अनुमोदन प्रस्ताव की भाँति होना चाहिए, अन्यथा वह गिर जायेगा, संशोधन के अनुमोदन हेतु अध्यक्ष अपने भाषण को आरक्षित रख सकता है।

25—एक संशोधन, जो ठीक रूप में है, प्रस्तावित तथा अनुमोदित हो जाने के उपरान्त अध्यक्ष द्वारा कथित किया जायेगा।

26—जब अध्यक्ष यह जान लेगा कि बैठक को संबोधित करने का अधिकारी कोई अन्य सदस्य नहीं बोलना चाहता है, तो मूल प्रस्ताव का प्रस्तावक पूरे वाद-विवाद का उत्तर देगा।

27—भंग करने अथवा स्थगन के प्रस्तावक को उत्तर का अधिकार नहीं है।

28—प्रस्तावक द्वारा उत्तर आरम्भ करने के पश्चात कोई सदस्य प्रश्न पर नहीं बोलेगा।

29—जब बहस समाप्त हो जाती है तो अध्यक्ष उसका सार प्रकट करने के उपरान्त यदि चाहे तो इस प्रकार प्रश्न पर मत ले सकता है—

(1) यदि कोई संशोधन है तो अध्यक्ष प्रस्ताव और संशोधन को कहेगा और बैठक का मत लेगा।

(2) यदि संशोधन अस्वीकृत हो जाता है तो मूल प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा पुनः रखा जायेगा और पहले की उप-विधियों के अधीन कोई दूसरा संशोधन, जो ठीक है, उसके पश्चात प्रस्तावित किया जायेगा।

(3) यदि कोई संशोधन स्वीकृत हो जाता है तो संशोधित प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जायेगा, और तब उस पर मौलिक प्रश्न के रूप में बहस होगी, जिस पर मूल प्रस्ताव के कोई और संशोधन, जो ठीक रूप में हो, जहां तक कि वे लागू हो सकेंगे पहले की उप विधियों के अधीन प्रस्तावित किए जा सकते हैं। जब इस प्रकार समस्त संशोधनों पर कार्यवाही हो जायेगी तब अध्यक्ष संशोधित प्रस्ताव पर मौलिक प्रस्ताव के रूप में मत लेगा।

30—भंग करने अथवा स्थगन का प्रस्ताव किसी भी समय एक स्पष्ट प्रश्न के रूप में प्रस्तावित किया जा सकता है, परन्तु एक संशोधन के रूप में नहीं, और न किसी भाषण में रुकावट डालने के लिए।

31—यदि भंग करने का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो उस विषय पर बैठक की विचाराधीन कार्यवाही समाप्त हो जायेगी।

32—यदि स्थगन का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो बैठक स्थगित हो जायेगी और कार्यवाही स्थगित बैठक में पुनः आरम्भ की जायेगी।

33—बहस को किसी निर्दिष्ट तिथि या समय के लिए स्थगन का प्रस्ताव भी इसी प्रकार प्रस्तावित किया जा सकता है और यदि स्वीकृत हो जाये तो विचाराधीन प्रश्न पर बहस निर्दिष्ट तिथि तथा समय तक स्थगित हो जायेगी और कार्यसूची पत्र के अन्य विषयों को लिया जायेगा। यदि प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाता है तो बहस पुनः आरम्भ होगी।

34—कोई बैठक अथवा बहस जो किसी स्थगन के बाद फिर आरम्भ होती है, अथवा चलती रहती है, स्थगन से पूर्व की समझी जायेगी।

35—कार्यवाही के अगले विषय के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव किसी समय उसी ढंग से तथा उन्हीं नियमों के अन्तर्गत, जो स्थगन के लिए हैं, किया जा सकता है। यदि ऐसा प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, तो विचाराधीन प्रस्ताव तथा उसका संशोधन, यदि कोई हो, गिर जायेगा।

36—प्रस्ताव तथा संशोधन रखे जाने के बाद किसी समय कोई सदस्य अध्यक्ष से प्रश्न करने की प्रार्थना कर सकता है और यदि अध्यक्ष को ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्ताव पर पर्याप्त बहस हो चुकी है, तो वह प्रस्तावक से उसका उत्तर मांगते हुए, बहस को समाप्त कर सकता है और तब प्रश्न पर मत ले सकता है।

37—कोई भी सदस्य प्रस्ताव अथवा संशोधन रखते समय 10 मिनट से अधिक अथवा अनुमोदन करते समय अथवा किसी प्रस्ताव या संशोधन पर बोलते समय अथवा उत्तर देते समय 10 मिनट से अधिक नहीं बोलेगा।

38—अध्यक्ष कार्यवाही में स्वविवेक से अथवा किसी सदस्य की प्रार्थना पर प्रस्ताव अथवा संशोधन का, जो बैठक के सामने हैं, क्षेत्र और प्रभाव समझा सकता है। यदि वह चाहे तो वाद विवाद की समाप्ति पर वाद विवाद का सार भी प्रकट कर सकता है।

39—कोई सदस्य जब कोई दूसरा बोल रहा है, अपने द्वारा प्रयुक्त किसी वाक्यांश का स्पष्टीकरण करने के लिए जो वक्ता द्वारा गलत समझा गया हो, अध्यक्ष की अनुमति से खड़ा हो सकता है, परन्तु वह अपने को ऐसे स्पष्टीकरण ही तक सीमित रखेगा।

40—कोई सदस्य अध्यक्ष का ध्यान किसी वैधानिक प्रश्न पर उस समय भी दिला सकता है, जिस समय अन्य सदस्य बैठक को संबोधित कर रहा हो परन्तु ऐसे वैधानिक प्रश्न पर कोई भाषण नहीं दिया जायगा।

41—अध्यक्ष किसी भी वैधानिक प्रश्न का एक मात्र निर्णायक होगा, और वह किसी भी सदस्य को व्यवस्था बनाये रखने का आदेश दे सकता है और यदि आवश्यक हो तो बैठक को भंग अथवा उसी दिन या अगले दिन कुछ घंटे के लिए स्थगित कर सकता है।

42—अध्यक्ष की अनुमति से किसी सदस्य द्वारा जिसने किसी प्रस्ताव अथवा संशोधन का नोटिस दिया है, प्रस्ताव अथवा संशोधन वापस लिया जा सकता है।

43—एक सदस्य के नाम का कोई प्रस्ताव अथवा संशोधन, जो बैठक में अनुपस्थित हो, किसी अन्य सदस्य द्वारा लाया जा सकता है।

44—किसी प्रश्न पर मत लेने पर अध्यक्ष परिषद के मत का संकेत स्वीकारात्मक अथवा नकारात्मक रूप में जानने को हाथ उठवायेगा और अपने मत के अनुसार उसका परिणाम घोषित करेगा।

45—किसी विवाद-ग्रस्त मामले पर किसी समिति की नियुक्ति का प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा किसी समय और बिना नोटिस के अध्यक्ष की अनुमति से रखा जा सकता है।

46—(क) परिषद् एवं उसकी समिति की बैठक में किसी उप समिति के नियुक्त करने का, प्रस्ताव निम्नलिखित को छोड़कर नहीं रखा जायेगा—

(1) उन मामलों की विस्तार से जाँच, सावधानी से जिनकी संनिरीक्षा की जानी है तथा जो परिषद अथवा उसकी समितियों की बैठक में नहीं निबटाये जा सकते हैं।

(ख) ऐसी उप-समिति में परिषद के सदस्य तथा ऐसे अन्य व्यक्ति, यदि कोई हो, जिन्हें परिषद तथा उसकी समितियाँ प्रत्येक दशा में ठीक समझें, सदस्यता साधारणतया तीन से अधिक न होगी।

47—किसी समिति की नियुक्ति के प्रस्ताव में उस उद्देश्य का कथन, जिसके लिए समिति को कार्य करना है तथा उसके सदस्यों की संख्या होना चाहिए। संख्या बढ़ाने अथवा घटाने के संशोधन अध्यक्ष की अनुमति से रखे जा सकते हैं। यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये तो प्रस्ताव रखने वाला सदस्य उन व्यक्तियों का नाम बतायेगा, जिन्हें वह समिति में रखना चाहता है। तब यदि आवश्यक हुआ तो मान लिया जायेगा और वांछित संख्या में सदस्यों की नियुक्ति उन व्यक्तियों में से होगी जो अधिकतम मत प्राप्त करते हैं।

48—किसी समिति का संयोजक समिति की नियुक्ति के समय नियुक्त किया जायेगा।

49—परिषद् द्वारा नियुक्त किसी समिति के निष्कर्ष एक आख्या में समाविष्ट किए जायेंगे। आख्या परिषद को उसकी आगामी बैठक में यथाविधि नोटिस देकर प्रस्तुत की जायेगी।

50—परिषद के अध्यक्ष द्वारा समितियों तथा उप समितियों की बैठकों की तिथियां नियत की जायेगी ।

समिति की बैठक की लिखित सूचना समस्त सदस्यों को बैठक के कम से कम सात दिन पूर्व प्रेषित की जायेगी । इसी प्रकार उप-समितियों की बैठकों की लिखित सूचना समस्त सदस्यों को बैठक से कम से कम 3 दिन पूर्व प्रेषित की जायेगी ।

51—समिति अथवा उप समिति का संयोजक समिति की प्रत्येक बैठक की आख्या की एक प्रति सचिव को उपस्थित सदस्यों की सूची सहित प्रेषित करेगा ।

52—किसी समिति अथवा उपसमिति का कोरम उसके सदस्यों के एक तिहाई से कम न होगा ।

53—यदि किसी समिति अथवा उप समिति की बैठक कोरम की कमी के कारण नहीं होती है, बैठक किसी अन्य तिथि के लिए स्थगित कर दी जायेगी, जब कि उपस्थित सदस्य कोरम की अनुपस्थिति में भी मूल बैठक में निर्धारित कार्यवाही करेंगे । किसी बैठक की कार्यवाही जो कोरम की कमी के कारण नहीं हो पाती है, पत्र व्यवहार द्वारा भी हो सकती है ।

54—परिषद की समितियों अथवा उपसमितियों की बैठक में प्रत्येक प्रश्न का निर्णय, उपस्थित सदस्यों के बहुमत से होगा । मतों के समान विभाजन की दशा में अध्यक्ष का एक द्वितीय मत होगा ।

55—परिषद की बैठक के बाद यथासंभव शीघ्रता से बैठक के कार्यवृत्त का आलेख सचिव द्वारा अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा और अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जायेगा । कार्यवृत्त मुद्रित कराया जायेगा तथा सदस्यों में परिचालित कराया जायेगा । उपस्थित सदस्य तब कार्यवृत्त निर्गत होने के 7 दिन के भीतर सचिव को उसकी यथार्थता सम्बन्धी आपत्तियों की सूचना देंगे । कार्यवृत्त तथा आपत्तियां यदि कोई हों, परिषद की आगामी बैठक में रखी जायेंगी और तब कार्यवृत्त की अन्तिम रूप से पुष्टि की जायेगी ।

56—किसी मामले में जिनकी इन उपविधियों में व्यवस्था न हो अध्यक्ष को कार्यविधि के सम्बन्ध में अपनी व्यवस्था देने का अधिकार होगा ।

नोट—उपरोक्त उपविधियां, जिला बेसिक शिक्षा समिति के लिए भी यथानुसार लागू होंगी ।

पी० एस० यू० पी०—29 शिक्षा—30-11-85—10,000—पी० डी० ।

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. D-6820
Date 23/4/92

NIEPA DC
D06820